खण्ड-277, अंक-1
सोमवार, 30 आषाढ़, शक संवत् 1891
(21 जुलाई, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 277 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

सोमवार, २१ जुलाई, १९६९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
भूतपूर्व राष्ट्रपति, डाक्टर जाकिर हुसैन के निधन पर शोकोद्गार ..	५–१०
भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा के निधन पर शोकोद्गार	१०–१३
भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री त्रिलोकीनाथ कौल, दीपनारायण वर्मा, कल्याण राय, ब्रह्मदत्त मायर, कृष्ण चन्द्र, रामसहाय शर्मा तथा मुश्ताक अली खां के निधन पर शोकोद्गार	१३–१६
चन्द्रमा पर मानव के उतरने के उपलक्ष्य में बधाई के प्रस्ताव की सूचना ..	१६
आय-व्ययक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति	१६–१८
सदन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	१८
आय-व्ययक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	१८–१९
सदन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में आपत्ति	१९–२०
व्यवस्था का प्रश्न	२१
१९६९–७० का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	२१–३७
चन्द्रमा पर मानव के उतरने के उपलक्ष्य में बधाई का प्रस्ताव (सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया)	३७–४२
शनिवारों को बैठक करने तथा सदन के समय में परिवर्तन करने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	४२–४८

वृहस्पतिवार, २४ जुलाई, १९६९

उपस्थित सदस्य	४९–५३
प्रश्नोत्तर	५४–९१
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्तियां	९२
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९	९२
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९	९३
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९६९	
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ ..	९३
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	९३

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (गांव सभाओं में अनुदानों का वितरण) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	९४
उत्तर देश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी)	९४
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	९४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	९४
हरिद्वार अर्द्ध कुम्भ मेला नियम, १९६८ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	९४
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन सम्बन्धी आदेश (सदन के पटल पर रखा गया)	९५
विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे १९६६–६७ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६८ (सदन के पटल पर रखी गयी)	९५
उत्तर प्रदेश कर जांच समिति प्रतिवेदन १९६८–६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	९५
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	९५
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अभिलेखों का अनुरक्षण तथा निदान) नियमावली, १९६८ (सदन के पटल पर रखी गयी)	९५
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	९६
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	९६
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में कृतज्ञता के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का उत्तर	९६
यूनाइटेट प्राविंसेज कोर्ट आफ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७ (सदन के पटल पर रखा गया)	९७
संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	९७
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	९७
चतुर्थ विधान सभा की विशेषाधिकर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	९७
विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनायें	९८–१०३
१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद	१०३–१५०
गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की गोली से हत्या के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	१५०–१५१
१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)	१५२–१५४

विषय	पृष्ठ संख्या
गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की गोली से हत्या के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)	१५४–१५७
१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)	१५७–१५९
नत्थियां	१६०–१७८

शुक्रवार, २५ जुलाई, १९६९

उपस्थित सदस्य	१७९–१८३
प्रश्नोत्तर	१८४–२०९
भूतपूर्व सदस्य, श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल के निधन पर शोकोद्गार ..	२०९–२११
ध्वनिवर्द्धक यंत्रों में वृद्धि करने की प्रार्थना	२११–२१२
सदन में राष्ट्रीय ध्वज सब से ऊपर लगाने की प्रार्थना	२१२
दि डीलिमिटेशन आफ पार्लियामेंटरी ऐण्ड असेम्बली कान्स्टीट्यूएन्सीज आर्डर, १९६६ (सदन के पटल पर रखा गया)	२१२
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (स्थगित)	२१३
ग्राम चिलवारा, थाना खैराबाद में ११ व्यक्तियों को आग से जलाकर मारने के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	२१३–२१४
१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	२१५–२७०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाओं को लेने की मांग (निर्णय स्थगित) ..	२७०–२७४
१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	२७४–२७६
गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की हत्या के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२७६–२८६
नत्थियां	२८७–२९५

शनिवार, २६ जुलाई, १९६९

उपस्थित सदस्य	२९७–३०१
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३०१
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गई)	३०१
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३०२
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (का वाहियों का संचालन) (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गई)	३०२
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गई)	३०२

विषय	पृष्ठ संख्या
नगर महापालिका, इलाहाबाद चुंगी नियमावली, १९६८ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३०२
श्री बांके लाल द्वारा कृषि मंत्री के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३०२–३०४
चिकित्सा मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	३०४–३०७
श्री बांकेलाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	३०७–३०८
सदन में राष्ट्रीय पताका का स्थान	३०८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों को पूर्वान्ह में लेने का सुझाव	३०९
१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	३०९–३६६
सतिया हत्याकाण्ड से सम्बन्धित एफ० आई० आर० की प्रति की मांग ..	३६६
माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षाफल रोके जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	३६६
बलिया नगरपालिका के २० गांवों में जमींदारी समाप्त न करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	३६७
सिंथेटिक्स ऐण्ड केमिकल्स, बरेली की बन्दी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	३६७
म्योर मिल के मजदूरों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	३६७
मऊनाथ भंजन में साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	३६७
नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	३६८
बलिया नगरपालिका के २० गांवों में जमींदारी समाप्त न करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	३६९–३७२
गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	३७२–३८०

सोमवार, २८ जुलाई, १९६९

उपस्थित सदस्य	३८१–३८५
कार्य सूची न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत	३८५
प्रश्नोत्तर	३८५–४०४
प्रश्नोत्तर सम्बन्धी आपत्तियां	४०४–४०५
श्री उदित नारायण द्वारा डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	४०५–४०९
१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	४०९–४५०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	४५०
गोरखपुर जिले के ग्राम मुंगलहा में लूटमार तथा झोपड़ियों को जलाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४५१–४५५

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हजारों विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित न करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४५५–४६१
सिंथेटिक्स ऐंड केमिकल्स लि०, बरेली में बन्दी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४६२–४६५
नत्थियां	४६६–४७८

मंगलवार, २९ जुलाई, १९६९

उपस्थित सदस्य	४७९–४८३
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	४८३–४८४
प्रश्नोत्तर	४८५–५१७
श्री उदित नारायण द्वारा डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना	५१८–५१९
सीनियर सुपरिन्टेंडेन्ट आफ पुलिस, वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५२०–५२८
सतिया हत्याकांड के संबंध में न्यायिक जांच की मांग	५२८–५३०
विशेषाधिकार की अवहेलना की अन्य सूचनायें	५३१
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव	५३१–५३२
१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (समाप्त)	५३२–५७६
मऊनाथ भंजन के साम्प्रदायिक दंगे पर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा के लिये समय के सम्बन्ध में सूचना	५७७
गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर में सतिया नामक लड़की की हत्या के संबंध में उप-मुख्य मंत्री का वक्तव्य	५७७–५७९
सीतापुर में लड़कियों की बिक्री के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५७९–५८२
म्योर मिल कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के श्रमिकों द्वारा अनशन के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	५८२–५८७
चीनी मिलों पर सरकारी टैक्स की बकाया धनराशि तथा विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स, प्राइवेट लिमिटेड की आर्थिक स्थिति के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा	५८८–५९२
नत्थियां	५९३–६०६

बुधवार, ३० जुलाई, १९६९

उपस्थित सदस्य	६०७–६११
प्रश्नोत्तर	६१२–६४१
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी (जारी)	६४१
राष्ट्रीय पताका को सदन में उचित स्थान पर लगाने की प्रार्थना ..	६४१–६४२

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी..	६४२
सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी) ..	६४३–६५७
राजस्व मन्त्री द्वारा नियम ५२ के अन्त र्त दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	६५७–६५८
१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लियें मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १––वृहत जोतकर, अनुदान संख्या २––भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८––दुर्भिक्ष सहायता (जारी)	६५९–६८८
साहू केमिकल्स, वाराणसी में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	६८९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें (जारी) ..	६८९
सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के निर्णय के स्थगन की सूचना	६८९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें.. ..	६९०–६९१
१९६९-७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान सख्या १–वृहत जोतकर, अनुदान सख्या २––भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८–दुर्भिक्ष सहायता (जारी)	६९१–६९८
नत्थियां	६९९–७१०

वृहस्पतिवार, ३१ जुलाई, १९६९

उपस्थित सदस्य	७११–७१५
प्रश्नोत्तर	७१६–७४२
उत्तर प्रदेश (नागर-क्षेत्र) भूमि और भवन-कर निर्धारण (संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	७४२
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आसुधार शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	७४३
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, १९६६ तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय) संशोधन नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखे गये)	७४३
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	७४३
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६७, उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, १९६६ तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयीं)	७४४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थागित) ..	७४४

विषय	पृष्ठ-संख्या
सीनियर सुपरिन्टेंडेन्ट आफ पुलिस, वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (स्थगित) ..	७४४–७४७
श्री उदित नारायण द्वारा डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के विरुद्ध तथा डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी द्वारा श्री उदित नारायण व श्री शिवराज सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें (समाप्त) ..	७४७–७५७
सदस्यों के बल परिवर्तन के संबंध में सूचना	७५७
श्री चरण सिंह द्वारा डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण	७५८–७६१
१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १—बृहत जोतकर, अनुदान संख्या २–भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता (जारी)	७६१–७६२
श्री बैजनाथ द्वारा पुनः बल परिवर्तन के संबंध में सूचना	७६२
१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—बृहत जोत-कर, अनुदान संख्या २–भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	७६२–७७४
अनुदान संख्या १६–खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५३–राज्य व्यापार की योजनायें (जारी)	७७४–७९१
कार्य—स्थगन प्रस्ताओं के सम्बन्ध में सूचनायें	७९१
ग्राम तीनपानी, जिला नैनीताल में श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर की गुंडों द्वारा लूट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	७९२–७९५
१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १६–खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५३–राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत)	७९५–८०२
नत्थियां	८०३–८०६

शुक्रवार, १ अगस्त, १९६९

उपस्थित सदस्य	८०७–८११
प्रश्नोत्तर	८१२–८२८
श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	८२९
श्री सूबेदार सिंह द्वारा श्री डी० पी० बोरा के विरुद्ध शिकायत	८२९–८३२
सतिया हत्याकांड में न्यायिक जांच कराने के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	८३२–८४१
१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	८४२–८८४
कार्यवृत्त में संशोधन की सूचना	८८४

विषय	पृष्ठ–संख्या
इलाहाबाद नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा मल्लाहों पर गोली चलाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	८८४
नियम ५१ के अन्तर्गत कतिपय सूचनायें	८८४–८८५
गाजियाबाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	८८५
हरदोई जिले के तेजपुरवा ग्राम के संबंध में नियम ५१ तथा ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	८८५
साहू केमिकल्स, वाराणसी में तालाबन्दी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	८८६–८९२
नत्थी	८९३–८९४

सोमवार, ४ अगस्त, १९६९

उपस्थित सदस्य	८९५–८९९
प्रश्नोत्तर	८९९–९१४
श्री डी० पी० बोरा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	९१४–९१५
श्री बलवीर सिंह द्वारा श्री डी० पी० बोरा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री तथा जिला अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी)	९१५–९१६
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच उच्चाधिकार सम्पन्न न्यायिक जांच आयोग द्वारा कराने के सम्बन्ध में नियम ३०८ के अन्तर्गत सूचना	९१६–९३०
श्री बलवीर सिंह द्वारा श्री डी० पी० बोरा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री तथा जिलाधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित) ९३०–९४६	
१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतें तथा अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय (स्वीकृत)	९४६–९७४
नियम ५६ के अन्तर्गत सूचनायें (अनुमति नहीं दी गई)	९७४
ग्राम सिसौटी, जिला मुरादाबाद में हरिजनों पर हमले के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	९७४–९७६
ग्राम तीनपानी, जिला नैनीताल में श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर पर गुन्डों द्वारा हमले के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	९७६–९८१
इलाहाबाद नगर महापालिका कर्मचारियों द्वारा मल्लाहों पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन	९८१–९८३
मऊनाथ भंजन में साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा ..	९८३–१००६

शासन

राज्यपाल

डा० बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी

मंत्रि–परिषद्

—०—

(१) श्री चन्द्रभानु गुप्त, सदस्य विधान सभा, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, गृह, सूचना, वन तथा आबकारी मंत्री ।
(२) श्री कमलापति त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा, उप मुख्य मंत्री, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री ।
(३) श्री गिरधारीलाल, सदस्य विधान सभा, सार्वजनिक निर्माण तथा राज्य सम्पत्ति मंत्री ।
(४) श्री मंगला प्रसाद, सदस्य विधान परिषद्, खाद्य तथा रसद मंत्री ।
(५) श्री चतुर्भुज शर्मा, सदस्य विधान सभा, राजस्व तथा सहायता एवं पुनर्वास मंत्री ।
(६) डा० सीताराम, सदस्य विधान सभा, कृषि उत्पादन, गन्ना विकास तथा पशु-पालन मंत्री ।
(७) श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, सदस्य विधान सभा, उद्योग तथा परिवहन मंत्री ।
(८) श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, सदस्य विधान सभा, वित्त मंत्री ।
(९) श्री रामजीलाल सहायक, सदस्य विधान सभा, शिक्षा मंत्री ।
(१०) श्री लक्ष्मीशंकर यादव, सदस्य विधान सभा, सहकारिता मंत्री ।
(११) श्रीमती विद्यावती राठौर, सदस्य विधान सभा, हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री ।
(१२) श्री स्वामी प्रसाद सिंह, सदस्य विधान सभा, न्याय मंत्री ।
(१३) श्री नारायणदत्त तिवारी, सदस्य विधान सभा, नियोजन तथा श्रम मंत्री ।
(१४) श्री कृष्णानन्द राय, सदस्य विधान सभा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य मंत्री ।
(१५) श्री अतीकुर्रहमान, सदस्य विधान सभा, स्वायत्त शासन मंत्री ।
(१६) श्री अजीत प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा, कारागार तथा नागरिक सुरक्षा मंत्री ।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
१	अजब सिंह, श्री	कांधला
२	अजीत प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
३	अतीकुर्रहमान, श्री	नगीना
४	अनन्त राम जायसवाल, श्री	नवाबगंज
५	अनवार अहमद, श्री	उन्नाव
६	अनीसुर्रहमान, श्री	गंगीरी
७	अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री	सादुल्ला नगर
८	अब्दुल सलाम शाह, श्री	कमालगंज
९	अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री	नौगढ़
१०	अमरनाथ, श्री	कोलासला
११	अली जहीर, श्री सैयद	पीलीभीत
१२	अवधेश कुमार, श्री	मिसरिख
१३	अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	बरहज
१४	अवेद्यनाथ, श्री	मानीराम
१५	अशफाक अहमद, श्री	बरेली कैंट
१६	अशरफ अली खां, श्री	सादाबाद
१७	अहमद लूत खां, श्री	अलीगढ़
१८	अहमदुल्ला खां, श्री	ठाकुरद्वारा
१९	आनन्द ब्रह्म शाह, राजा	राजगढ़
२०	आनन्द सिंह, श्री	मनकापुर
२१	आबिद अली, श्री	लहरपुर
२२	आशाराम इन्दु, श्री	हस्तिनापुर (अ०जा०)
२३	आशा सिंह, श्रीमती	हरदोई
२४	इन्द्रजीत, श्री	किशुनपुर (अ० जा०)
२५	इन्द्रमणी, श्री	देव प्रयाग
२६	इन्द्र मोहिनी, श्रीमती	चन्दौसी
२७	इन्द्रलाल, श्री	हलद्वानी (अ० जा०)
२८	इम्तियाज हुसैन, श्री	लखनऊ (मध्य)
२९	ईश्वर दयाल, श्री	मुराद नगर
३०	उदय नाथ, श्री	चिरई गांव
३१	उदय प्रताप सिंह, श्री	लम्भुवा
३२	उदित नारायण, श्री	खजुहा
३३	उपेन्द्र नाथ, श्री	सरसौल
३४	उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भव्या जी)	फतेहपुर

१	२	३
३५—उमादत्त शर्मा, श्री	.. .. ..	मेरठ (कैंट)
३६—उमानाथ सिंह, श्री	.. .. ..	बयालसी
३७—उमाशंकर तिवारी, श्री	.. .. ..	मुगलसराय
३८—उमाशंकर शुक्ला, श्री	.. .. ..	शाहजहांपुर
३९—ऋषिपाल सिंह, श्री	.. .. ..	गुम्भौर
४०—ए० सी० ग्राइस, श्री	.. .. ..	—
४१—ओम प्रकाश सिंह, श्री	.. .. ..	आलमपुर
४२—कन्हैयालाल, श्री	.. .. ..	गोवर्द्धन (अ० जा०)
४३—कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री	.. ..	पिहानी (अ०जा०)
४४—कन्हैयालाल सोनकर, श्री	.. ..	चायल (अ०जा०)
४५—कमलापति, श्री	.. .. ..	चन्दौली
४६—करन सिंह, श्री	.. .. ..	निघासन
४७—कला रानी, श्रीमती	.. .. ..	बिलग्राम
४८—कल्प नाथ सिंह, श्री	.. .. ..	चिल्लूपार
४९—कल्यान सिंह, श्री	.. .. ..	अतरौली
५०—काजी मसूद, श्री	.. .. ..	नकुड़
५१—किशनलाल, श्री	.. .. ..	बरखेड़ा (अ० जा०)
५२—कुदसिया बेगम, श्रीमती	.. .. ..	संडीला
५३—कृपा दयाल, श्री	.. .. ..	बिसवां
५४—कृष्णकान्त, श्री	.. .. ..	बेहटा
५५—कृष्णचन्द्र, श्री	.. .. ..	महरौनी
५६—कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	.. ..	खागा
५७—कृष्ण मगन सिंह, श्री	.. .. ..	रुदौली
५८—कृष्ण सिंह, श्री	.. .. ..	उत्तरकाशी
५९—कृष्ण स्वरूप, श्री	.. .. ..	बदायूं
६०—कृष्णानन्द राय, श्री	.. .. ..	बिलवार नगर
६१—केदार नाथ, श्री	.. .. ..	बहराइच
६२—केशवचन्द्र सिंह, श्री	.. .. ..	जलालाबाद
६३—केशोराम, श्री	.. .. ..	अंबियापुर (अ०जा०)
६४—केशोराम, श्री	.. .. ..	आंवला (अ० जा०)
६५—कोरी सुखलाल, श्री	.. .. ..	अजीतमल (अ० जा०)
६६—खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री	.. ..	अनूपशहर
६७—गंगा प्रसाद, श्री	.. .. ..	एटा
६८—गंगा प्रसाद, श्री	.. .. ..	महादेवा (अ० जा०)
६९—गंगा सिंह, श्री	.. .. ..	निधौली कलां
७०—गजेन्द्रसिंह, श्री	.. .. ..	बिधूना
७१—गनेशदत्त बाजपेयी, श्री	.. .. ..	जनरलगंज
७२—गया प्रसाद, श्री	.. .. ..	बिहार (अ० जा०)
७३—गायत्री देवी, श्रीमती	.. .. ..	इगलास
७४—गिरजा शंकर, श्री	.. .. ..	बरियाबाद

१	२	३
७५—गिरधारी लाल, चौधरी	.. .. ..	अफजलगढ़ (अ० जा०)
७६—गुप्तार सिंह, श्री	.. .. ..	सरेनी
७७—गुलाब सिंह, श्री	.. .. ..	मंसूरी
७८—गुँदासिंह, श्री	.. .. ..	सेवरही
७९—गोपाल दत्त, श्री	.. .. ..	डीडीहाट
८०—गोपी नाथ दीक्षित, श्री	.. .. ..	बांगरमऊ
८१—गोविन्द सिंह, श्री	.. .. ..	टिहरी
८२—गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री	.. ..	कर्बी
८३—घासीराम, श्री	.. .. ..	लखना (अ० जा०)
८४—चंचल सिंह, श्री	.. .. ..	बिलासपुर
८५—चतुर्भुज शर्मा, श्री	.. .. ..	उरई
८६—चन्द्रनारायन सिंह, श्री	.. .. ..	चरखारी
८७—चन्द्रपाल आजाद, श्री	.. .. ..	गोकुल
८८—चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुवर	.. ..	पड़रौना
८९—चन्द्रभान, श्री	.. .. ..	कैराना
९०—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	.. ..	रानीखेत
९१—चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	.. ..	भिनगा
९२—चन्द्रमोहन, श्री	.. .. ..	लैंसडाउन
९३—चरणसिंह, श्री	.. .. ..	छपरौली
९४—चित्तर सिंह, श्री	.. .. ..	माधोगढ़
९५—चिरंजीलाल, श्री	.. .. ..	जलेसर (अ० जा०)
९६—चेतराम गंगवार, श्री	.. ..	नवाबगंज
९७—छांगुर, श्री	.. .. ..	मेहनगर (अ०जा०)
९८—छेदा लाल चौधरी, श्री	.. ..	बांकेगंज (अ०जा०)
९९—जंगबहादुर, श्री	.. .. ..	जौनपुर
१००—जंगबहादुर सिंह, श्री	.. ..	अतरौलिया
१०१—जंगदम्बा प्रसाद श्री	.. ..	जलालपुर
१०२—जगदीश गांधी, श्री	.. ..	सिकन्दराराऊ
१०३—जगदीश प्रसाद, श्री	.. ..	कादीपुर (अ० जा०)
१०४—जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)	..	छिबरामऊ
१०५—जगन्नाथ खन्ना, श्री	.. ..	सहारनपुर
१०६—जगन प्रसाद रावत, श्री	.. ..	खेरागढ़
१०७—जगन्नाथ प्रसाद, श्री	.. ..	धौरहरा
१०८—जगन्नाथ राव, श्री	.. ..	मड़ियाहूं
१०९—जगमोहन वर्मा, डाक्टर	.. ..	झांसी
११०—जगरनाथ, श्री	.. .. ..	चिलकहर
१११—जगवीर सिंह, श्री	.. ..	अगौता
११२—जमादार, श्री	.. .. ..	सरधना
११३—जयनारायन सिंह, श्री	.. ..	हसवा
११४—जलील अब्बासी, श्री	.. ..	डुमरियागंज

१	२		३
११५—जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	..	..	गंगेश्वरी (अ० जा०)
११६—जे० एन० सिन्हा, श्री	..	..	रुड़की
११७—जैराम, श्री ..	..	..	कुंडा
११८—ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री	..	..	भोगनीपुर (अ० जा०)
११९—डी० पी० बोरा, श्री	..	..	लखनऊ (पश्चिमी)
१२०—डूंगर सिंह, श्री ..	..	..	नैनीताल
१२१—तिरमलसिंह श्री ..	..	..	पटियाली
१२२—तेजनरायन, श्री ..	..	..	लखीमपुर
१२३—तेजपाल, श्री ..	..	..	घाता
१२४—तेजबहादुर, श्री ..	..	..	बीसलपुर
१२५—तेजभान सिंह, कुंवर	..	..	रामपुर खास
१२६—त्रिलोक चन्द श्री	..	..	छतारी (अ० जा०)
१२७—त्रिवेणी, श्री ..	..	..	लालगंज
१२८—त्रिवेणी सहाय, श्री	..	..	गोंडा
१२९—त्रिवेनी सहाय, श्री	..	..	दातागंज
१३०—दलसिंगार, श्री	..	..	गोपालपुर
१३१—दीपनारायन बन, श्री	..	..	मुजहेना
१३२—दीप नारायण मणि, श्री	..	..	देवरिया
१३३—दुर्जन, श्री ..	..	..	बबेरू
१३४—दुलारे लाल, श्री ..	..	..	पुरवा (अ० जा०)
१३५—देवकी नन्दन विभव,श्री	..	..	आगरा (कैन्ट)
१३६—देवराम, श्री ..	..	..	जखनियां (अ० जा०)
१३७—देवेन्द्र सिंह, कुंवर	..	..	नजीबाबाद
१३८—धनुष धारी पांडेय, श्री	..	..	खलीलाबाद
१३९— धर्मदत्त, श्री ..	..	..	शेरगढ़
१४०—धर्मवीर, श्री ..	..	..	मंझनपुर (अ०जा०)
१४१— धर्मवीर सिंह, श्री	..	..	मोरना
१४२—धर्मवीर सिंह, श्री	..	..	बरनावा
१४३— धर्मसिंह, श्री ..	..	..	जेवर (अ० जा०)
१४४—धूम प्रसाद, श्री ..	..	..	सोहावल (अ० जा०)
१४५—नगीना सिंह, श्री	..	..	कोपाचीट
१४६—नत्था राम रावत, श्री	..	..	फतेहपुर (अ० जा०)
१४७—नरेन्द्र सिंह, श्री ..	..	..	बद्री केदार
१४८—नरेन्द्र सिंह, श्री ..	..	..	पिथौरागढ़
१४९—नरोत्तम सिंह, श्री	..	..	उसहत
१५०—नसीमउद्दीन, श्री	..	..	चमनगंज
१५१—नारायण दत्त तिवारी, श्री	..	..	काशीपुर
१५२—नारायण दास, श्री	..	..	मोहनलाल गंज (अ० जा०)
१५३—नित्यानन्द स्वामी, श्री	..	..	देहरादून

१	२	३
१५४- निर्भय नारायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	..	सिकन्दरपुर
१५५- निहाला सिंह, श्री	.. ..	औराई
१५६ नेतराम सिंह, श्री	.. ..	कासगंज
१५७ नैनसिंह, श्री ..	.. ..	चरथावल (अ० जा०)
१५८ —नैपाल, श्री ..	.. ..	खेकड़ा
१५९ —नौनिहाल सिंह, श्री	.. ..	कांठ
१६०—पन्नालाल, श्री ..	.. ..	बिन्दकी
१६१ - परमाई लाल, श्री	.. ..	अहिरोरी (अ० जा०)
१६२ —पारसनाथ सिंह, श्री	.. ..	नानपारा
१६३—पूरन चन्द, श्री ..	.. ..	कोल (अ० जा०)
१६४— प्यारेलाल, श्री ..	.. ..	गाजियाबाद
१६५ —प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती	.. ..	फरेंदा
१६६—प्रकाश नारायन गुप्ता, डा०	.. ..	आगरा (पूर्वी)
१६७ —प्रताप नारायण, श्री	.. ..	हमीरपुर
१६८ —प्रभाकर त्रिपाठी, श्री	.. ..	गोविन्दनगर
१६९—प्रियदर्शी जेटली, श्री	.. ..	अकबरपुर
१७०— प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री	.. ..	हाथरस
१७१— प्रेम नारायण, श्री	.. ..	मऊरानीपुर (अ० जा०)
१७२— फिरंगी, श्री ..	.. ..	झंगहा (अ० जा०)
१७३—बंश गोपाल शुक्ल, श्री	.. ..	लखनऊ (पूर्बी)
१७४—बंशीधर, श्री ..	.. ..	शाहाबाद (अ० जा०)
१७५ बंशीधर पांडेय, श्री	.. ..	ज्ञानपुर
१७६— बंशीधर मिश्रा, श्री	.. ..	फूलजहड़
१७७ बच्चा पाठक, श्री ..	.. ..	बांसडीह
१७८ बदन सिंह, श्री ..	.. ..	सकीट
१७९ बद्री प्रसाद, श्री ..	.. ..	मियागंज (अ० जा०)
१८०— बनारसी, श्री ..	.. ..	मार्टीनगंज (अ० जा०)
१८१—बब्बन, श्री ..	.. ..	सीयर
१८२—बलराम सिंह यादव, श्री	.. ..	भरथना
१८३— बलबीर सिंह, श्री	.. ..	गढ़मुक्तेश्वर
१८४ —बसन्तलाल, श्री ..	.. ..	कोंच (अ० जा०)
१८५— बसन्त लाल, श्री	.. ..	मलिाहबाद (अ० जा०)
१८६— बसन्त लाल शर्मा, श्री	.. ..	शिवपुर
१८७ बांकेलाल, श्री	.. ..	हाटा
१८८ बिशन लाल, श्री	.. ..	बहजोई
१८९—बिहारी लाल, श्री	.. ..	कन्नौज
१९० —बेनीसिंह, श्री ..	.. ..	घाटमपुर
१९१— बैजनाथ, श्री ..	.. ..	नौरंगिया (अ० जा०)

१	२	३
१९२– बैजनाथ, श्री	.. ..	धानापुर
१९३—ब्रजराज सिंह, श्री	.. ..	मौदहा
१९४—भगवत दयाल सिलौइया, डाक्टर	..	ललितपुर (अ० जा०)
१९५—भगवती सिंह विशारद, श्री	.. ..	भगवन्त नगर
१९६—भगेलू सिंह श्री ..	.. ..	करनैल गंज
१९७ –भगौती प्रसाद, श्री	.. ..	इकौना (अ० जा०)
१९८—भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री	.. ..	कटेहरी
१९९—भगौती सिंह, श्री	.. ..	कैसरगंज
२००– भानु प्रताप सिंह, श्री	.. ..	भोजीपुरा
२०१– भानु प्रताप सिंह, श्री	.. ..	भन वापुर
२०२—भाभी, श्री ..	.. ..	मुबारकपुर
२०३—भारत सिंह चौहान, श्री	.. ..	औरेया
२०४– भीमा प्रसाद, श्री	.. ..	आजमगढ़
२०५– मंगल उपाध्याय, श्री	.. ..	रामकोला
२०६—मदन मोहन मिश्रा, श्री	..	रायबरेली
२०७ –मनफूल सिंह, श्री	.. ..	जानसठ (अ० जा०)
२०८ —मनसाराम, श्री ..	.. ..	शिकोहाबाद
२०९– मनोहर लाल, श्री	.. ..	कानपुर (कैंट)
२१०—मंजूर अहमद, श्री ..	.. ..	किठोर
२११– मलिखान सिंह, श्री	.. ..	मैनपुरी
२१२—मसाली देवी, श्रीमती	.. ..	बांसगांव
२१३ –महमूद हसन खां, श्री	.. ..	सम्भल
२१४ महरम सिंह, श्री ..	.. ..	फर्रूखाबाद
२१५ –महातम, श्री ..	.. ..	श्याम देवखा
२१६ –महादेव प्रसाद, श्री	.. ..	चर्दा (अ० जा०)
२१७ महाबीर सिंह, श्री	.. ..	चन्दौस
२१८ महाबीर सिंह, श्री	.. ..	देवबन्द
२१९ –महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)	.. ..	बांदा
२२०– महीलाल, श्री ..	.. ..	कुन्दरकी (अ० जा०)
२२१ –महेन्द्र सिंह, श्री ..	.. ..	खैर
२२२—महेन्द्र सिंह, श्री ..	.. ..	हसनपुर
२२३ महेश्वरदत्त सिंह, श्री	.. ..	बलराम पुर
२२४ माखन लाल, श्री ..	.. ..	हैदराबाद
२२५– माता प्रसाद, श्री	.. ..	शाहगंज (अ० जा०)
२२६ –माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री	.. ..	बांसी
२२७—मानवती देवी, श्रीमती	.. ..	बीकापुर
२२८—मुंशीलाल चमार, श्री	.. ..	करहल (अ०जा०)
२२९—मुमताज मोहम्मद खां, श्री	.. ..	स्थाना
२३०—मुल्तानसिंह, श्री	.. ..	टूंडला
२३१—मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री	.. ..	मसौली

१	२	३
२३२—मुहम्मद नबी, श्री	..	.. धधौली
२३३—मेहरबान सिंह, श्री	..	.. ऐवश्वेर
२३४—मैनेजरसिंह, श्री ..	..	.. द्वाबा
२३५—मोतीलाल, श्री ..	..	.. मछलीशहर
२३६—मोतीलाल देहलवी, श्री	..	.. बिल्हौर (अ०जा०)
२३७—मोहनलाल, श्री ..	..	.. महोबा (अ०जा०)
२३८—मोहनलाल कपूर, श्री	..	.. मेरठ
२३९—मोहनसिंह, श्री ..	..	.. तिलोई
२४०—मोहम्मद असरार अहमद, श्री	..	.. बिनावर
२४१—मोहम्मद महमूद अली खां, श्री	..	.. सरसावा
२४२—यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री	..	.. बरसठी
२४३—यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)		.. सिसवा
२४४—रघुनाथ सिंह, श्री ..	..	.. फतेहपुर सीकरी
२४५—रघुनाथ सिंह, श्री ..	..	.. सर्वनखेड़ा
२४६—रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री	..	.. जसराना
२४७—रघुराज सिंह, चौधरी	..	.. खुर्जा
२४८—रघुवीर सिंह यादव, श्री	..	.. घिरौर
२४९—रणजय सिंह, राजा	..	.. अमेठी
२५०—राजनाथ, श्री ..	..	.. साहात
२५१—राजपती देवी, श्रीमती	..	.. गौरीगंज
२५२—राजबहादुर चन्द, श्री	..	.. खेसरा
२५३—राज बिहारी सिंह, श्री	..	.. आराजी लाइन
२५४—राजमंगल पांडेय, श्री	..	.. कुशीनगर
२५५—राजाराम पांडेय, श्री	..	.. फिरोजाबाद
२५६—राजितराम, श्री ..	..	.. हड़िया
२५७—राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती	..	.. बस्ती
२५८—राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री	..	.. स्वारटांडा
२५९—राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर	..	.. इलाहाबाद (उत्तरी)
२६०—राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	..	.. सतांव
२६१—राजेश्वर सिंह, श्री	..	.. फरीदपुर
२६२—राम अवध, श्री ..	..	.. जहांगीर गंज (अ०जा०)
२६३—राम करन, श्री	..	.. सैदपुर
२६४—रामकरन, श्री	..	.. सहजनवा
२६५—राम किंकर, श्री	..	.. पट्टी (अ०जा०)
२६६—रामकिशोर शुक्ल, श्री	..	.. करछना
२६७—राम कुंवर, श्री	..	.. सगड़ी
२६८—रामकुमार, श्री ..	..	.. चौबेपुर
२६९—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	.. बानगंगा
२७०—रामगोपाल संड, श्री	..	.. इलाहाबाद (दक्षिण)
२७१—रामचन्द्र आजाद, श्री	..	.. टांडा

१	२	३
२७२—राम चन्द्र विकल, श्री	.. ..	दादरी
२७३—रामचरण, श्री ..	.. ..	बाह (अ० जा०)
२७४—रामचरण, श्री ..	.. ..	सिराथू
२७५—रामजियावन, श्री	.. ..	इसौली
२७६—रामजीलाल सहायक, श्री	.. ..	रौहटा (अ०जा०)
२७७—राम दुलारे, श्री ..	.. ..	बछरावां (अ० जा०)
२७८—राम देव, श्री ..	.. ..	बीरापुर
२७९—रामधारी, श्री ..	.. ..	फाजिल नगर
२८०—रामनिहोर, श्री	.. ..	भदोही (अ० जा०)
२८१— रामनिहोर राय, श्री	.. ..	मझवा (अ० जा०)
२८२—रामपति, श्री ..	.. ..	धुरियापार (अ० जा०)
२८३— रामपाल त्रिवेदी, श्री	.. ..	महोना
२८४—राम पाल सिंह, श्री	.. ..	बिजनौर
२८५—रामपाल सिंह यादव, चौधरी	.. ..	डेरापुर
२८६—राम पूजन पटेल, श्री	.. ..	कौड़िहार
२८७—राम प्यारे, श्री ..	.. ..	दुद्धी (अ० जा०)
२८८—राम प्यारे शुक्ला, श्री	.. ..	सुल्तानपुर
२८९—राम प्रसाद, श्री ..	.. ..	रोखा (अ०जा०)
२९०—राम प्रसाद देशमुख, श्री	.. ..	सासनी (अ० जा०)
२९१—राम बचन, श्री ..	.. ..	फूलपुर
२९२—रामबचन यादव, श्री	.. ..	रानी की सराय
२९३—राम मूर्ति 'अंचल', श्री	.. ..	ददरौल
२९४—राम रतन, श्री ..	.. ..	रसड़ा (अ०जा०)
२९५—राम रतन पांडेय, श्री	.. ..	उमर्दा
२९६—राम लखन, श्री	.. ..	चकिया (अ०जा०)
२९७—रामलखन शुक्ल, श्री	.. ..	कौड़ीराम
२९८—रामलखन सिंह, श्री	.. ..	बहादुरपुर
२९९—राम लगन दूबे, श्री	.. ..	लक्ष्मीपुर
३००—रामलाल, श्री ..	.. ..	गौरीबाजार
३०१—रामलाल भाई, श्री	.. ..	गोरखपुर
३०२—रामलाल राही, श्री	.. ..	हरगांव (अ० जा०)
३०३—राम विलास, श्री	.. ..	घोसी
३०४—रामशिरोमणि, श्री	. ..	गड़वारा
३०५—राम सागर, श्री	.. ..	केराकत (अ० जा०)
३०६—रामसिंह, श्री	.. ..	नागल (अ० जा०)
३०७—राम सिंह खन्ना, श्री	.. ..	बरेली सिटी
३०८—राम सूरत सिंह, श्री	.. ..	गाजीपुर
३०९—रामसेवक, श्री	.. ..	जगदीशपुर (अ०जा०)
३१०—राम स्वरूप वर्मा, श्री	.. ..	राजपुर
३११—राम हरख, श्री	.. ..	महसी

१	२		३
३१२—राव अब्दुर्राफे खां, श्री	..	..	भवन
३१३—रियासत हुसेन, श्री	..	..	मुरादाबाद (देहात)
३१४—रूपनाथ सिंह यादव, श्री	..	..	बहादुरपुर
३१५—रूपराम, श्री	..	..	पुवायां
३१६—लक्ष्मण स्वरूप, श्री	..	..	हापुड़ (अ० जा०)
३१७—लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री	..	..	मांट
३१८—लक्ष्मी शंकर यादव, श्री	..	..	खुटहन
३१९—लालन शर्मा, श्री	..	..	मल्लावां
३२०—लाल बहादुर, श्री	..	..	वाराणसी (कैंट)
३२१—लालसा, श्री	..	..	नत्थूपुर (अ० जा०)
३२२—लालसा प्रसाद, श्री	..	..	मेंहदावल
३२३—लालू, श्री	..	..	हरैया (अ०जा०)
३२४—लीलाधर, श्री	..	..	दयालबाग (अ०जा०)
३२५—वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री	..	..	जमानियां
३२६—वासुदेव, श्री	..	..	लक्ष्मणपुर
३२७—वासुदेव सिंह, श्री	..	..	फखरपुर
३२८—विजय कुमार त्रिपाठी, राजा	..	..	सरोजिनी नगर
३२९—विक्रम सिंह, श्री	..	..	बड़ौत
३३०—विजय पाल सिंह, श्री	..	..	गैसड़ी
३३१—विजय बहादुर सिंह, श्री	..	..	मिर्जापुर
३३२—विजय शंकर सिंह, श्री	..	..	मुहम्मदाबाद
३३३—विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	..	मोहम्मदाबाद
३३४—विशम्भर सिंह यादव, श्री	..	..	जसवन्तनगर
३३५—विश्रामदास, श्री	..	..	मेजा (अ० जा०)
३३६—विश्वनाथ कपूर, श्री	..	..	अयोध्या
३३७—विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	..	..	सोरांव
३३८—वीर बहादुर सिंह, श्री	..	..	पनियारा
३३९—वीरेन्द्र कुमार, चौधरी	..	..	मछरेहटा (अ० जा०)
३४०—वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	..	खतौली
३४१—वीरेन्द्र स्वरूप, श्री	..	..	सिकन्दराबाद
३४२—शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री	..	..	वाराणसी (उत्तरी)
३४३—शकुंतला देवी, श्रीमती	..	..	हरौड़ा (अ० जा०)
३४४—शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री	..	..	वाराणसी (दक्षिण)
३४५—शफीक अहमद खां, श्री	..	..	बहेड़ी
३४६—शमीम आलम, श्री	..	..	बुलन्दशहर
३४७—शम्भूनाथ चौधरी, श्री	..	..	बलिया
३४८—शम्भू नारायण सिंह, श्री	..	..	माया
३४९—शान्ति चरन पिड़ारा, श्री	..	..	मथुरा
३५०—शान्ति देवी, श्रीमती	..	..	सहसवान
३५१—शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री	..	..	हरिद्वार

१	२	३
३५२—शिव कुमार, श्री	..	.. निगोही
३५३—शिव कुमार, श्री	..	.. जर्यासिह पुर
३५४—शिव कैलाश, श्री	..	.. सिद्धौर (अ० जा०)
३५५—शिवदास, श्री	..	.. चुनार
३५६—शिवपाल सिंह, श्री	..	.. विछिया
३५७—शिवप्रसाद पांडेय, श्री	..	.. सलोन
३५८—शिव बचन, श्री	..	.. सलेमपुर
३५९—शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)	..	.. चांदपुर
३६०—शिवराज सिंह, श्री	.	.. बिसौली
३६१—शिवलाल, श्री	..	.. आयनगर (अ० जा०)
३६२—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री	..	.. किशनी
३६३—शिवशंकर, श्री	..	.. कासिमाबाद
३६४—शिव शंकर सिंह, श्री	..	.. डलमऊ
३६५—शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री	..	.. कालपी
३६६—शिवानन्द नौटियाल, श्री	..	.. पौड़ी
३६७—शीतला प्रसाद सिंह, श्री	..	.. तरबगंज
३६८—शुकरू, श्री	..	.. बेनीगंज (अ० जा०)
३६९—शेर अली खां, श्री	..	.. मोहीनगर
३७०—शेर सिंह दानू, श्री	..	.. कर्ण प्रयाग
३७१—शेष नारायण शुक्ल, श्री	..	.. राम नगर
३७२—शौनाथ सिंह, श्री	..	.. नूरपुर
३७३—श्याम किशोर डाक्टर	..	.. सीतापुर
३७४—श्याम लाल, श्री	..	.. मोहम्मदाबाद गोहना (अ० जा०)
३७५—श्याम लाल रावत, श्री	..	.. सिधौली (अ० जा०)
३७६—श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)		.. महमूदाबाद
३७७—श्याम सूरत, श्री	..	.. प्रतापपुर
३७८—श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री	..	.. कल्याणपुर
३७९—श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा	..	.. छानबे
३८०—श्री राम सिंह, श्री	..	.. कटरा बाजार
३८१—श्रीशचन्द्र, श्री	..	.. बाबन
३८२—सईद मुर्तजा, श्री	..	.. मुजफ्फरनगर
३८३—सच्चिदानन्द, श्री	..	.. लखनऊ (केन्टोनमेंट)
३८४—सजीवन लाल, श्री	..	.. हसनगंज
३८५—सतीश चन्द्र, श्री	..	.. अलीगंज
३८६—सत्तार अहमद, श्री	..	.. धामपुर
३८७—सन्तराम, श्री	..	.. तुलसीपुर (अ० जा०)
३८८—सन्तू, श्री	..	.. हंसर बाजार (अ० जा०)
३८९—सरदार सिंह, श्री	..	.. मुजफ्फराबाद

१	२	३
३९०—सरस्वती देवी, श्रीमती	.. ..	बागेश्वर (अ०जा०)
३९१—सर्वसुख सिंह, श्री	.. ..	बारा
३९२—सिया दुलारी, श्रीमती	.. ..	मानिकपुर (अ०जा०)
३९३—सियाराम, श्री	.. ..	सोरों (अ० जा०)
३९४—सियाराम गंगवार, डाक्टर	.. ..	कायमगंज
३९५—सीताराम, डाक्टर	.. ..	रुद्रपुर (अ० जा०)
३९६—सुखबीर, श्री	.. ..	लकसर
३९७—सुखपाल पांडेय, श्री	.. ..	विक्रमजोत
३९८—सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री	.. ..	बबीना
३९९—सुरेन्द्र विक्रम, श्री	.. ..	तिलहर
४००—सूबेदार प्रसाद, श्री	.. ..	राबर्ट्सगंज (आ० जा०)
४०१—सूबेदार सिंह, श्री	.. ..	भोगांव
४०२—सूरजलाल, श्री	.. ..	उतरौला
४०३—सूर्यनाथ, श्री	.. ..	रारी
४०४—सेवाराम,श्री	.. ..	मोहमदी (अ० जा०)
४०५—सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब	.. ..	रामपुर
४०६—सोहन लाल धुसिया, श्री	.. ..	साऊघाट (अ० जा०)
४०७—सौभाग्यवती, श्रीमती	.. ..	अमरोहा
४०८—स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	.. ..	राठ
४०९—हंसा, श्री	.. ..	महाराजगंज (अ० जा०)
४१०—हबीब अहमद, श्री	.. ..	इलाहाबाद (पश्चिमी)
४११—हबीबुर्रहमान, श्री	.. ..	मऊ
४१२—हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती	.. ..	हैदरगढ़
४१३—हरनरायन, श्री	.. ..	पूरनपुर
४१४—हरबंश प्रसाद,श्री	.. ..	नरनी
४१५—हरिनाथ तिवारी, श्री	.. ..	मिलकीपुर
४१६—हरिप्रसाद शाही, डाक्टर	.. ..	पिपराइच
४१७—हरिवंश, श्री	.. ..	भाटपाररानी
४१८—हरिहर बख्श सिंह, राजा	.. ..	शाहाबाद
४१९—हरीदत्त काण्डपाल, श्री	.. ..	द्वाराहाट
४२०—हरीसिंह, श्री	.. ..	अल्मोड़ा
४२१—हलीमउद्दीन राहत मौलाई, श्री	..	मुरादाबाद (नगर)
४२२—हिम्मतसिंह, श्री	.. ..	डिबाई
४२३—हुक्मसिंह, श्री	.. ..	आगरा (पश्चिमी)
४२४—हुक्मसिंह, श्री	.. ..	फतेहाबाद
४२५—होतीलाल अग्रवाल, श्री	.. ..	इटावा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ जुलाई, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४०८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जाससवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद लूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्र नाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्रीमती
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री

खचेड़ासिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गैंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीरा , श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनरायन, श्री
तेजपाल , श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीप नारायन बन, श्री
दीपनारायण मगि , श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मबीर, श्री
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्रसिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लालबाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री

पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बल्बन, श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्र
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान्तसिंह, श्री
मखाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भइया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफ़ा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ़ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती

राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबचन यादव, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफ़ी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेवसिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)

शिव कैलाश, श्री
शिवबास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
श नाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छुन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री,
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुखसिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबअहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्र ..द शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा-फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा-पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

भूतपूर्व राष्ट्रपति, डाक्टर जाकिर हुसैन के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

अध्यक्ष महोदय, आज हम ३, ४ महीने के बाद यहां पर उपस्थित हुये हैं। इस बीच म हमारे राष्ट्र ने सार्वजनिक जीवन में कई क्षतियां झेली हैं। सर्वप्रथम, राष्ट्र ने हमारे तीसरे राष्ट्रपति, जब से हमारे देश की आजादी का संविधान बना है, माननीय डा० जाकिर हुसैन को इन ३, ४ महीनों की अवधि के बीच खोया है। माननीय डा०जाकिर हुसैन, हमारे देश के, हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

राष्ट्र के उन प्रमुख व्यक्तियों में से रहे हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रहकर मुख्यतः शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करके देश की महती सेवा की । वे उन महान् विभूतियों में रहे हैं जिन्होंने गांधी जी के सम्पर्क में आकर गांधी जी के विचारों को कार्य रूप में परिणत करने की दिशा में वर्षों तक प्रयास किया है। वे देश की उन विभूतियों में रहे हैं जिन्होंने त्याग और सादगी का जीवन व्यतीत करके सार्वजनिक जीवन के स्तर को ऊंचा करने की दिशा में सदा कार्य किया है। वे देश की उन महान् विभूतियों में रहे हैं जिन्होंने इस युग में अपने विचारों, अपने खयालात को तथा देश की संस्कृति को, इस देश की धर्मनिरपेक्षता की विचार धारा को, मानवता के प्रति शालीनता के विचारों को संसार के अन्य देशों में भी प्रचारित करने का प्रयास किया है। वे आज हमारे बीच म नहीं हैं। वे इस संसार से विदा हो गये हैं परन्तु उनकी कीर्ति हमारी नजरों के सामने जगमगाती हुई दिखाई पड़ रही है।

वह यों तो हैदराबाद में पैदा हुये थे परन्तु उनका अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। शिक्षा प्राप्त करने का कार्य काल और उसके उपरान्त वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में इस प्रदेश में रहे। गांधी जी के वे विचार जिनके द्वारा वह शिक्षा के माध्यम से बुनियादी तालीम की नींव डालना चाहते थे, उस को माननीय जाकिर हुसैन ने जामिया मिल्लिया की स्थापना के द्वारा साक्षात् कराया। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जामिया मिल्लिया जो आज राष्ट्र की एक बहुत बड़ी शिक्षा संस्था है, वह उनके प्रयासों और सेवाओं का फल है, उनके त्याग का फल है और उनके विचारों की तरजुमानी का फल है जो उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ रह कर अपनाये थे और जिन्हें अपनाकर वह शिक्षा के माध्यम से देश में नये नागरिक को पैदा करना चाहते थे---वह नागरिक जो देश के प्रति प्रेम रखते हुए हर धर्म के प्रति सद्भावना रखते हुए संसार के रहने वालों के प्रति प्रेम की भावना रखे और संसार म शान्ति की व्यवस्था स्थापित कराने में अगुवा बने। जामिया मिल्लिया आज उनके विचारों की प्रतीक संस्था बनी हुई है, उनके सादगी के जीवन की प्रतीक संस्था बनी हुई है। उनका सादा जीवन और उच्च विचार आज भी हमें उनकी याद दिलाते हैं। यदि उनका बस चलता और परिस्थितियां उन्हें मजबूर न करतीं तो वे सदा शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य करते हुए देखे जाते, परन्तु परिस्थितियों ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र के बाहर भी कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। वे जहां २२ वर्ष तक जामिया मिल्लिया के उपकुलपति के रूप में सेवा करते रहे वहां उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की भी सेवा ८ वर्ष उपकुलपति के रूप में की और अपने विचारों का प्रभाव उन देश के भावी नागरिकों पर डालने की चेष्टा की जो आज के युग में अपना उत्तरदायित्व देश के निर्माण के संबंध में समझते हैं।

वे कौंसिल आफ स्टेट के सदस्य भी मनोनीत किये गये राष्ट्रपति के द्वारा और उस कोटि में मनोनीत किये गये जो बड़े-बड़े विद्वानों, पंडितों और विशेषज्ञों के लिए निर्धारित हैं। वे दो मर्तबा राज्य सभा के सदस्य बने और राज्य सभा के ही सदस्य होने के बाद वे बिहार के राज्यपाल भी नियुक्त हुए। उसके उपरान्त वे उपराष्ट्रपति १९६२ में चुने गये और उसके बाद वे १९६७ के मई महीने में हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गये।

जिन-जिन स्थानों पर वे रहे, जहां-जहां उन्होंने कार्य किया वहां उन्होंने अपने कार्य की छाप छोड़ी और अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने की दिशा में उन्होंने कार्य किया। कहीं वे सफल रहे, कहीं असफल रहे, परन्तु उत्तरोत्तर उनका प्रयास उन भावनाओं, विचारों, उन पद्धतियों और आदर्शों को समाज के अन्दर लाने की दिशा में बढ़ा, जो गांधी जी के विचार थे। उनके विचार सब के प्रति सद्भावना रखने वाले थे, सब को एक धागे में बांध कर ऐसे देश में चलाने वाले थे जहां पर कि बहुत से धर्म प्रचलित हों। उन्होंने सदा इस बात की चेष्टा की कि भारत जहां पर कि बहुत सी विभिन्नतायें रही हैं, और उनके होते हुय जो सदा अपनी एकता का परिचय देता रहा है, अपनी उस एकता को न भुलायें। उन्होंने सदा हर धर्म के

मानने वालों को एक धागे में बांधने का प्रयास किया। हमें दुःख है कि अचानक ही ३ मई, १९६९ को वे हमारे बीच से उठ गये और हमारे बीच अपनी उन स्मृतियों को छोड़ गये जो सदा उनके महान् गुणों की हमें याद दिलाती हैं। आज राष्ट्र को उनके चले जाने का बड़ा ही दुःख है। हम सब को जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनके चले जाने का बड़ा दुःख है। आज जब यहां पर हम इकट्ठा हुये हैं, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते ह कि वह उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे। आज हम सब को उनके जीवन से सबक लेते हुये उन्ह श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिये। हम उनके सबक को देश के कोने कोने म फैलाना चाहिये ताकि आज जो देश में कलह उभड़ते हुये हम देख रहे ह, जो धार्मिक झगड़े उभड़ते हुये हम देख रहे हैं, जो संकीर्णता के विचार जगह-जगह उठते हुये देख रहे हैं उनको दबाने में हम मददगार बन सकें और यह देश जो सदियों से विभिन्नताओं के रहते हुए भी सदा एकता के सूत्र में बंधा रहा है, बंधा रह सके और जो विचार "बसुधैव कुटुम्बकम्" के हमने अपनी संस्कृति के द्वारा संसार में प्रसारित किये उन्हें आगे भी फैलाया जा सके। हमारा कर्त्तव्य है कि ऐसे महान् व्यक्ति के प्रति दो मिनट खड़े हो कर हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। अध्यक्ष महोदय, आप से विनम्र निवेदन है कि आप इस सदन की भावनाओं को डाक्टर जाकिर हुसैन का जो दुखी परिवार है, उन तक पहुंचाने की कृपा करें और इन शब्दों के साथ पहुंचायें कि उनका दुख राष्ट्र का दुख है और सारा राष्ट्र उनके प्रति समवेदना प्रकट करता है।

*श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, डा० जाकिर हुसन साहब का, जैसा हम सब को मालूम है, निधन हो चुका है और उस सिलसिले में हम सब यहां पर समवेदना प्रकट करने के लिये इकट्ठा हुये हैं। माननीय नेता सदन ने जो विचार उस सिलसिले में फरमाये हैं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। डा० जाकिर हुसैन साहब अगरचे दो साल देश की सेवा कर पाये पर उनकी ७२ वर्ष की आयु थी और ७२ वर्ष की आयु कम तो नहीं कही जा सकती लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा था और मुझे एक दो बार उनके दर्शन करने का और बातचीत करने का मौका मिला तो मैं समझता था कि वे अपना पांच साल का पूरा कार्यकाल पूर्ण कर लेंगे, लेकिन इसी बीच उनको मृत्यु न आ घेरा। मृत्यु की बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता। न वह उमर को देखती है, न जवानी को देखती है और न बुढ़ापे को देखती है। जो कुछ माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने कहा, मैं उसको दोहराना आवश्यक नहीं समझता। केवल दो ही बातें मैं अर्ज करूंगा। एक तो यह कि मौलिक विचार देने वाले लोग किसी भी देश में कम होते हैं, हमारे देश में और भी कम। डा० जाकिर हुसैन उन चन्द आदमियों में से थे जिन्होंने देश को मौलिक विचार दिये। वे मौलिक विचार थे--बुनियादी शिक्षा। महात्मा जी को उनके विचार पसन्द आये और उन्होंने उनके सामने इसको कार्य में परिणत करने की जिम्मेदारी स्वीकृत की। तो एक तो उनके बेसिक एजूकेशन के लिये, विचार के लिये, देश बहुत दिनों तक उनको याद करेगा। हमारी किन्हीं कमियों की वजह से उनका वह विचार पूरा नहीं हो सका। स्थूल रूप में हम उसको नहीं दे सके। लेकिन शायद कभी समय आयेगा उनकी बुनियादी शिक्षा की बुनियादी बातों को दृष्टि में रखकर अपनी शिक्षा पद्धति को कोई नई दिशा दे सकें और देश हमेशा इसके लिये उनको याद रक्खेगा।

दूसरी बात यह कि भारत जैसे महान् देश के लिये एक बहुत ऊंचा व्यक्ति चाहिये उसके राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने को। डा० राजेन्द्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति हुए। डा० राधाकृष्णन हुए। उनके बाद मेरी अपनी तुच्छ सम्मति में डा० जाकिर हुसैन एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसे कि उनके पूर्व के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद और डा० राधाकृष्णन की एक शृंखला बन गई ठीक उसी कोटि के वे भी साबित हुए और ऐसे व्यक्ति साबित हुए कि अगर वे किसी दूसरे देश में जाते तो भारत का मस्तक उनके कामों से ऊंचा हुआ था और उनके सारे दृष्टिकोण से। ऐसे व्यक्ति हमारे देश में बहुत कम हैं जैसा कि हम देख भी रहे हैं। हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

सामने यह बात आ रही है। डा० जाकिर हुसैन ने अपने देश का मान व सम्मान ऊंचा रक्खा। उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था।

तीसरी बात जो मुझे याद आती है उनके सिलसिले में वह यह कि मुझे तीन-चार बार ही उनसे मुलाकात और बात करने का मौका मिल पाया है। उनका एक अनोखा प्रभाव अपने ढंग का ही दूसरे लोगों पर पड़ता था। ऐसे व्यक्ति की सेवा से देश का दो ही साल बाद वंचित हो जाना हमारे देश के लिये दुर्भाग्य की बात है। मैं अधिक न कह कर लीडर आफ अपोजीशन की ओर से, बी० के० डी० की पंक्तियों की ओर से, विशेषकर इतना निवदन करना चाहता हूं कि हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन एवं माननीय नेता विरोधी दल ने डा० साहब के प्रति जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उससे हम अपने को अपने दल को संबद्ध करते हैं। डा० साहब के आकस्मिक निधन से भारत का एक महान् देशभक्त चला गया। डाक्टर साहब एक महान् विद्वान और शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा स्वयं विकसित की थी और किसी कारण से वे इतने महान् नहीं हुए थे। जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा उन्होंने बुनियादी तालीम की नींव डाली थी। वे नैतिकता और मानवता के पुजारी थे, यह चीज उनके इतिहास से जो हम सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उससे स्पष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं एक धार्मिक व्यक्ति के लिये जिस प्रकार की कल्पना की जा सकती है, वे नम्रता की मूर्ति थे, जो उनके नित्य प्रति के व्यवहार में पायी जाती थी। देश भक्त भी वे बहुत ऊंचे स्तर के थे। उनका त्याग भी हमने देखा। वे सरल सादा जीवन तथा उच्च चिन्तन करने वाले व्यक्ति थे। हम ऐसे महान् और देश भक्त व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे और हमारे दल की ओर से, हमारी भावनाओं को उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, जाहिर है कि डाक्टर जाकिर हुसैन साहब इस महान् देश के अजीम इन्सान थे। वे इन्सानियत के मकदूर थे, इन्सानियत परस्ती उनका मजहब था। इतनी ऊंची जगह पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी फराखदिली को नहीं छोड़ा। जब कोई जरूरतमंद आदमी उनके पास गया, उसने उनको फराखदिल ही पाया। गांधी जी के आवाह्न पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और देश के असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। सेवा और त्याग के साथ-साथ उनमें देश भक्ति का भी प्रतिबिंब मिलता है। उन्होंने सादगी को भी अपनी जिन्दगी का एम बना लिया था। जैसा कि गुप्ता जी ने यहां पर अभी उल्लेख किया कि "जामिया मिल्लिया" की सेवा वे १०० रुपया नामिनल तनख्वाह पर बराबर करते रहे, उपकुलपति की हैसियत से। गांधी जी ने बुनियादी तालीम का विचार दिया तो डाक्टर जाकिर हुसैन साहब ने उसको व्यावहारिकता प्रदान करने में, उसको सफल बनाने का काम किया। इसके अतिरिक्त शिक्षा शास्त्री के रूप में तथा एक जबरदस्त लेखक के रूप में वे हमेशा ही याद किये जाते रहेंगे।

मान्यवर, हिन्दुस्तान साम्प्रदायिकता से अभिषक्त था लेकिन डाक्टर जाकिर हुसैन हिन्दू मुसलमान की एकता के प्रतीक थे और जब से वे राज्य सभा के सदस्य चुने गये अथवा उसके अध्यक्ष हुए अथवा जब इस देश के वे राष्ट्रपति हो गये, उन्होंने अपनी उन हैसियतों में सभी वर्गों का आदर किया, चाहे वे कलाकार रहे हों, चाहे शिक्षक हों और चाहे किसी भाषा का सवाल हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, डाक्टर साहब सब से समान रूप से ही मिलते थे और वे भी सभी को प्यारे थे। जो आप का त्यागपूर्ण और देशभक्ति का जीवन रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, मैं समझता हूं कि वह आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत दिनों तक प्रेरणा देता रहेगा। इन शब्दों में जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं उनके साथ अपने को व अपने दल को संबद्ध करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप उनको संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री रियायत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, डाक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में जो कुछ नेता सदन ने और दूसरे दलों के नेताओं ने कहा है उससे मैं अपने को और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। डाक्टर साहब के जाने के बाद इस देश के लोगों को उनकी जिन्दगी से एक सबक मिलता है कि उन्होंने किस तरह से बुनियादी तालीम के जरिये से शिक्षा और तालीम की बुनियाद डाल कर जामिया मिल्लिया को देश की सफेहस्ती पर कायम किया। जिस इन्सानियत और शराफत के वह खुद एक नमूना थे आज भी देश में उस नमूने की तस्वीर जामिया मिल्लिया के नौजवान लड़कों में मिलती है। उनकी जिन्दगी और इन्सानियत सभी के लिये हमेशा के वास्ते एक सबक है। मैं अपने दल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि उनके दुखित परिवार को मेरे और मेरे दल की तरफ से खिराजे अकीदत और इजहारे अफसोस आप भेजने की कृपा करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने डाक्टर जाकिर हुसैन साहब के प्रति जो भावनायें और विचार व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। डाक्टर जाकिर हुसैन साहब केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, वह एक बड़े विद्वान ही नहीं थे बल्कि वह हमारे राष्ट्र की धर्म निर्पेक्षता के प्रतीक थे। दुख की बात है कि पुरानी पीढ़ी के लोग, हमारे अनुभवी नेता हमारे बीच से जा रहे हैं परन्तु उनके विचार और सिद्धान्त नई पीढ़ी को सदा प्रेरणा देते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उन के प्रति अपनी तथा अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मुंशी लाल चमार (जिला मैनपुरी)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारा देश बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है ऐसे समय में हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब का हमारे बीच से उठ जाना देश की एक बहुत बड़ी क्षति है और हम सब को उससे बहुत दुख पहुंचा है। वह हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे और उनके द्वारा चलाये हुये कार्य से देश को बहुत सान्त्वना मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ से बिवंगत राष्ट्रपति की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने डाक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में जो श्रद्धांजलि अर्पित की है मैं उसकी ताईद करता हूं अपनी और अपनी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। इत्तिफाक से मुझको उनकी वाइसचांसलरी के दौरान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम पाने का मौका मिला था। मैं उनके जमाने में सन् १९४९ से सन् १९५६ तक उनकी वाइसचांसलरी के दौरान वहां का विद्यार्थी रहा। इसलिए मुझको उन्हें निकट से देखने का मौका मिला और उनके उपदेशों को सुनने का मौका मिला। वे एक अजीम हैसियत के इंसान थे और तालीम के बड़े माहिर थे। जो नसीहतें उन्होंने तालिबइल्मों को अपने भाषणों में दी थीं वे मुझे याद हैं। वे तालीम में एक लगन रखते थे। महात्मा गांधी ने जब नान-कोआपरेशन मूवमेंट चलाया था उस वक्त वे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स यूनियन के प्रेसीडेंट थे। उस वक्त ही उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ा था और अलीगढ़ के अन्दर जामिया मिल्लिया इसलामिया की स्थापना की जो कि बाद में दिल्ली में जामिया मिल्लिया के रूप में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शमीम आलम]

मुंतकिल हुयी। उनकी जितनी भी तारीफ की जाय उतनी ही कम है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे और मेरे दल की ओर से उनके सन्तप्त परिवार के प्रति हमदर्दी का इजहार पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री तथा अन्य दलों के नेताओं ने इस सदन की ओर से स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन, हमारे राष्ट्रपति, की मृत्यु पर जो भावनाएं और संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उनसे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। मेरा उनका कोई निकट का संबंध कभी नहीं आया। सिर्फ १—२ दफा ही भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसियेशन के कुछ कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था क्योंकि उत्तर प्रदेश के स्काउट्स एसोसियेशन का मैं अध्यक्ष रहा हूं। मैंने उनको जिस रूप में देखा वह यह है कि हमारी मिली-जुली सभ्यता और संस्कृति के बड़े अच्छे प्रतीक थे। किसी भी संस्कृति के जो गुण उनके सामने आये, उन्होंने उनको अपनाया और यही कारण था कि गांधी जी के कहने पर उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को छोड़ा और जामिया मिल्लिया कायम कर के नयी शिक्षा का वहां पर प्रारम्भ किया और उसी तरह की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लोगों को तैयार किया जिसको बुनियादी शिक्षा कहते हैं और जो गांधी जी को पसन्द पड़ी। इसलिए इस दृष्टि से भी देखा जाय तो वे नये और मौलिक विचार वालों में एक ऊंचे विचारक थे।

जहां तक उनकी शराफत का सम्बन्ध है मैं स्काउट्स एवं गाइड्स एसोसियेशन के अध्यक्ष की हैसियत से उनसे मिलने गया। मैं और भी राष्ट्रपतियों से मिला था लेकिन उनकी शराफत देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कोई बड़ा सरकारी पदाधिकारी नहीं था लेकिन वे कमरे से बाहर निकल कर आये और उन्होंने मेरा स्वागत किया। उसके बाद हम लोग बातचीत करते रहे बहुत से विषयों पर। जब एक दूसरे ने उम्र पूछी तो उनको मालूम हुआ कि मैं २—२ १/२ साल उनसे बड़ा हूं तो वे मुझे पहुंचाने बाहर लिफ्ट तक आये। अपनी उम्र से जो बड़ा हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे विद्या में बड़ा हो चाहे कार्य में बड़ा हो या न हो। लेकिन उम्र में बड़ा होने से आदर देने का जो यह तरीका हमारी सभ्यता में है उसी प्रकार उन्होंने मेरी इज्जत की। उच्च शराफत और विनम्रता के वे प्रतीक थे। वे मानवता के पुजारी थे और इसीलिये सब से प्रेम करते थे चाहे कोई किसी धर्म का हो अथवा किसी मत का हो।

एक बात मैंने और भी उनमें देखी। राष्ट्रपति होने के बाद, उन्होंने देखा कि गांधी जी के उसूलों को मानने वाली सरकार में जहां तक शराबबन्दी का प्रश्न है उसमें कुछ ढीलापन आ गया और ढीलापन उसमें हर प्रान्त में, हर जगह दिखाया। इस कारण वे जहां जाते थे तो उसके लिये वे पहले जोर देते थे कि शराबबन्दी होनी चाहिये। राष्ट्रपति की हैसियत से मैंने उनके भाषण सुने और उन्होंने कभी इस बात की परवा नहीं की कि उनकी सरकार की नीति कुछ ढीली है तो वह भी ढीले हो जायं। जैसा वे कहते थे अथवा विचार करते थे उस पर वैसा ही वे अमल करते थे। यह खूबी उनमें थी। ऐसे महापुरुष के हमारे बीच में से चले जाने से जो नुकसान हमारे देश का हुआ है उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। जो भावनायें आपने व्यक्त की हैं और जो समवेदना व्यक्त की है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हुआ उनके कुटुम्बियों को समवेदना इस सदन की भेज दूंगा और मैं आप से आशा करता हूं कि आप दो मिनट के लिये खड़े हो कर उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, दूसरी दुखद मृत्यु इन तीन चार महीनों के बीच में जो हुई वह मदन मोहन वर्मा जी की थी जो इस सदन के अध्यक्ष थे। मदन मोहन जी फैजाबाद में वकालत करते रहे

और वकालत के पेशे में उन्होंने अपने जिले में एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया। वे अपने कार्यकाल में अच्छी वकालत करते थे और बहुत-सी शिक्षा संस्थाओं से संबंध रखते रहे और कई शिक्षा संस्थाओं को उन्होंने इस कार्यकाल में स्थापित भी किया। १९५२ में वे जिला बोर्ड, फैजाबाद के अध्यक्ष भी चुने गये और ४-५ साल तक वे अध्यक्ष रहे। ५७ के बाद वे विधान सभा में आये और फिर विधान सभा के अध्यक्ष चुने गये। विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिस कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया उससे हममें से बहुत से सदस्यगण जो उस समय सदन के सदस्य थे, भलीभांति परिचित हैं।

उनकी दृढ़ता, उनकी विभिन्न विषयों पर रूलिंग्स, लेजिस्लेचर के अधिकारों के विषय में उनके विचारों से हम सभी अवगत हैं। लेजिस्लेचर तथा जुडीशियरी के बीच में उस समय जो कंट्रोवर्सी उठी थी और बहुत-सी बातें जो कानून के पंडितों ने उठाई थीं वे सब ताजी हैं जो अभी हम भूले नहीं हैं। इस सदन में बहुत से अवसर ऐसे आये जब सदन ने कभी कभी अपनी गरिमा को भुला कर कुछ भूलों की दिशा में कदम बढ़ाने की चेष्टा की परन्तु उन्होंने सदन में दृढ़ता से कार्य किया और अध्यक्ष पद के गौरव को ऊंचा रखने की चेष्टा की। अध्यक्ष पद के इतिहास में उनका नाम हम बराबर याद रखेंगे। जिन परम्पराओं और मर्यादाओं की रक्षा के लिये उन्होंने बराबर प्रयत्न किया वह सदैव सराहनीय तो था ही, अनुकरणीय भी था। ऐसा व्यक्ति भी अप्रैल के मास में अकस्मात ही हमारे बीच से हृदयगति रुक जाने के कारण चला गया। प्रदेश के सार्वजनिक जीवन को ऐसे व्यक्ति के चले जाने से बड़ी क्षति हुई है। हम सब ऐसे व्यक्ति के चले जाने के कारण दुःखी हैं और उनके दुःखी और संतप्त परिवार के साथ पूरी मात्रा में सहानुभूति रखते हैं। हमारा कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति के प्रति हम श्रद्धान्जलि अर्पित करें और दो मिनट खड़े हो कर मौन रूप से उनके प्रति आदर और सत्कार प्रकट करें और अध्यक्ष जी हमारी भावनाओं और विचारों को संतप्त परिवार को भिजवायें।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय नेता सदन ने इस सिलसिले में कहा है, मैं उससे अपने आपको और अपने साथियों को सम्बद्ध करता हूं।

***श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—**

अध्यक्ष महोदय, जो भावनायें माननीय नेता सदन ने एवं माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त की हैं उनसे हम अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हैं। जिस समय स्वर्गीय वर्मा जी इस सदन के अध्यक्ष थे सौभाग्य से मैं भी उस वक्त इस सदन का एक सदस्य था और निकट से उनका परिचय प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला। वह एक बहुत सफल वकील थे, बहुत उच्च कोटि के वकील थे और इस सदन की गरिमा और महिमा की रक्षा करने के लिये वह कितने दृढ़ प्रतिज्ञ थे इसका आप एक ही प्रमाण देखें। जिस समय लेजिस्लेचर और जुडीशियरी का प्रश्न यहां सदन में आया तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता दिखायी और यहां से केन्द्रीय सरकार तक वह बराबर लड़ते रहे। उन्होंने अपने अधिकार को कभी छोड़ा नहीं। मुझे याद है, उस कमेटी में मैं भी था, हम लोग छागला साहब के पास गये तो उन्होंने कहा कि अपना केस आप कैसे आर्ग्यू करेंगे मेरे सामने रखिये। तो जिस विद्वता और योग्यता के साथ उन्होंने केस आर्ग्यू किया, हम वहां बैठे हुये थे, छागला साहब ने कहा कि मैं हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस रहा। मेरे यहां बड़े बड़े वकील थे लेकिन जिस योग्यता के साथ आपने अपना केस आर्ग्यू किया उस योग्यता के साथ कोई भी वकील आर्ग्यू करने वाला नहीं था। वैसे तो उनसे भी योग्य वकील रहे होंगे, मैं यह नहीं कहता लेकिन उनकी योग्यता का पता इससे जरूर लगता है।

वे एक कठोर आर्य समाजी थे, बड़े कट्टर ईश्वर विश्वासी थे। ईश्वर की पूजा-पाठ करने के बाद जो समय बाकी रहता था उसे अध्ययन करके बिताते थे। पिछली बार जब मैं था तो सदन का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुप्रसाद त्रिपाठी]

वातावरण कभी-कभी बड़ा गर्म हो जाता था। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने मस्तिष्क को बड़े संतुलन में रखने का परिचय दिया। उन्होंने अपने मस्तिष्क को हमेशा संतुलन में रखा। उन्होंने इस आदरणीय सदन के कार्य को बड़ी सफलतापूर्वक किया। मुझे बड़ा हार्दिक दुख है कि आज ऐसे अवसर पर वह हमारे बीच में नहीं हैं। मेरी आप से यह प्रार्थना है कि आप उनके संतप्त परिवार तक हम लोगों की संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय मदनमोहन जी वर्मा के निधन से फ़ैजाबाद ने और हमारे इस प्रदेश ने अपना एक बड़ा सुयोग्य नागरिक खो दिया है। इत्तफ़ाक ऐसा है कि १९५७ में मैं फ़ैजाबाद के कालेज में पढ़ता था, उस समय भी माननीय वर्मा जी का नाम एक बहुत ही सुयोग्य, कामयाब और व्यस्त वकीलों में था लेकिन उसके बावजूद वह सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने के लिये समय अवश्य निकाल लिया करते थे और उसका नतीजा यहां तक निकला कि वह इस सदन की इस कुर्सी पर भी सुशोभित हुये जिस पर श्रीमन्, आज आप सुशोभित हैं। सचमुच उनका कार्यकाल इस माननीय सदन में बहुत ही हंगामे का रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रश्नों का निस्तारण किया उससे उनकी योग्यता प्रमाणित होती है। माननीय वर्मा जी के निधन से मुझे, हमारे दल को और इस सदन को सचमुच बहुत दुख हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके हमारी इन भावनाओं को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, माननीय मदन मोहन वर्मा जी सन् १९६२ से १९६७ तक इस सदन के अध्यक्ष रहे। उनके दौरान के बहुत से वाकयात जो बड़े हंगामे के हुआ करते थे, वह जब हमारी आंखों के सामने घूमते हैं और उनका निबटारा करने का ढंग, उनका प्यार भरा लहजा, हमारे हंगामे और नाराजगी को केवल अपने दो शब्द "माई डीयर' कह कर ही निबटारा कर दिया करते थे। ऐसे मदनमोहन जी वर्मा के हमारे बीच से उठ जाने से हमारे प्रदेश में बड़ी भारी कमी हुई है। इस मंजिल पर मैं अपनी तरफ़ से और अपनी पार्टी की तरफ़ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आपके द्वारा इजहारे अफ़सोस उनके परिवार तक पहुंचा दिया जायेगा।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय मदनमोहन वर्मा जी के प्रति इस सदन में जो भावनायें व्यक्त की गई हैं, उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और स्वर्गीय आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मदनमोहन वर्मा जी इस सदन के सन् १९६२ से १९६७ तक अध्यक्ष रहे हैं। इसके पूर्व भी वे इस सदन के सदस्य और एक महत्वपूर्ण कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। मैं उनकी बड़ी इज्जत इसलिये करता था कि थोड़े से शब्दों में अपने विचार सांस्कृतिक और साहित्यिक भाषा में, वह सदन में किसी विषय पर, रख दिया करते थे और इसीलिये जब मैंने असेम्बली छोड़ी तो मुझ से पूछा गया कि कौन इस काम को कर सकता है तो मैंने उनका नाम गुप्ता जी के सामने लिया कि वे यह कार्य कर सकते थे। दूसरे, हमारे महावीर प्रसाद जी श्रीवास्तव भी थे। लेकिन उनके इनकार करने पर गुप्ता जी ने यह सलाह मांगी थी। आपने देखा होगा कि उस वक्त जो सदन था बड़ा गरम सदन था और गरम सदन में एक ऐसा शान्ति पुरुष अध्यक्ष था जो सभी बातों को, जैसा एक सज्जन ने कहा 'माई डियर' कह कर, प्रेम पूर्वक निपटा दिया करते थे।

लेकिन एक बात उनमें विशेष थी । इस सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए जो उन्होंने कार्य किया वह बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है क्योंकि बार बार इस प्रश्न से यह सदन परेशान था कि कोई भी मामला हो और वह मामला जब जुडीशियरी के सामने चला जाय तो यह लोग समझते थे कि जुडीशियरी हर बात में सुप्रीम है । लेकिन यह सदन अपने कार्यक्षेत्र में सुप्रीम है, इसकी जानकारी जुडीशियरी को करा देने का इस प्रदेश में कार्य किसी ने अगर किया तो उन्होंने किया और आखिर में तस्फ़िया ऐसा हुआ जिससे सबको स्पष्ट हो गया कि यह सदन और न्याय-पालिका बराबर अपने-अपने क्षेत्र में सुप्रीम है । इस सदन की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए, जिस में ऐसी अटूट श्रद्धा थी ऐसे आपके पुराने अध्यक्ष का कल्लज ववत निधन हो गया । इसलिए सब को खेद होना स्वाभाविक है । मैं आपके विचारों से और समवेदनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं और जो समवेदनाएं आपने व्यक्त की ह उनके किसी रिश्तेदार को मैं भेजने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि दुर्भाग्य से उनकी पत्नी भी नहीं रहीं और न कोई संतति रही । तो उनके किसी करीबी रिश्तेदार को भेज दूंगा ।

आशा करता हूं कि आप दो मिनट के लिए खड़े हो कर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करेंगे ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए।)

भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री त्रिलोकीनाथ कौल, दीपनारायण वर्मा, कल्याणराय, ब्रह्मदत्त मायर, कृष्णचन्द्र, रामसहाय शर्मा तथा मुश्ताक अली खां के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष—

कुछ और सदस्यों का निधन हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री सभी का निदेश एक साथ करें तो अच्छा होगा ।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, उन दो व्यक्तियों के अतिरिक्त जिनके विषय में हमने अभी शोक प्रस्ताव पास किये हैं इस सदन के कुछ भूतपूर्व सदस्य भी हमारे बीच से उठ गये हैं । माननीय पं० त्रिलोकीनाथ कौल जो बहराइच के निवासी थे और १९५२–५७ तक इस सदन के सदस्य थे और जब शायद ८० वर्ष की उम्र के हो गये थे, संसार से विदा हो गये । दीपनारायण जी वर्मा जो इस सदन के सदस्य जौनपुर से दो मर्तबा बने थे वे भी ७ जुलाई को संसार से विदा हो गये । माननीय कल्याण जी राय पहले जब रामपुर में असेंबली थी, उसके सदस्य थे, और १९५२–५७ तक इस सदन के सदस्य रहे । वे भी हमारे बीच से ७ जुलाई या ११ जुलाई को उठ गये । ब्रह्मदत्त जी मायर जो सहारनपुर के निवासी थे और जो इस सदन के १९६७ तक सदस्य रहे वे भी हमारे बीच में नहीं रहे । श्री कृष्णचन्द्र जी प्रारंभ में इस सदन के सदस्य रहे और बाद में वे पार्लियामेंट के सदस्य हो गये थे । वे बहुत समय तक वृन्दावन नगरपालिका के अध्यक्ष रहे और काफ़ी समय तक उन्होंने उस नगरी की सेवा की और विभिन्न आन्दोलनों में हिस्सा लिया । यह सब विभूतियां अपने अपने समय में सार्वजनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती रहीं हैं और देश के समक्ष त्याग, बलिदान और सेवा का परिचय देती रही हैं । यह हमारा दुर्भाग्य है कि यह हमारे सब पुराने साथी जिन्होंने देश सेवा की और त्याग की ज्वाला हमारे बीच में जगाई, धीरे-धीरे हमारे बीच से विदा होते जा रहे हैं और सार्वजनिक जीवन को खोखला करते जा रहे हैं । हम सबको उनके चले जाने से दुःख है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हमें अभी-अभी एक नाम और बताया गया है। पंडित राम सहाय शर्मा जी जो कि झांसी के निवासी थे और जो कि इस सदन के सदस्य रहे हैं, झांसी जिले के बड़े ठोस कार्यकर्त्ता रहे हैं, वह भी इसी बीच में हमारे बीच से उठ गये हैं। ये सभी विभूतियां अपने समय में, जैसा कि मैंने पूर्व बताया है, सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती रही हैं, उनके चले जाने से सार्वजनिक जीवन को बहुत भारी क्षति पहुंची है। हमें दुःख है कि हमारा सार्वजनिक जीवन ऐसे व्यक्तियों के चले जाने से सूना होता जा रहा है। मैं इस सदन की ओर से आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की संवेदना इन साथियों के दुखी परिवार तक पहुंचाई जाए और हम सब खड़े होकर दो मिनट मौन रहकर इन महान् विभूतियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

*श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को और भारतीय क्रांति दल को, माननीय नेता सदन ने जो फ़रमाया है और जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनसे संबद्ध करता हूं। उन्होंने कहा, देश ऐसे सेवकों से, जिन्होंने अधिकतर महात्मा जी से प्रेरणा लेकर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, देश और सार्वजनिक जीवन के लिये अपने जीवन को लगा दिया था, खाली होता जा रहा है। वह जगह खाली होती जा रही है ऐसे समय में जब कि देश को जन-सेवकों की बड़ी आवश्यकता है। हमारा देश प्रायः हर मामले में दूसरे देशों से पिछड़ा है। इसलिये यह और भी आवश्यक है कि लोग आगे आवें और खाली जगह की पूर्ति करें। और यह पूर्ति होगी या नहीं, यह भविष्य जाने, लेकिन हम लोग केवल परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसे नौजवान हमारे देश में पैदा हों और ऐसी प्रेरणा उनको परमात्मा से और अपने इतिहास से मिले कि वे अपने चरित्र और पुरुषार्थ के जरिए अपने देश की ऐसी सेवा करें कि फिर अपना देश दुनियां के दूसरे देशों की पंक्ति में आकर खड़ा हो सके और उस का मस्तक ऊंचा हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप हम सबकी ओर से हमारी संवेदना उनके परिवार के पास पहुंचा दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने इन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी जो संवेदनायें प्रकट की हैं, उससे हम अपने को और अपने दल को संबद्ध करते हैं। हम सचमुच इस बात से बहुत दुखी हैं कि समाज-सेवी एक-एक करके हमारे बीच से निकलते जा रहे हैं। हमारी आप से प्रार्थना है कि हमारे दल की ओर से हमारी संवेदनायें संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष जी, नेता सदन, नेता विरोधी दल और माननीय त्रिपाठी जी ने स्वर्गीय सदस्यों के संबंध में जो भावनायें प्रकट की हैं और जो दुख प्रकट किया है उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे दुःख और संवेदना की भावनाओं को संतप्त परिवारों तक पहुंचा दें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष जी, पिछले ६ महीनों में हमारे बीच से काफ़ी समाज सेवी उठ गये। इस संबंध में जो दुःख नेता सदन ने और अन्य दलों के नेताओं ने प्रकट किया है उससे अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं।

माननीय नेता सदन को शायद सूचना नहीं मिली होगी---श्री मुश्ताक अली खां साहब जो सहसवान से ५२ से ५७ तक एम० एल० ए० थे उनका नाम रह गया है। उनका नाम भी जोड़ दिया जाय तो अच्छा होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मुझे दुख है कि वह नाम रह गया था। मैं उसको भी सब के साथ जोड़ता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

तो मेरे और मेरे दल की ओर से उन सभी की भावनाओं के साथ हमदर्दी है और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि और प्रार्थना करता हूं कि उनके दुखी परिवारों तक हमारा इजहारे अफ़सोस आप पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री और अन्य दलों के नेताओं ने इस सदन की ओर से ७ उच्चकोटि के देश भक्तों और कार्यकर्त्ताओं के निधन पर जो भावनायें व्यक्त की हैं और संवेदनायें भेजने के लिये मुझसे कहा है उन भावनाओं से मैं अपने को भी संबद्ध करता हूं। मैं सबको तो नहीं जानता किन्तु दो तीन व्यक्तियों को तो अत्यन्त निकट से जानता हूं। इनमें से श्री त्रिलोकीनाथ जी कौल, यह बहुत बुजुर्ग थे। करीब ९० साल के थे और मैं समझता हूं कि जब से मैंने उनको देखा तब से अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वे अपने जिले की बार असोशियेशन के अध्यक्ष रहे। तो जो व्यक्ति इतना लोकप्रिय हो कि हमेशा एक संस्था और विशेषकर वकीलों की संस्था का अध्यक्ष रहा हो वह बहुत मिलनसार व्यक्ति होना ही चाहिये, यह बात तो आप सब मानेंगे ही। यहां पर भी जब वे सदन में बैठते थे तो जितनी जरूरत की बात होती थी उतना ही बोलते थे, हर चीज में बोलने का वे प्रयास नहीं करते थे, आवश्यक बात पर ही वह भाषण दिया करते थे।

दीपनारायण जी, वे मेरे सन् २० के साथी रहे हैं। वे गांधी जी के सच्चे भक्तों में से थे। वे उनके सिद्धांतों पर हमेशा चलने का प्रयत्न करते थे। उनका निधन थोड़े ही दिन पहले हुआ और दुर्भाग्य से मैं उनसे मिल न सका। मैं उसी रोज झांसी से लौटकर आया था और दूसरे रोज अखबारों में पढ़ा। वे सच्चे देशभक्त थे। वे चले गये। उनके लिये मुझे विशेष रूप से दुख हुआ।

तीसरे, श्री राम सहाय जी शर्मा—यह एक देहात के रहने वाले मास्टर थे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई जगह, पिछड़ी हुई जगहों में स्कूल और कालेज स्थापित किये और बुन्देलखण्ड में शिक्षा की प्रगति उन्होंने करायी। वे प्रारंभ से ही मेरे साथी रहे हैं। सन् ३० में नमक सत्याग्रह में शामिल हुए और तब से बराबर वे कांग्रेस के लिये कार्य करते रहे और जितने कांग्रेस के कार्यक्रम होते थे उन सभी कार्यों को वे श्रद्धापूर्वक किया करते थे। ऐसे कर्त्तव्य-निष्ठ थे कि लोग उनको संत कहा करते थे। लोग कहते थे कि झांसी के ये गांधी हैं। ऐसे व्यक्ति के चले जाने से कम से कम हमारे बुन्देलखण्ड को बहुत ही नुकसान हुआ है। इस सदन में पहले वे आये और वही एक ऐसे व्यक्ति थे कि एक दफ़ा आने के बाद फिर से उनसे कहा गया कि आप चुनाव में खड़े हों, तो उन्होंने कहा कि अब हम यहां नहीं आयेंगे, हम शिक्षा का कार्य करेंगे। बहुत कम खर्च करके वे चुने गये थे, लोग दौड़ पड़े थे उनके चुनाव के लिये और अभी अभी उन्हीं के क्षेत्र से मैं खड़ा होकर जीत कर आया हूं और उन्होंने आखिर तक मेरी मदद की। मैंने उनसे बारबार कहा कि आप खड़े हो जायं ताकि मुझे छुटकारा मिल जाय, मैं और कहीं चला जाऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं—मैं तो सदन छोड़ चुका। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, आपको जाना चाहिये, ऐसा कह कर वे हमारी मदद करते रहे। तो ऐसे सज्जन के चले जाने से जो निस्पृह रहे, जो अपना कोई स्वार्थ न रख कर देश सेवा का कार्य करते रहे और सन्त कहे जाते रहे, उनके जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

इनके अतिरिक्त हमारे अन्य महानुभाव देशभक्त—सभी देशभक्त ऐसे थे जो गांधी युग में रहे, उनसे शिक्षा प्राप्त की और उनके सिद्धांतों को समझा तथा जीवन पर्यन्त देश का कार्य करते रहे, उनके निधन से सभी को दुख है और दुख होना स्वाभाविक भी है। तो मैं उन सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो उनके कुटुम्बी हैं उनके पास आपकी संवेदना भेज दूंगा और आपसे आशा करूंगा कि दो मिनट के लिये खड़े होकर आप सब उनकी आत्माओं को शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

चन्द्रमा पर मानव के उतरने के उपलक्ष्य में बधाई के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कई और दूसरे प्रस्ताव आये हैं। एक तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने भेजा है जो उन दो अमेरिकन एस्ट्रोनाट्स को बधाई देने के सम्बन्ध में है जिनका चन्द्रयान आज चन्द्रमा पर उतरा है। इसी प्रकार के और प्रस्ताव भी हैं। एक तो माननीय सदस्य नित्यानन्द जी ने भेजा है। तो इनको आज शाम को जिस वक्त बजट पेश हो जायेगा उसके बाद ही तत्काल में ले लूंगा क्योंकि यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है और इसके लिये विशेष समय देना आवश्यक है।

अब हम उठते हैं, शाम को साढ़े ४ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १२ बजकर १० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बज कर ३० मिनट पर सदन की कार्यवाही, श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

आय-व्ययक प्रस्तुत करने के संबंध में वैधानिक आपत्ति

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन, मुझे भी एक औचित्य का प्रश्न उठाना है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न पहले आयेगा।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस बजट के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं कि यह बजट आज प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस बजट को प्रस्तुत करने के पहले ही यह आपत्ति की जा सकती है। यह १९६९-७० का जो बजट इस समय वित्त मंत्री जी उपस्थित करने जा रहे हैं वह इस सदन की मेज पर रखा नहीं जा सकता क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो यह संविधान की अवहेलना होगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने २४ मार्च, १९६९ को यहां पर १९६९-७० का बजट प्रस्तुत किया था और यह उस समय कहा था कि यह बजट इस वर्ष के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है। एक वित्तीय वर्ष में एक ही बजट रखा जा सकता है। दो बजट एक वित्तीय वर्ष में नहीं रखे जा सकते। हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान में कुछ धारायें दी हुई हैं–२०२ से २०६ तक उनके अनुसार ही बजट प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अगर अब कोई बजट प्रस्तुत किया जा सकता है तो वह सप्लीमेंटरी बजट हो सकता है जिसको अनुपूरक बजट हम कहते हैं या फिर लेखा अनुदान हो सकता है जिसको अनुपूरक बजट हम कहते हैं या फिर लेखा अनुदान हो सकता है। दूसरा कोई बजट हमारे संविधान के अनुसार अब नहीं रखा जा सकता। २०२ में कहा है कि किसी वित्तीय वर्ष के लिये एक दिन में एक ही बजट पेश किया जा सकता है। उसके बाद २०३ में इसकी प्रक्रिया है कि इसके बारे में क्या प्रोसीजर होगा। २०४ में एप्रोप्रियेशन है। २०५ में सप्लीमेंटरी और एक्सेस ग्रान्ट हैं और २०६ में वोट आन अकाउन्ट है। २०६ में ही सब बजट की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। कहीं भी एक ही वर्ष में दो बजट रखने की विधि नहीं बताई है। यह नियमानुकूल नहीं होगा और सब से बड़ा संविधान का उल्लंघन होगा यदि दूसरा बजट यहां पर रखा गया। मैं समझता हूं श्रीमन्, इसमें बड़ी जबरदस्त कानूनी गुत्थी है। इसको समझने के लिये और यहां पर स्पष्टीकरण देने के लिये ला डिपार्टमेन्ट से मशविरा कर लें या एडवोकेट जनरल को बुला लें ताकि यह चीज यहां पर साफ हो जाय यह आसान चीज नहीं है। इस विषय पर पूरा विचार करके यहां पर जवाब देने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, जब यहां पर वोट आन अकाउन्ट पेश किया गया था तो यह प्रश्न उठा था। मैं अपने माननीय मित्र को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उस समय भी इस पर विवाद हुआ था। उसके बाद यह निश्चय हुआ था कि वोट आन अकाउन्ट उस समय प्रस्तुत किया जा सकता है और उसके बाद पूरा बजट प्रस्तुत किया जा सकता है।

*चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

अध्यक्ष जी, मैं समझता था कि माननीय माधव प्रसाद जी इस प्रश्न को नहीं उठायेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं वह अनुभवी सदस्य हैं। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि बजट तो एक वर्ष में एक ही पेश होता है, २०२ संविधान की धारा के अन्तर्गत और वही बजट आज पेश होने जा रहा है। आर्टिकिल २०२ के अन्तर्गत लेखानुदान पेश किया जा सकता है। अब उस संविधान में एक क्लाज यह भी है कि "नाट विद स्टैंडिंग एनिथिंग"। आर्टिकिल २०२ की जो विधि हैं उनकी परवाह न करते हुये वोट आन अकाउन्ट २०६ में जो है, वह हो सकता है। उसमें यह प्राविजन है जो वोट आन अकाउन्ट के रूप में होता है। उसमें सारी शैली स्टैबलिश्ड है। रिसीट और एक्सपेंडिचर सब देना पड़ता है। यह हमारी नियमावली में भी दिया है। २०२ में साल भर के बजट का ब्यौरा खर्चे और आमदनी का जो औसत होता है देना होता है। २०६ के अन्तर्गत जो लेखानुदान होता है वह देना पड़ता है। इसलिये लेखानुदान जब पेश किया जाता है तो ब्योरा तो दिया जाता है साल का, लेकिन वह बजट नहीं होता–ऐनुअल बजट जो आर्टिकिल २०२ के अन्तर्गत इस समय पेश किया जा रहा है। तो बजट यह है और वह लेखानुदान था जिसमें केवल साल भर का इशारा दिया गया था। वह बजट नहीं होता। इसलिये उनका जो प्वाइंट है उसका कोई महत्व नहीं है।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप तो बोल चुके। अब मैं फैसला देता हूं। मेरे सामने एक ही बात है, कोई नयी बात नहीं है। यह वोट आन अकाउन्ट, मैं समझता हूं मार्च में उपस्थित किया गया था और उस वक्त इस बात के ऊपर बहुत बहस हुई थी कि जबतक कोई स्टेटमेंट बजट के संबंध में न हो कि साल भर में क्या-क्या खर्च होगा तब तक वोट आन एकाउन्ट्स लाना ठीक न होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

इसलिये एक मुख्तसिर-सा स्टेटमेंट दे दिया जाय तो वोट आन एकाउन्ट आ सकता है, नहीं तो वोट आन अकाउन्ट लाना संभव नहीं होगा, क्योंकि खाली वोट आन अकाउन्ट लाकर उसके विषय में कोई चर्चा नहीं हो सकती। उस वक्त मैंने फैसला एक ही बात का दिया था कि इस तरह का डिस्कशन बजट के ऊपर पहले होकर वोट आन अकाउन्ट आवे या वोट आन अकाउन्ट जो है वह खाली पेश किया जा सकता है। तब बहस होने पर यह निर्णय हुआ कि पहले भी ऐसी प्रथा रही है कि वोट आन अकाउन्ट बजट पर संक्षिप्त स्टेटमेन्ट देने के बाद आ सकता है और उसके ऊपर चर्चा करने के लिये पूरे बजट की चर्चा की आवश्यकता नहीं है ऐसी प्रथा केन्द्र में हमेशा रही है कि बजट के ऊपर पहले चर्चा हो जाने के बाद बीच में वोट आन अकाउन्ट के ऊपर चर्चा होती है। इस पर मैंने कहा था कि आगे के लिये आप ऐसी प्रथा डाल सकते हैं, लेकिन यहां की प्रथा यह रही है कि इसी तरह से स्टेटमेंट देकर वोट आन अकाउन्ट के ऊपर चर्चा होती थी। उसका मतलब यह नहीं है कि बजट पास कर लिया गया साल भर का और जब साल भर का बजट पेश नहीं किया गया और केवल वोट आन अकाउन्ट पेश किया गया है तो नतीजा यह निकलता है कि बाकी पूरा बजट जो होगा उसमें पूरा समय वादविवाद का सदस्यों को मिलेगा और सब ग्रांटों के ऊपर बहस होगी और ५ महीने के खत्म होने के पहले बजट पर डिस्कशन होगा। वोट आन अकाउन्ट के कुछ आंकड़ों पर ही उस वक्त बहस हुई थी। इसलिये दोबारा यह बजट नहीं पेश किया जा रहा है बल्कि पहले ही पेश किया जा रहा है पूरे साल का। वोट आन अकाउन्ट जब पास किया गया तो एक स्टेटमेंट के जरिये बजट का अन्दाजा आपके सामने रख दिया गया था। तो मैं समझता हूं कि यह आपत्ति कोई वधानिक नहीं है।

सदन का समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तबतक के लिये बढ़ा दिया जाय जबतक कि आज का कार्य समाप्त न हो जाय। हम लोगों ने मिलकर यह तय किया है। क्योंकि दो प्रस्ताव इसके बाद में हम लाने वाले हैं। हमने जो दूसरे सदस्य हैं उनसे बात कर ली है ?

श्री अध्यक्ष—

आस्ट्रानट्स के बारे में तो मैंने इजाजत दे ही दी है। तो आज जबतक आज का कार्य समाप्त न हो सदन का समय बढ़ा दिया जाय। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(आवाजें—नहीं है।)

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है।

आय-व्ययक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न मैं उपस्थित करने जा रह हूं वह बहुत ही लोक महत्व का है। श्रीमन्, जानते हैं और इस सदन क सारे सदस्य जानते हैं बजट खाली सरकारी आमदनी और खच का विवरण ही नहीं है, बल्कि उससे सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीति को दिशा मिलती है, उससे विकास के लक्षणों का पता होता है और उसमें जनता की खुशहाली और बहाली की तस्वीर भी छिपी रहती है। इधर आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रदेश म एक बहुत महत्वपूण घटना घटी है और वह है पिछली १७ जुलाई को जो कद्रीय सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। प्रधान मंत्री के कथनानुसार इस राष्ट्रीयकरण का परिणाम यह होगा कि हमारे साधन बहुत बढ़ जायेंगे जिससे खती का विकास होगा, कारखानों का विकास होगा, लघु उद्योगों के लिए लोगों को कर्जा मिलन में सहूलियत होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप तो सिर्फ औचित्य के बारे में कहना चाहते थे?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय यह बजट तैयार हुआ उस समय सरकार के सामने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्या प्रभाव होंगे वह सरकार के सामने नहीं था। सरकार बाहर बराबर यह कहती रही कि साधनों की कमी है, करों को लगाने की आवश्यकता होगी। अगर इस राष्ट्रीयकरण के प्रभाव को ध्यान में रख कर बजट बनाया जाता तो हो सकता था कि करों के लगाने की जरूरत ही न पड़ती।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त इसकी आवश्यकता नहीं है कहने की। यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

आप सरकार को बता दें कि वह इस वक्त बजट पेश न करें और राष्ट्रीयकरण के प्रभाव से जो साधन उपलब्ध होंग उन पर विचार करके फिर बजट पेश करें।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई औचित्य का प्रश्न प्रतीत नहीं होता। (व्यवधान) बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है उसके क्या परिणाम होंगे उसका पता ८ रोज में कोई सरकार नहीं लगा सकती। इस समय वह प्रश्न उठता भी नहीं है। इस बजट पर २०-२२ रोज बहस होगी। अगर कोई टैक्सेशन लगाया जाता है और आप यह समझते हैं कि वह जरूरी नहीं है, क्योंकि बैंकों के नेशनालाइजेशन से सरकार घाटा पूरा कर लेगी, तो आपको टैक्सेशन का विरोध करने का अवसर आगे मिलगा। जब भी टैक्सेशन का सवाल आयेगा, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। जो बजट पेश होने वाला है आप उसको रोकना चाहते हैं मैं इसको ठीक नहीं समक्षता। आपके आक्षेप म कोई औचित्य नहीं है।

(वित्त मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

सदन का समय बढ़ाने के संबंध में आपत्ति

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने व्यवस्था दे दी। आप कृपा करके बैठें। पहले वे खड़े हैं।

श्री रागचन्द्र विकल—

पहले मैं खड़ा था। आपने पहले कहा तो मैं बैठ गया था।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री रामचन्द्र विकल—

आप हमारी व्यवस्था सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

नियम में तो यह साफ लिखा हुआ है कि यदि ऐसे अवसर पर औचित्य का कभी प्रश्न उठाया जाय तो सदन की सारी कार्यवाही रोककर उसी प्रश्न को अग्रता मिलेगी। मैं उसकी

[श्री अनन्तराम जायसवाल—]

ग्रोर ध्यान दिलाना चाहता हूं ग्रौर निवेदन करता हूं कि श्री विकल जी के प्रश्न के ग्रौचित्य को सुनने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष—

ग्रौचित्य का संबंध तो तत्समय सदन के समक्ष जो कोई विषय हो उसके बारे में उठाया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं ग्रौचित्य का प्रश्न, ग्रभी श्री शांति प्रपन्न जी ने जो सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में रखना चाहता हूं। माननीय शांति प्रपन्न ने यह प्रस्ताव रखा कि सदन का काल तब तक बढ़ा दिया जाय जब तक कार्य पूरा न हो। ग्राज का कार्य बजट के ग्रलावा किसी माननीय सदस्य को मालूम नहीं है। ग्रगर माननीय सदस्य यह प्रस्ताव रखते कि बजट के ग्रलावा ग्राज ग्रमुक ग्रमुक कार्य भी हैं तब मैं समझता हूं कि सदन उससे ग्रवगत हो जाता ग्रौर फिर समय बढ़ाने का ग्रौचित्य भी सिद्ध हो जाता। ग्रगर बजट के ग्रलावा ग्रौर कोई कार्य है तो उसकी जानकारी हर सदस्य को देना उचित है। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ग्रनन्तराम जायसवाल—

प्रश्न की गम्भीरता पर ग्राप ध्यान दें। जिस प्रकार जल्दी की जा रही है उस के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ग्रनन्तराम जायसवाल ग्रपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

उद्योग मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

ग्राज हमने विरोधीदल के ग्रौर गुटों से मिलकर यह निश्चय किया था कि सदन का समय परसों साढ़े दस से साढ़े पांच तक हो। इसे हमने मिलकर तय किया था। क्योंकि परसों हमें साढ़े दस से बैठना था इसलिये उसका प्रस्ताव ले लेने के लिए यह प्रस्ताव ले लिया है। इसको तो सब लोगों ने मिलकर तय किया था। वह तो सदन के हित के लिये ही है। विकल जी को प्रसन्नता होती ग्रगर वे मेरी बात को सुनते। जब ग्राप हमारी बात सुनेंगे तो ग्रापको बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुग्रा है क्या उन्हें भी ध्यान में रख कर बजट को बनाया गया है। माननीय ग्रध्यक्ष जी, मैं ग्रापके द्वारा जो सूचना उनसे प्राप्त करना चाहता हूं क्या ग्राप उनसे इस प्रश्न का उत्तर दिलाने की कोशिश करेंगे?

श्री ग्रध्यक्ष—

पहले जो सवाल मैंने मंजूर किया कि यह सूचना दे देंगे। विकल जी का प्रश्न ग्रापके सामने है, उसको खत्म हो जाने दीजिये तब।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा —

जो प्रस्ताव ग्राज हमने दूसरे दलों से मिल कर निश्चय किया था वह यह था कि बरसों से ११ बजे से ५ बजे तक सदन चलता था। ग्रब उसको हम साढ़े दस से साढ़े पांच तक करने जा रहे हैं। बजट के भाषण के मध्य पांच बज जायेंगे इसलिये मैंने चाहा था कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय। इसमें तो सभी का लाभ है।

श्री ग्रध्यक्ष—

(रामचन्द्र विकल से) ग्रब तो ग्रापको कोई ग्रापत्ति नहीं है?

(कोई ग्रापत्ति नहीं की गयी।)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि जो बकों का राष्ट्रीयकरण १९ तारीख को हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश पर भी असर पड़ने जा रहा है। क्या वित्त मंत्री जी ने वह बजट, जो वह प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसको दृष्टि में रख कर बनाया है। अगर नहीं तो क्या उसको दृष्टि में रख कर दूसरा बजट प्रस्तुत करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर नही है।

श्री राम करन—

मैं, श्रीमन्, वित्त मंत्री जी से सूचना चाहता था।

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णनन्द राय)—

श्रीमन्, जब तक माननीय वित्त मत्री जी का बजट भाषण न हो जाय तब तक यह कैसे बताया जा सकता है कि बजट किस तरह से बनाया गया है। अगर बजट पेश करने के बाद माननीय सदस्य को यह भ्रम हो कि कोई चीज दृष्टि में नहीं रखी गयी है तो वे उस समय पूछ सकते हैं। बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व बजट की सीक्रेसी को किस प्रकार से आउट किया जा सकता है?

श्री रामकरन—

हमारी बात का उत्तर अगर माननीय वित्त मत्री जी दे दें तो अच्छा होगा।

१९६९–७० का आय-व्ययक

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

श्रीमन, हमको बजट की कापीज नहीं मिली हैं।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा-समिति ने यह निश्चय किया था कि कभी कभी बजट को बांटने में गड़बड़ हो जाती है, इसलिये उसको लाबीज में रखवा दिया गया है। जैसे ही बजट स्पीच समाप्त हो आप वहां से ले लें।

श्री मलिखानसिंह—

हम बजट भाषण की कापी मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

बजट पर वित्त मंत्री के भाषण की कापीज अभी आपको दी जाती हैं। इसके अलावा जो भी बजट लिटरेचर है वह सब आपको लाबीज में मिलेगा। कुछ जिलों के सदस्यों को एक लाबी में और बाकी को दूसरी लाबी में मिलेगा।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९६९–७० का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं।

(बजट भाषण की प्रतियां बांटी गयी।)

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि पिछले असेम्बली सेशन में जो कुछ हुआ था उससे इस बार का मेरा अनुभव कुछ विपरीत हुआ। जिसके कारण कुछ गरमी भी आ गयी। जब कभी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो उसको अनुमति नहीं दी जाती। अगर कोई व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

का प्रश्न उठाने का प्रयत्न करता है और उसको तुरन्त ही अनुमति नहीं दी जाती है तो कुछ गरमी आ ही जाती है। श्रीमन्, मैं बोलने वाला हूं और आपने कह दिया कि बैठ जाओ, आसन ग्रहण करो और मैं बैठ जाता हूं और दूसरी बात यह भी हो सकती है कि आप अनुमति न दें और आप खड़े रहें और मैं भी खड़ा रहूं। यह दूसरी बात थी और तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के निधन से सम्बन्धित जो चर्चा यहां हुई उसके बाद हम समझते थे कि आज सारे दिन काम बन्द रहेगा लेकिन बजट पेश होने के नाते हमने यह आवश्यक समझा और इसलिये हम ने मुंह नहीं खोला, लेकिन अब दूसरी कार्यवाही शुरू कर दी जाय यह कहां तक उचित है, किस का हृदय उसके लिए गम्भीर है .....

श्री अध्यक्ष—

बजट स्पीच के बाद दो चीजें हैं, एक तो यह कि एस्ट्रानाट्स के बारे में जो प्रस्ताव माननीय नित्यानन्द जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया था, मैंने सवेरे उस को मंजूर नहीं किया था, कि उसे शोक प्रस्ताव के बाद लिया जाय, उस का औचित्य नहीं था लेकिन बाद में तय हुआ कि बजट भाषण के बाद ले लिया जाय। दूसरी बात यह है कि सभी दलों के प्रतिनिधियों ने तय किया था कि आधा घंटा समय बढ़ाया जाय लेकिन वह बगैर प्रस्ताव के नहीं हो सकता इसलिये अब बजट के भाषण के बाद वह लिया जायगा, यह बात तय थी और यह मोशन नोटिस के बगैर आ सकता है।

अब दूसरी बात यह है कि मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपने भाषण के अन्त में स्पष्ट कर दें कि क्या उन्होंने, अभी जो विचार यहां उपस्थित किया गया और जो सूचना चाही गई है कि क्या बैंक्स के राष्ट्रीयकरण का विचार बजट बनाने में कर लिया है, अगर कर लिया है तो उस का उत्तर अपने बजट के भाषण में आप दे सकते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्,

मैं चालू वित्तीय वर्ष का अन्तिम व्योरेवार बजट प्रस्तुत करना चाहता हूं।

नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय के अन्दर समाज के आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में उत्तरोत्तर सुधार करना होता है, वार्षिक बजट का बनाना विशेष महत्व रखता है। चालू वर्ष का बजट और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के लिए स्वीकृत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के निमित्त व्यवस्था की गयी है।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इस वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों के लिए वर्तमान सेवाओं तथा चालू स्कीमों पर, जिनमें योजना की पहले से चालू स्कीमें भी शामिल हैं, शासन के चालू व्यय को पूरा करने के निमित्त लेखानुदान की स्वीकृति मांगने लिए २४ मार्च,१९६९ को मैंने एक वित्त–विवरण प्रस्तुत किया था। ऐसा करना आवश्यक था, क्योंकि मैंने उस समय इस बात का उल्लेख किया था कि नयी सरकार के गठित होते ही राज्य की अर्थ-व्यवस्था की स्थिति तथा १ अप्रैल, १९६९ से आरम्भ होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर विचार करने के हेतु कुछ समय चाहिए। उस समय जो वित्त–विवरण प्रस्तुत किया गया था वह अस्थायी प्रकार का था। इसमें नयी स्कीमों के लिये कोई व्यवस्था शामिल नहीं की गयी थी और न बजट प्रस्तावों में किसी भी नयी नीति का समावेश किया जा सकता था। मैं सदन के सामने जो अन्तिम व्योरेवार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें आयोजनागत तथा आयोजनेतर दोनों प्रकार की नयी मदों तथा स्कीमों पर चालू वर्ष के दौरान किये जाने वाले प्रस्तावित व्यय के अनुमान तथा पिछले मार्च में प्रस्तुत अनुमानों में सम्मिलित सेवाओं एवं कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय सम्मिलित है।

माननीय सदस्यों को विदित है कि १९६२ में चीन के आक्रमण और उसके बाद १९६५ में पाकिस्तान के साथ संघर्ष होने के फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ समय तक बहुत अधिक भार पड़ा और १९६५–६६ के आसपास उसको गहरा धक्का लगा। दो बार सूखा पड़ने (१९६५–६६ और १९६६–६७) तथा अवमूल्यन के कारण मूल्यों में तेजी के साथ असाधारण वृद्धि हुई। उद्योगों में, विशेषकर इंजीनियरिंग के उद्योग में मन्दी हुई और बेरोजगारी की समस्या ने एक अभूतपूर्व रूप धारण कर लिया। उपर्युक्त प्रसंग में योजना आयोग ने १९६७ के अन्त में चौथी पंचवर्षीय योजना को, जो १९६६–६७ से आरम्भ हो जानी चाहिये थी, स्थगित करने का निश्चय किया। तीन तदर्थ वार्षिक योजनाओं के दौरान (१९६६–६७ से १९६८–६९ तक)। जाहिर है कि कोई दीर्घकालिक विकासात्मक प्रयास नहीं किया गया, किन्तु समेकन प्रक्रिया में पूर्ववत कोई कमी नहीं हुई, जिसका परिणाम यह है कि अब स्थिति ऐसी आ गयी है कि प्रगति के पथ पर फिर अग्रसर होना आरम्भ किया जा सकता है।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था की अधिक उल्लेखनीय बातों का संक्षेप में वर्णन करना चाहता हूं, जिससे बजट में सम्मिलित प्रस्तावों का समुचित रूप से विवेचन करने में सहायता मिलेगी।

कृषि-उत्पादन

राज्य की आर्थिक स्थिति में पिछले वर्षों की अपेक्षा १९६८-६९ में निस्सन्देह सुधार हुआ है, जिसका मुख्य कारण यह है कि पैदावार बढ़ाने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन में वृद्धि करने की नयी कृषि नीति अपनायी गयी। १९५०–५१ में खाद्य उत्पादन का स्तर मीट्रिक टनों के हिसाब से ११७ लाख टन था जो १९६७–६८ में १६६ लाख टन तक पहुंच गया। राज्य के ८ जिलों में आंशिक अभाव की स्थिति होने के बावजूद इसमें १९६८–६९ में वृद्धि होने की आशा की जाती है। १९६९–७० के दौरान खाद्य उत्पादन का लक्ष्य १८८ लाख मीट्रिक टन रखा गया है और आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खाद्य उत्पादन २४६ लाख टन तक पहुंच जायगा।

औद्योगिक उत्पादन

१९५१ में योजना आरम्भ होने से पूर्व उत्तर प्रदेश में मुख्य बड़े उद्योग चीनी, कपड़ा तथा तेल के थे। १९५१ में बड़े पैमाने पर किये जाने वाले उद्योग के क्षेत्रों में केवल ७३ यूनिटें थीं जिन पर २६ करोड़ ३७ लाख रुपये लगाये गये थे। १९६७ में राज्य के गैर–सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले बड़े तथा मध्यम परिमाण के उद्योगों की संख्या ३२१ थी जिनमें १,६४,१७० व्यक्तियों को रोजगार मिला। पहली योजना के अन्त में उत्पादन १७५ करोड़ ९७ लाख रुपये का हुआ था। दूसरी योजना के अन्त में वह बढ़कर २५४ करोड़ ४१ लाख रुपये का हो गया और वह अन्ततः १९६७ में ३२६ करोड़ ६३ लाख रुपये का हो गया। हाल में राज्य सरकार ने इस प्रदेश में नये उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिये कई सुविधाएं दी हैं, जैसे सस्ती बिजली और भूमि देना, आसान शर्तों पर ऋण देना तथा कुछ अवधि के लिए कर से मुक्त कर देना। कुछ मौजूदा अलाभप्रद चीनी तथा कपड़ा मिलों को फिर से लाभप्रद बनाने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। गाजियाबाद, बरेली तथा लखनऊ में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है तथा इसी प्रकार के और क्षेत्रों का हरिद्वार, कानपुर, गोरखपुर तथा नैनी में विकास किया जा रहा है।

फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत निबन्धित ३,१२२ लघु उद्योगों की यूनिटों ने वर्ष १९६७ में १३७ करोड़ ३३ लाख रुपये के मूल्य की वस्तुएं तैयार की और १,०२,९१० व्यक्तियों को रोजगार दिया जबकि १९५६ में ऐसी १,०६० यूनिटों ने २४ करोड़ ४६ लाख रुपये की वस्तुएं तैयार की थीं और केवल २७,५५० व्यक्तियों को रोजगार दिया था।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

राज्य की आय

वर्ष १९५०–५१ में उत्तर प्रदेश की आय १९६०-६१ के मूल्यों के अनुसार १,४९१ करोड़ रुपये थी। तीसरी योजना के अन्त में राज्य की आय १९६०–६१ के मूल्यों के अनुसार, बढ़कर १,९९८ करोड़ रुपये हो गयी। बृद्धि की वार्षिक चक्रवृद्धि दर के अनुसार उत्तर प्रदेश में १९६०–६१ की अपेक्षा १९६५–६६ तक २.०४ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि देश में २.८९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। चूंकि इस अवधि में राज्य की जनसंख्या में वृद्धि की दर २.२६ प्रतिशत रही जो राज्य की आय की वृद्धि की दर से अधिक थी, इसलिये १९६०–६१ के स्थिर मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई। त्वरित अनुमानों पर आधारित राज्य की आय १९६०–६१ के मूल्यों के अनुसार १९६७-६८ में २,१०७ करोड़ रुपये थी और प्रति व्यक्ति आय २४७ रुपये थी और इसी आधार पर १९६८-६९ के अन्त में आय का अनुमान २,२१२ करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान २५४ रुपये लगाया गया है। राज्य की आय तथा उसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय कुल लगायी गयी पूंजी तथा पूंजी-उत्पादन के अनुपात में हुई वृद्धि के अनुसार होती है। राज्य का प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय तथा उत्तर प्रदेश को दी गयी प्रति व्यक्ति केंद्रीय सहायता अन्य राज्यों की तुलना में लगभग सबसे कम रही है। इसका अपरिहार्य परिणाम यह हुआ है कि कतिपय अन्य राज्यों की तुलना में वृद्धि की रफ्तार धीमी रही है।

मूल्य-स्तर तथा रहन-सहन का व्यय

यद्यपि १९६७-६८ से तुलना करने पर औद्योगिक थोक मूल्यों के सूचकांक में कुछ वृद्धि हुई, किन्तु १९६८-६ के दौरान मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति तथा उसे फलस्वरूप हुई मूल्यों की वृद्धि सामान्यतया रुक गयी। राज्य में कृषि संबंधी थोक मूल्यों का सूचकांक, जो १९६०-६१ को आधार मानकर १९६७-६८ में २७२.३ था, १९६८-६ में घटकर २१२ रह गया। जनसाधारण को जो सुखद राहत मिली वह कानपुर के श्रमिक उपभोक्ता-भाव सूचकांक से लक्षित होती है––जो कि १९६७-६८ के १८८.५ से (१९६०-६१ = १००) १९६८-६९ में घटकर १७२.४ हो गया।

चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य

पिछले मार्च में अन्तरिम वित्त-विवरण प्रस्तुत करते समय मैंने वे परिस्थितियां बताई थीं जिनमें चौथी योजना का समग्र आकार ९५० करोड़ रुपये तक सीमित करना पड़ा था, यह बाद में बढ़ाकर ९५१ करोड़ रुपये कर दिया गया। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास कर रही है कि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ९५१ करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय में उस हद तक उचित रूप से वृद्धि की जाय जिस हद तक इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सकें। श्रीमन् इस सम्बन्ध में सरकार निश्चित है और निश्चित कदम बढ़ाने में लगी हुई है।

चौथी योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाय जिससे कृषि में ५ प्रतिशत तथा उद्योग में ८-१० प्रतिशत की दर से वृद्धि सुनिश्चित हो सके। कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन तथा वन आते हैं। खाद्य उत्पादन में लगभग ६.९ प्रतिशत, वाणिज्यिक फसलों में ५.५ प्रतिशत, मत्स्यपालन में ७.४ प्रतिशत, वानिकी (फारेस्ट्री) में २.५ प्रतिशत तथा पशुपालन में २.५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने की आशा की जाती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में वृद्धि की समग्र दर ५ प्रतिशत से कुछ अधिक होने की आशा है।

औद्योगिक क्षेत्र में यह आशा की जाती है कि उत्पादन, १९६०-६१ के स्थिर मूल्यों के अनुसार, १९६९-७० के ३०५ करोड़ रुपये से बढ़कर १९७३–७४ में ४३० करोड़ रुपये हो जायगा। इस प्रकार ७-७।। प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। वर्तमान

क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करने से लगभग २-३ प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की वार्षिक दर लगभग प्रतिशत होने की सम्भावना है।

यदि ये आशायें फलवती हुईं तो राज्य की आय, जिसका अनुमान १९६८-६९ के अन्त में वर्तमान मूल्यों के आधार पर लगभग ४००० करोड़ रुपये लगाया गया है, संभवतः बढ़कर ५,१०५ करोड़ रुपये हो जायगी, जिसकी वृद्धि की वार्षिक चक्रवृद्धि दर लगभग ५ प्रतिशत होगी। प्रति व्यक्ति आय १९६८–६९ के अन्त में २५४ रुपये से १९७३–७४ के अन्त में १९६०-६१ के स्थिर मूल्यों के अनुसार २८९ रुपये हो जायगी। वर्तमान मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय १९६८-६९ के अन्त में ४५९ रुपये से बढ़कर चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त में ५२३ रुपये होने की आशा की जाती है।

१९६९–७० की वार्षिक योजना

१९६९-७० की वार्षिक योजना, जैसी कि वह योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गयी है, १६० करोड़ रुपये की है। इस योजना के लिए केंद्रीय सहायता का अनुमान ९४ करोड़ रुपये का लगाया गया है और शेष धनराशि की पूर्ति राज्य के संसाधनों से करनी पड़ेगी जिनमें योजना में सम्मिलित विद्युत् प्रायोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का अंशदान भी शामिल है। इस स्वीकृत परिव्यय में ३० करोड़ ७२ लाख रुपये कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए १७ करोड़ रुपये बड़ी तथा मध्यम सिंचाई के लिए, ६८ करोड़ रुपये बिजली के लिए, ६ करोड़ ७७ लाख रुपये उद्योगों के लिए तथा ५ करोड़ ७१ लाख रुपये शिक्षा के लिए सम्मिलित है। स्पष्ट है कि उक्त परिव्यय के पर्याप्त भाग का उपयोग उत्पादक स्कीमों पर किया जायगा।

वार्षिक योजना के अन्तर्गत नियत किये गये परिव्यय से राज्य में कृषि विकास को और इसकी दो बुनियादी आवश्यकताओं अर्थात् सिंचाई संबंधी सुविधाओं और विद्युत् सप्लाई को सरकार द्वारा दी गयी प्राथमिकता तथा महत्व का पता लगता है। पूरा जोर इस बात पर दिया गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था के निरन्तर विकास के लिए उत्पादन, विशेष रूप से कृषि-उत्पादन बढ़ाया जाय। १६० करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से १९.२ प्रतिशत कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए, १०.०६ प्रतिशत सिंचाई के लिए तथा ४२.५ प्रतिशत विद्युत् के लिए अलग रखा गया है। अंतिम दोनों पर ही कुल परिव्यय का ५३ प्रतिशत रखा गया है। मैं आगे चलकर विकास के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाली प्रगति तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों का उल्लेख करूंगा। हमारी अर्थ व्यवस्था की उन्नति के लिए लघु तथा कुटीर उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके विकास के लिए तथा अपने यहां के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है। ऐसे क्षेत्रों में जहां बहुधा जल का अभाव हो जाता है और विशेष रूप से पर्वतीय तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा हरिजन बस्तियों में शुद्ध पेयजल की सप्लाई संबंधी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए भी सरकार वचनबद्ध है। भूमिहीन श्रमिकों तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सरकार उनसे पूर्णतया अवगत है। चौथी पंचवर्षीय योजना में भूमिहीन लोगों की दशा सुधारने से संबंधित स्कीमों के व्यय की पूर्ति के लिए ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह धनराशि राज्य की उस स्कीम के लिए व्यवस्थित ३ करोड़ रुपये के अलावा है जो ग्रामीण जनशक्ति स्कीम के बनने में चालू की गई है, जिसे भारत सरकार ने अब छोड़ दिया है। बहुत से लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करके सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करने के उपाय और साधनों पर विचार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पेयजल की सप्लाई के लिए कुल ४ करोड़ ४८ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और मैं बाद में तत्संबंधी ब्योरों का उल्लेख करूंगा।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

राज्य में अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े क्षेत्रों की समस्या के प्रति सरकार सजग है और उपलब्ध संसाधनों के अन्दर उन क्षेत्रों की विषमता के निवारण तथा उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए सुसंगठित प्रयास किये जायेंगे। चौथी योजना की अवधि में सड़कों तथा संचार, सिंचाई सुविधाओं, शिक्षा संस्थाओं, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण आदि की आवश्यक अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की व्यवस्था के लिए तथा कृषि और बागबानी के विकास के हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। चालू बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई की स्कीमों के लिए ४ करोड़ ४८ लाख रुपये की कुल व्यवस्था की गयी है जिसमें से लगभग १ करोड़ ५७ लाख रुपये की धनराशि पर्वतीय जिलों के लिए अलग से रख दी गयी है। विकास की ऐसी नयी स्कीमों के लिए जो विशिष्ट रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के वास्ते बनायी गयी है, बजट में कुल लगभग ३ करोड़ ६१ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह व्यय उस व्यय के अतिरिक्त होगा जो कतिपय ऐसे अन्य स्कीमों के अधीन किया जायगा जिनके अन्तर्गत पर्वतीय जिले भी आते हों।

मैं अब विकास संबंधित कुछ विभागों के अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण कार्यकलाप और चालू वित्तीय वर्ष में उनके कार्यक्रम का उल्लेख करूंगा।

कृषि

राज्य सरकार कृषि के कार्य को उद्योग की भांति चलाने की आवश्यकता से पूरी तरह अवगत है और उसने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है। गेहूं के संबंध में जो क्रांति हुई है उसका कारण फसल को अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम है। ऐसी किस्में जितनी भूमि पर बोयी गयीं वह १९६६-६७ के ११ लाख ४८ हजार एकड़ से बढ़कर १९६८-६९ में ८७ लाख एकड़ हो गयी। चालू वर्ष के लिए १०० लाख एकड़ का लक्ष्य है। इस वर्ष कृषि उत्पादन का लक्ष्य इस प्रकार है—खाद्यान्न १८८ लाख मीट्रिक टन, गन्ना और तिलहन क्रमशः ५२ लाख और १९ लाख मीट्रिक टन, कपास ६५ हजार गांठ और जूट २ लाख ७ हजार गांठ।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान उर्वरकों की मांग काफी बढ़ गयी है और कृषि-उद्योग निगम से कहा गया है कि वह विद्युत-मशीनरी और औजारों से संबंधित कृषकों की आवश्यकताओं के संबंध में उन्हें सुविधाय प्रदान करने के अपने सामान्य कार्यकलाप के अतिरिक्त वर्ष के दौरान उर्वरक के वितरण का भी कार्य करे।

कृषि-उद्योग निगम ने १९६८-६९ के दौरान १,००० 'जीटर' ट्रैक्टर सज्जित किये और चालू वित्तीय वर्ष का लक्ष्य ४,००० का है।

बागबानी तथा औद्योगिक विकास के जरिये पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में एक भारत-जर्मन प्रायोजना चालू की गयी है।

प्रमाणित बीजों के विधायन, संग्रह और क्रय-विक्रय के लिए तराई विकास निगम की स्थापना की गयी है और 'इंटरनेशनल बैंक फार रिकांस्ट्रक्शन ऐंड डेवलपमेंट' के साथ १८ जून, १९६९ को किये गये एक इकरारनामे में बैंक से ५ वर्षों की अवधि में १ करोड़ ३० लाख डालरों की ऋण सहायता का अनुबन्ध किया गया है। कानपुर स्थित कृषि विद्यालय का पुनर्गठन किया गया है और उसे कृषि विज्ञान संस्थान का रूप दे दिया गया है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के कृषकों के प्रयासों में उनको बीज-खाद आदि खरीदने के लिए अत्यन्त आवश्यक पूंजी के अतिरिक्त, दूसरी बातों के साथ-साथ, लाभप्रद मूल्यों के आश्वासन की भी जरूरत है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ के अधीन ७० अतिरिक्त मंडियों के विनियमन के लिए विज्ञप्ति जारी किये जाने का प्रस्ताव है। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि ऋण देने की प्रणाली को, जो अब तक प्रास्थिति (स्टेटस) पर आधारित थी, निर्धन किसानों के लाभार्थ आवश्यकता पर आधारित बनाया जाय।

भूमिधर और सीरदार अब अपने लगान के २०० और १५० गुने के बराबर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अन्य ऋण देने वाली एजेंसियों को भी ऐसा ही करन के लिए राजी किया जा रहा है। इन एजेंसियों में श्रीमन् जो हमारे ये नेशनेलाइज्ड बक्स हैं वह भी शामिल ह।

उद्योग

सरकार ने उद्योगों के लिए अपेक्षित अवस्थापना (इनफास्ट्रक्चर) के वास्ते व्यवस्था करने के अतिरिक्त राज्य में औद्योगिक वातावरण उत्पन्न करने क लिए हाल म अत्यन्त विशिष्ट प्रकार के उपाय किये हैं। इनके परिणामस्वरूप राज्य म नयी औद्योगिक यूनिट स्थापित करने में बहुत सी पार्टियों ने बड़ी अभिरुचि दिखाई है। जिन उद्योगों के स्थापित होने की सम्भावना है वे इस प्रकार ह:—मिर्जापुर में ४० करोड़ रुपय का एक फर्टिलाइजर प्रोजक्ट, बरेली के आस-पास २५ करोड़ रुपय की एक रेयन ग्रड पल्प फैक्टरी, गाजियाबाद में एक आटोमोबाइल टायर-ट्यूब फैक्ट्री, एक पावर टिलर फक्ट्री, लखीमपुर-खीरी में एक न्यूजप्रिंट फैक्ट्री, गाजियाबाद में एक ट्रैक्टर, फैक्ट्री, संडीला मे बिस्फोटक पदार्थों की फैक्ट्री, मिर्जापुर में अल्यूमिनियम पवायल फैक्ट्री तथा बाराबकी में एक बुटानाल फैक्ट्री ।

एक और सीमेंट फैक्ट्री डल्ला में शीघ्र ही स्थापित की जा रही है जिसमें इस वर्ष प्रयोग के तौर पर उत्पादन शुरू हो जाना चाहिये। राज्य औद्योगिक निगम द्वारा अल्मोड़ा में एक डेड बर्न्ट मैगनीसाइट प्राजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। औराई में पांचवीं सहकारी चीनी मिल का निर्माण हो रहा है। इस बात के भी गंभीरता के साथ प्रयत्न किये जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रायोजनायें यहां चालू की जा सकें। वर्तमान लक्षणों के अनुसार यह प्राय: निश्चित है कि भारत टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा नैनी म एक सहायक यूनिट स्थापित की जायगी।

अलाभप्रद कपड़ा तथा चीनी मिलों को फिर से लाभप्रद बनाने क लिए एक निगम स्थापित करने के निमित्त इस वर्ष व्यवस्था की गयी है।

सिंचाई

राज्य में नियोजन युग के प्रारम्भ होने के पूर्व सिंचित क्षेत्र ७५ लाख एकड़ था। बड़ी और मध्यम सिंचाई स्कीमों पर ९० करोड़ रुपये तथा लघु सिंचाई स्कीमों पर ४० करोड़ रुपये खर्च करने के बाद इसे १२७ लाख ७० हजार एकड़ के इसके वर्तमान स्तर से बढ़ा कर चौथी योजना की अवधि के अन्त तक १८० लाख एकड़ कर देने का प्रस्ताव है।

रामगंगा, गडक तथा शारदा प्रणाली पर कार्य तीव्र गति से हो रहा है। बरवा और गुलरिया बांध पूरे किये जा चुके हैं। १४ डीजल पम्प वाली नहरों का विद्युतीकरण किया गया है और ४१ विद्युतचालित पम्प नहरें १९६८-६९ में पूरी की जा चुकी हैं। डलमऊ, भोपाली और जमनिया पम्प नहरों की स्कीमों का कार्य अत्यन्त तीव्र गति से प्रारम्भ किया गया और उनमें से सभी आंशिक रूप से चालू हो गयी ह। इन नहरों के सभी पम्पों के शीघ्र ही चालू हो जाने की सम्भावना है। टोंस पम्प नहर की प्रस्तावित स्कीम में इलाहाबाद के अभावग्रस्त क्षेत्रों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। इस वर्ष के प्रस्तावों में वर्ष के दौरान सिंचित क्षेत्र में ४ लाख ४५ हजार एकड़ की वृद्धि करने से सम्बन्धित अन्य स्कीमें तथा ३५० नये राजकीय नलकूपों का निर्माण सम्मिलित है। बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर १३० लाख रुपये व्यय किये जायंगे ।

निजी लघु सिंचाई

वर्ष का लक्ष्य इस प्रकार है—सिंचाई के लिए साधारण तथा बोरिंग वाले ७०,००० कुएं ३५,००० रहट, ३०,००० पम्पिंग सेट और ३८,५०० निजी नलकूप। इनके परिणाम स्वरूप १४ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ७५ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने का है। जो नई सुविधाएं दी जायंगी उनमें ये शामिल हैं– (क) राजकीय नलकूपों और नहरों से क्रमश: २०० और १०० मीटर की दूरी के भीतर स्थित निजी नलकूपों को कनेक्शन देना, (ख) ४ फ़र्लांग तक नि:शुल्क लाइन देना और (ग) जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा ५० हार्स पावर तक के बिजली के कनेक्शन स्वीकृत किया जाना।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

चौथी योजना के दौरान लघु सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्य का परिव्यय ५६ करोड़ रुपए हैं। इसमें भूमि विकास बैंक तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा १९० करोड़ रुपए तक की वृद्धि किए जाने की सम्भावना है। मेरे विभाग का संस्थात्मक वित्त 'सेल' अनुसूचित बैंकों-राष्ट्रीयकरण किये हुए (श्रीमन्, जिसका जिक्र मेरे मित्र ने बार-बार खड़े हो कर किया) तथा अन्य को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वे आवश्यकतानुसार सरकार की गारन्टी के अधीन रहते हुए जरूरतमन्द किसानों की अधिक मात्रा में सहायता करें। श्रीमन्, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इन बैंकों के द्वारा सरकार द्वारा किये गये इस प्रयास को साधारणतया स्वीकार किये जाने में बहुत ज्यादा अड़चन नहीं मालूम होती।

विद्युत्

पहली योजना के प्रारम्भ में राज्य विद्युत् उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता १७८ मैगावाट थी जो १९६८-६९ के अन्त में बढ़ कर १,१३५ मेगावाट हो गई। इतनी अधिक वृद्धि होने पर भी इस राज्य में विद्युत् की प्रति व्यक्ति खपत ३४ यूनिट ही है जब कि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति औसत खपत ६१ यूनिट है। उपलब्ध साधनों के भीतर इस कमी को पूरा करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

चालू वर्ष के दौरान यमुना जल-विद्युत् प्रायोजना की तीसरी यूनिट, ओबरा तापजनित विद्युत् प्रायोजना की ५० मेगावाट की चौथी मशीन और ओबरा जल-विद्युत् प्रायोजना की ३३ मेगावाट की एक मशीन चालू हो जायगी। यमुना जल-विद्युत्, द्वितीय प्रक्रम, रामगंगा जल विद्युत्, ओबरा तापजनित विद्युत् विस्तार तथा हरदुआगंज, चतुर्थ प्रक्रम के कार्य में तेजी से प्रगति हो रही है। वर्ष के दौरान १६,००० निजी नलकूपों को, जिनमें राज्य विद्युत् परिषद् की उपभोक्ता निक्षेप स्कीम के अधीन संभावित उपभोक्ताओं के ५,००० नलकूप सम्मिलित नहीं हैं बिजली से चलाया जायगा। यदि कतिपय अनुसूचित बैंकों से ऋण लेने का राज्य विद्युत् परिषद् का प्रस्ताव कार्यान्वित हो सका तो योजना के अनुमोदित कार्यक्रम के अतिरिक्त भी १४,००० और नलकूपों का विद्युतीकरण करना सम्भव हो जायगा।

राज्य सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि उत्तर भारत के लिए प्रस्तावित आटोमेटिक पावर स्टेशन नरोरा में अधिष्ठापित किया जाय जो इस प्रकार के अधिष्ठापन के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी करता है। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी दल केन्द्रीय सरकार को इस प्रस्ताव से सहमत होने के लिए राजी करने में सरकार का साथ देंगे।

शिक्षा

जैसा कि सदन को ज्ञात है, सरकार ने हाल ही में लगभग सभी स्तरों पर अध्यापकों के वेतनमानों तथा मंहगाई भत्तों का पुनरीक्षण किया है। अध्यापन कार्य न करने वाला कर्मचारि-वर्ग भी इससे लाभान्वित हुआ है। इस अतिरिक्त दायित्व को पूरा करने के लिए बजट में ९ करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गयी है।

१९६९-७० में ३९० और जूनियर बेसिक स्कूल तथा ३८१ अतिरिक्त सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है।

मेरठ विश्वविद्यालय में चालू सत्र से बी० ए० की कक्षाओं के लिए पत्र-व्यवहार पाठ्य-क्रम तथा विज्ञान के विषयों में एम० फ़िल० पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। टेहरी तथा उत्तर काशी में गवर्नमेंट डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव है। उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बजट में तदर्थ व्यवस्था की गयी है।

युवकों में अनुशासन की भावना लाने और उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए चालू वर्ष के बजट में एक युवक कल्याण परिषद् की स्थापना के निमित्त व्यवस्था की गयी है।

स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए १० लाख रुपये की विशेष व्यवस्था की गयी है।

पेय-जल सप्लाई करने की स्कीमें

इन स्कीमों को पर्वतीय तथा अन्य अभावग्रस्त क्षेत्रों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। जैसा कि सदन को ज्ञात है, पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में इस कार्य के लिए १ करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे। चालू वर्ष में शहरी जल सप्लाई और जल निकास स्कीमों पर १५७ लाख ६० हजार रुपये की धनराशि व्यय करने का विचार है। जिसमें ८ लाख रुपये वाराणसी के घाटों के जल-निकास सुधार के लिए हैं। १५० लाख रुपये की एक और धनराशि की व्यवस्था ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए की गयी है। २९८ लाख रुपये की एक अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पर्वतीय और अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी स्कीमों के लिए की गयी है। इसमें ऐसी स्कीमों के लिये नियत की गयी १ करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है जो पर्वतीय विकास परिषद् की सिफ़ारिश पर आरम्भ की जायेंगी।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अधिकारियों (मेडिकल अफ़सरों) की कमी को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाये गये हैं, जिनमें नये नियुक्त डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात करना तथा समेकित आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम (इन्टीग्रेटेड आयुर्वेदिक कोर्स) के स्नातकों को भरती करना सम्मिलित है। योजना की अवधि में मेरठ और झांसी के मेडिकल कालेजों में भरती की क्षमता बढ़ जाने और संभवतः इसी अवधि में गोरखपुर मेडिकल कालेज के खुल जाने से इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हो जायगा।

चौथी योजना से संबंधित तीन विशेष कार्यक्रम इस वर्ष प्रारम्भ किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों का संबंध जे के० इंस्टीट्यूट आफ़ रेडियोलोजी, कानपुर में कैंसर के तथा कानपुर और इलाहाबाद में मानसिक स्वास्थ्य के और कानपुर मेडिकल कालेज में हृदय-रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था से है।

प्रति रोगी १० पैसे के हिसाब से ली जाने वाली रजिस्ट्रेशन फ़ीस से जो धनराशि एकत्र होगी उसका ९० प्रतिशत अब केवल उस जिले के चिकित्सालयों में दी जाने वाली सुविधाओं पर खर्च किया जायगा जिसमें उक्त धनराशि एकत्र हुई हो। राज्य लाटरी से होने वाली शुद्ध आय का भी उपयोग राज्य के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किया जायगा।

परिवहन

मार्च, १९६८ के अंत तक १९,३९६ किलोमीटर मार्ग का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उसके अतिरिक्त १९६८-६९ के दौरान ५७ किलोमीटर मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया। १९६९–७० में अतिरिक्त मार्गों के राष्ट्रीयकरण के लिए १ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। चालू वर्ष में १४२ नई बसें तथा ६०० नयी बस चेसिसें खरीदने का प्रस्ताव है। चालू बजट में बसों तथा रोडवेज के बस स्टेशनों में यात्रियों की सुख-सुविधायें बढ़ाने के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

संचार साधन

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राज्य में १५,११३ किलोमीटर लम्बी सड़कें थीं। मार्च, १९६८ के अन्त तक सड़कों की लम्बाई बढ़ कर २८,८३५ किलोमीटर हो गयी है। १९६८–६९ के दौरान ३७८ किलोमीटर लम्बी सड़कें, जिनमें १५० किलोमीटर ग्रामीण सड़कें तथा ११ नये पुल भी सम्मिलित है, निर्मित की गयीं। चालू वर्ष में २४८ किलोमीटर नयी सड़कें तथा १३ नये पुल निर्मित करने का प्रस्ताव है।

हरिजन कल्याण

पहली योजना में २ लाख ८ हजार से अधिक हरिजन छात्रों ने शिक्षा सम्बन्धी स्कीमों से लाभ उठाया। दूसरी योजना के दौरान हरिजन छात्रों के लिए ७ लाख ६३ हजार से अधिक

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

छात्रवेतन स्वीकृत किये गये और २५ लाख छात्रों के संबंध में फीस की प्रतिपूर्ति की गयी। इसके अतिरिक्त मैट्रिक से ऊपर की कक्षाओं में २६,००० छात्रवृत्तियां दी गयीं। तीसरी योजना के दौरान १ लाख २४ हजार छात्रों को छात्रवृत्ति और अनावर्तक सहायता स्वीकृत की गयी और १ लाख ९० हजार छात्रों की फ़ीस में छूट दी गयी। हरिजनों की ४५० सहकारी समितियों को लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। पेय-जल के १०,९०० पक्के कुओं के निर्माण, ६,१०० हैण्ड पम्प लगाने और १५० कार्यस्थलों तथा १ ३०० भवन निर्माण-स्थलों के लिए भी सहायता दी गयी। चौथी योजना में शिक्षा सम्बन्धी स्कीमों के लिए ३ करोड़ १० लाख रुपये और आर्थिक उत्थान के लिए १ करोड़ २६ लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

योजना के अन्तर्गत किये जा रहे विभिन्न कार्यकलाप के अतिरिक्त मैं बजट में व्यवस्थित कतिपय ऐसी मदों का भी उल्लेख करना चाहता हूं जो विशेष अभिरुचि की हो सकती है—

(१) सरकार ने हाल ही में पर्वतीय विकास परिषद् को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसका पुनर्गठन किया है। परिषद् के क्षेत्राधिकार का विस्तार अब देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली जिलों तक हो गया है और अब यह परिषद् मुख्यतया इस क्षेत्र की विकास संबंधी स्कीमों को तैयार करने, उनके निष्पादन पर ध्यान देने तथा उनकी समीक्षा करने और उनके समन्वय का कार्य करेगी।

पुनर्गठित परिषद् की पहली बैठक ३० जून, १९६९ को नैनीताल में हुई थी। सरकार को आशा है कि परिषद् के सदस्यों की मूल्यवान सलाह से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के कार्य में और तेजी आ जायेगी।

ग्रामीण तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेय-जल की सप्लाई के लिये ३ करोड़ ४८ लाख रुपये की व्यवस्थित धनराशि के अतिरिक्त पर्वतीय विकास परिषद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले पर्वतीय जिलों में पेय-जल की सप्लाई के लिए १ करोड़ रुपये की और धनराशि की व्यवस्था की गयी है। पर्वतीय जिलों में विकास संबंधी ऐसी स्कीमों के लिए २५ लाख रुपये की एक-मुश्त धनराशि की भी व्यवस्था की गयी है जो उपर्युक्त परिषद की सिफारिश पर कार्यान्वित की जायेगी। उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कदम उठाये जायेंगे और इसके लिए बजट में १ लाख रुपये की टोकन व्यवस्था की गयी है।

(२) राज्य में कपड़ा तथा चीनी उद्योगों के पुनर्नवीकरण के लिए एक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए ८० लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है।

(३) हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार तथा प्रकाशित करने के लिए एक निगम स्थापित किया जायगा जिसके लिए २४ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(४) दक्षिण भारतीय भाषायें सिखाने वाली संस्थाओं को अनुदान देने के लिये २ लाख २२ हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। राज्य में उर्दू की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए भी १० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(५) इस वर्ष गांधी शताब्दी मनायी जायगी और राज्य सरकार इस राज्य में उसे मनाने के लिए सुविधायें और सहायता देगी। राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में एक गांधी शताब्दी समिति पहले ही बनाई जा चुकी है और मुख्य मन्त्री उसकी कार्यकारणी समिति के अध्यक्ष हैं। शताब्दी समिति को कौसानी निरीक्षण गृह (इंस्पेक्शन हाउस) गांधी स्मारक के रूप में उपयोग के लिए दे दिया गया है और उसे लखनऊ में गांधी संग्रहालय तथा पुस्तकालय के लिए एक और कीमती भूमि दी गयी है। श्रीमन्, कौसानी निरीक्षण गृह में महात्मा गांधी कभी ठहरे भी थे। इसके अलावा १९६८-६९ में समिति को २ लाख रुपये का एक अनुदान स्वीकृत किया गया था। महात्मा गांधी स्मारक के निर्माण के लिए इस वर्ष समिति को १ लाख रुपये का एक अनुदान दिया जायगा। सूचना विभाग की प्रदर्शनी यूनिट का तिहाई भाग गांधी जी के जीवन से संबंधित चित्र दिखाने के लिए दे दिया गया है। दिल्ली में अक्तूबर, १९६९ में होने वाली

अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इस राज्य की ओर से भी एक मण्डप लगाया जायगा। मकान बनाने और पीने के पानी के लिए कुएं बनाने के निमित्त हरिजनों को अनुदान देने के हेतु बजट में ५ लाख ५० हजार रुपये की व्यवस्था भी की गयी है।

(६) सरकार ने इस राज्य में स्थापित ऐसी नयी औद्योगिक इकाइयों को तीन वर्ष के लिए बिक्री-कर से छूट देने का हाल में निश्चय किया है जो सरकार द्वारा अनुमोदित हों, फैक्ट्रीज ऐक्ट के अधीन रजिस्टर्ड हों और भारत सरकार की प्रतिषिद्ध सूची (बैन्ड लिस्ट) में न हों। सरकार ने २५ निर्दिष्ट उद्योगों के काम में आने वाले कच्चे माल और संघटकों को भी इस उद्देश्य से बिक्री-कर के लगाये जाने से छूट दी है कि ये उद्योग अन्य राज्यों की उसी प्रकार की इकाइयों से होड़ ले सकें।

(७) स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दूसरे राज्यों से आयात किये गये माल के पुनर्निर्यात पर कर की दर घटाकर १ प्रतिशत कर दी गयी है और दूसरे देशों को निर्यात किये जाने वाले हथकरघे से तैयार किय गय रेशम और रेशम की बनी वस्तुओं की बिक्री-कर से छूट दी गयी है। कागज, कांच की सादी चूड़ियां, मोजा-बनियाइन, फीते, निवाड़ और लैस पर भी बिक्री-कर की दर घटा दी गयी है। १५ मदों पर बहु-सूत्रीय कर के स्थान पर एक-सूत्रीय कर लगाया गया है। विक्री-कर प्रशासन को सरल और कारगर बनाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। विक्री-कर के निर्धारण में समय की बचत के उद्देश्य से बिक्री-कर अधिकारियों तथा सहायक बिक्री-कर अधिकारियों के संवर्ग में वृद्धि करने का निश्चय किया गया है। २ लाख ५० हजार रुपये से अधिक के लेन-देन पर कर निर्धारण का कार्य चुने हुए वरिष्ठ बिक्री-कर अधिकारियों को सौंपा जायगा। अपीलों के निस्तारण के लिए सहायक आयुक्त न्यायिक और अतिरिक्त न्यायाधीश (पुनरीक्षण) के दो नये पदों का सृजन किया गया है। दस महत्व-पूर्ण जिलों में एक बिक्री-कर अधिकारी और एक डिप्टी कलेक्टर को मिलाकर बनाये गये विशेष संयुक्त जांच दल स्थापित किये गये हैं। कई अन्य उपायों पर भी, जिनकी सिफारिश उत्तर प्रदेश कराधान जांच समिति (यू० पी० टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी) १९६८–६९ द्वारा की गयी है, सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इनमें कुछ उपाय ये हैं—छोटे व्यापारियों के लाभ के लिए एक समझौते की स्कीम तैयार करना, व्यापारियों को देय धनराशि की स्वयंमेव वापसी की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना और वर्तमान अधि-नियम में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक तैयार करना, जिससे कार्यविधि सरल हो हो जाय और निर्धारितियों (एजेंसीज) को अधिक सुविधायें देने की व्यवस्था की जाय। इन सभी विषयों पर यथासंभव शीघ्र निर्णय लिया जायगा।

(८) अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों तथा समस्याओं पर विचार करने के लिए इस महीने में एक-एक सदस्यीय अल्प संख्यक आयोग स्थापित कर दिया गया है।

(९) प्रशासन की स्वच्छता एवं कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए तथा भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सरकार द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं। विचारा-धीन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के विचार से गत वर्ष प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए एक पूर्णकालिक प्रेसीडेंट नियुक्त किया गया था। भ्रष्ट अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मामले शीघ्र निपटाने के लिए एक पूर्णकालिक अतिरिक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है। १९६८-६९ में न्यायाधिकरण ने सत्रह मामलों में अंतिम रिपोर्ट दी जिनमें से छः मामलों में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की बर्खास्तगी पद से हटाये जाने की सिफारिश की गयी थी तथा ग्यारह मामलों में हल्का दण्ड देने की सिफारिश की गयी थी। इन मामलों के अलावा सतर्कता विभाग ने भी १९६८-६९ में सम्बधित प्रशासकीय विभागों को ४५ मामले विभा-गीय कार्यवाही करने के लिए भेजे थे और इसी प्रकार चालू वर्ष में ३८ मामले विभागों को भेजे गये हैं।

(१०) सतर्कता अधिष्ठान को १९६८–६९ में ६० खुली जांचें तथा इस वर्ष जून के अन्त तक १३ ऐसी जांचें करने का काम सौंपा गया था। पिछले वर्ष जो ६० मामले भेजे गये थे उनमें

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

से ३१ मामलों में जांच कार्य पूरा हो चुका है और इसके परिणामस्वरूप ६ गम्भीर मामले प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास भेजे गये हैं, १७ मामलों की विभागीय कार्यवाही के लिए भेजा गया है, एक कर्मचारी रिटायर कर दिया गया है, २ कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, २ मामलों में आरोप सिद्ध न होने के कारण कार्यवाही बन्द कर दी गयी है और ३ मामले विचाराधीन हैं। पिछले ३० जून, १९६९ को ५८ मामले प्रशासनिक न्यायाधिकरण के विचाराधीन थ और १७३ मामलों में सतर्कता अधिष्ठान की जांच करनी है। इस प्रकार सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर रही है।

वित्त आयोग

पिछले मार्च में अन्तरिम वित्त-विवरण प्रस्तुत करते हुए मैंने यह कहा था कि वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में उल्लिखित संक्रमित धनराशि का ८३ करोड़ ५९ लाख रुपये का हमारा अंश आयोजनेतर पक्ष में १९६८-६९ के अन्त तक वचनबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए ११६ करोड़ रुपये की हमारी आवश्यकता से बहुत कम है। राज्य सरकार ने १९६९-७० से १९७३-७४ तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय का एक पूर्वानुमान आयोग को प्रस्तुत किया है, जिससे आयोजनेतर पक्ष में १,०४५ करोड़ ५९ लाख रुपये का राजस्व घाटा परिलक्षित होता है। वित्त आयोग के समक्ष १३ मई को दिये गये अपने अभिभाषण में मुख्य मन्त्री ने वितरित किये जाने वाले करों के विभाज्य समुच्चय (डिविजिबिल पूल) में से अपेक्षाकृत अधिक अंश दिये जाने के पक्ष में प्रबल तर्क दिये थे, जिससे कि वित्त आयोग द्वारा संक्रमित की जाने वाली धनराशि से न केवल आयोजनेतर राजस्व की कमी को पूरा किया जा सके वरन् राज्य के पास अपनी आयोजनेतर आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद पर्याप्त धन बच सके। यह भी सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई करन, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों की शिक्षा आदि के सम्बन्ध में अतिरिक्त सुविधाएं देने तथा ऐसी कुछ ही अत्यावश्यक स्कीमों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए इस राज्य को संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत पर्याप्त सहायक अनुदान दिया जाय।

राज्य सरकार ने वित्त आयोग को प्रस्तुत किये गये अपने ज्ञापन में यह सुझाव दिया है कि आयकर से प्राप्त होने वाली धनराशि का ८० प्रतिशत और उत्पादन शुल्कों से होने वाली आय का ४० प्रतिशत राज्यों को दिया जाय और प्रत्येक राज्य का अंश जन-संख्या के आधार पर निश्चित किया जाय, यद्यपि वैकल्पिक रूप में यह भी सुझाव दिया गया है कि उत्पादन-शुल्कों के विभाज्य समुच्चय का जनसंख्या के आधार पर ८० प्रतिशत और पिछड़ेपन के आधार पर २० प्रतिशत पिछड़े हुए राज्यों में उनकी प्रति व्यक्ति आय के प्रतिलोम अनुपात (इनवर्स रेशियो) में वितरित किया जा सकता है। अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों के सम्बन्ध में सरकार ने कपड़ा, चीनी और तम्बाकू पर फिर से बिक्री-कर लगाये जाने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है। यह सन्तोष का विषय है कि भारत सरकार ने अब इस राज्य तथा कुछ अन्य राज्यों के इस सुझाव को स्वीकार करने का निश्चय किया है कि आयकर की अग्रिम वसूलियों को राज्यों में वितरित किया जाय। राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया है कि अग्रिम वसूलियों का ८० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाय, परन्तु उसकी राय में भारत सरकार का यह निदेश उचित नहीं है कि अनुदान और अन्य करों में अंश की धनराशि निश्चित करते समय अग्रिम वसूलियों के अंश को भी हिसाब में शामिल कर लिया जाय। अग्रिम वसूलियों का अंश सामान्य संक्रमण के अतिरिक्त होना चाहिए।

१९६९-७० के लिए बजट अनुमान

मैं सदन का समय बजट सम्बन्धी उन ब्योरेवार आंकड़ों के वर्णन में नहीं लेना चाहता जिनमें १९६७-६८ के आय और व्यय के वास्तविक आंकड़े तथा १९६८-६९ के पुनरीक्षित अनुमान सम्मिलित हैं और जो वित्त सचिव के स्मृति-पत्र में स्पष्ट किये जा चुके हैं। मैंने पिछले मार्च में सदन के समक्ष वित्त-विवरण प्रस्तुत करते समय १९६८-६९ के पुनरीक्षित अनुमानों की मुख्य विशेषताओं का भी उल्लेख किया था। अतएव, मैं इस

समय १९६९-७० के अंतिम बजट अनुमानों की मुख्य विशेषताओं तक ही अपने को सीमित रखूंगा।

राजस्व लेखे के अन्तर्गत वर्ष १९६९-७० की प्राप्तियों और व्यय के अनुमान क्रमशः ३८९ करोड़ ४४ लाख रुपये और ४३८ करोड़ ८ लाख रुपये हैं जिससे ४८ करोड़ ६४ लाख रुपये का राजस्व घाटा परिलक्षित होता है। कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियों में योजना के लिए अनुदान के रूप में ४५ करोड़ ४७ लाख रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है, (राज्य योजना सम्बन्धी स्कीमों के लिए २८ करोड़ रुपये और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों के लिए १७ करोड़ ४७ लाख रुपये) तथा राज्य योजना के लिए संसाधन जुटाने के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष में पहले से प्रारम्भ की गई कतिपय कार्यवाहियों के फल-स्वरूप प्रत्याशित २ करोड़ ८७ लाख रुपये की शुद्ध अतिरिक्त प्राप्तियां सम्मिलित हैं। इसी प्रकार राजस्व व्यय के बजट अनुमान में राज्य योजना संबंधी स्कीमों के लिए ३९ करोड़ ४९ लाख रुपये तथा केंद्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों के लिए १७ करोड़ ६९ लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था शामिल है। आयोजनागत स्कीमों से संबंधित प्राप्तियों तथा व्यय को छोड़ कर कुल राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय का अनुमान क्रमशः ३४१ करोड़ १० लाख रुपये तथा ३८० करोड़ ९० लाख रुपये है। इस प्रकार आयोजनेतर पक्ष में ३९ करोड़ ८० लाख रुपये का घाटा परिलक्षित होता है। घाटे की शेष धनराशि का कारण योजना संबंधी अनुमानित व्यय है। राज्य सरकार द्वारा ऋणों तथा अग्रिमों के लिए संवितरित की जाने वाली धनराशि को शामिल करते हुए चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय के लिए शुद्ध व्यवस्था का अनुमान ८४ करोड़ ८८ लाख रुपये है और इस वर्ष उधार ली जाने वाली ५९ करोड़ ८४ लाख रुपये की अनुमानित शुद्ध धनराशि को मिलाकर पूंजीगत लेखे म २५ करोड़ ४ लाख रुपये के घाटे का पता चलता है। राजस्व तथा पूंजीलेखे को मिलाकर कुल घाटे की अनुमानित धनराशि ७३ करोड़ ६८ लाख रुपये हैं, जिसके विपरीत लोक लेखे के अन्तर्गत शुद्ध प्राप्तियों की जिसमें रिजर्व से निकाली जाने वाली ११ करोड़ ९७ लाख रुपये की धन-राशि शामिल है।) अनुमानित धनराशि ३४ करोड़ १ लाख रुपये है और इस प्रकार समग्र रूप से अपूरित घाटा लगभग ३९ करोड़ रुपये का है।

यह स्वतः स्पष्ट है कि आयोजनेत्तर पक्ष में हमारे राजस्व संसाधनों की कमी के कारण इतन बड़े परिमाण में होने वाले इस अपूरित घाटे के संबध में सरकार बहुत चिंतित है। माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि वित्त आयोग की सिफारिश पर पर्याप्त धनराशि का संक्रमण होने तक राज्य सरकार के लिए ऐसी आयोजनागत स्कीमों पर, जिनमें केंद्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमें सम्मिलित हैं और जिन्हें १९६६-६७ से १९६८-६९ तक की अवधि के दौरान पिछली तीन तदर्थ योजनाओं में कार्यान्वियन के लिए आरम्भ किया गया था, बचनबद्ध व्यय की पूर्ति के लिये निजी ससाधन ढूंढ निकालना कदाचित ही सम्भव होगा। इन आयोजनागत स्कीमों पर राजस्व व्यय के लिए १९६८-६९ के मूल बजट अनुमानों में कुल ५२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी और इन स्कीमों में से ऐसी स्कीमों पर, जो १९६८-६९ के अन्त तक पूरी हो चुकी थीं, वचनबद्ध व्यय की पूर्ति करना अब पूर्णतया राज्य का उत्तरदायित्व हो गया है। आयोजनेतर पक्ष में १९६८-६९ के दौरान अत्यावश्यक प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय व्ययों के लिए भी बचनबद्ध होना पड़ा। मुख्य रूप से इन बातों तथा सामान्य व्यय वद्धि के कारण राजस्व लेखे की स्थिति गिरी है। वास्तविक कार्य संचालन में, यदि पांचवें वित्त आयोग के अंतिम अभिनिर्णय के फलस्वरूप पर्याप्त धनराशि का संक्रमण हो तो यह आशा की जाती है कि स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।

संसाधन जुटाना

वर्ष १९६९-७० की वार्षिक योजना के परिव्यय के लिए जो योजना आयोग द्वारा १६० करोड़ रुपये नियत किया गया है, वर्ष के दौरान २० करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की परिकल्पना की गयी है। चौथी पंचवर्षीय योजना में हम ९५१ करोड़ रुपये की

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

नियत धनराशि से अधिक कुल कितनी धनराशि विनियोजित कर सकेंगे यह इस बात पर निर्भर रहेगा कि योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। राज्य के संसाधन बढ़ाने क लिए, जो राज्य की जनता के व्यापक हित म आवश्यक है, हमें सभी सम्भव संसाधन ढूंढने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने अपने पहले के भाषण में कहा था, विशेषकर बिक्री-कर, उत्पादन शुल्क, औद्योगिक ऋणों आदि के सम्बन्ध में सरकार को देय बड़ी-बड़ी बकाया धनराशियां वसूल करने क लिए कड़ी कार्यवाही की जायगी और साथ ही कार्यदक्षता को बनाये रखते हुए व्यय में मितव्ययिता करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये जायेंगे। हाल ही में सभी विभागाध्यक्षों तथा कार्यालयाध्यक्षों को आदेश जारी किये गये हैं कि वे आवर्तक आकस्मिक व्ययों तथा यात्रा-भत्तों के अधीन व्यय में १० प्रतिशत की मितव्ययिता करें जिससे प्रतिवर्ष लगभग २ करोड़ रुपये की बचत होने की आशा की जाती है। इस ग्रीष्म ऋतु में सरकार विश्रान्ति (रीसेस) के लिए पहाड़ पर नहीं गयी है और पहाड़ों पर विश्रांति के लिए सरकारी कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं दी गयी है। मितव्ययिता की दृष्टि से यह भी निश्चय किया गया है कि जब तक नितांत आवश्यक न हो, सरकारी समितियों की कोई भी बैठक किसी पर्वतीय स्थान में या मुख्यालय के बाहर न की जाय। किन्तु यह स्पष्ट है कि ये उपाय यद्यपि योजना के लिए सहायक सिद्ध होंगे फिर भी योजना के हेतु अपेक्षित अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकते। स्वैच्छिक बचतों से भी ज्यादा धन इकटठा होने की गुंजाइश नहीं है। बाजार से भी हम एक सीमित धनराशि ही उधार ले सकते हैं और छोटी बचतों से संसाधन जुटाने के लगातार प्रयास किये जा रहें हैं तथा इसके लिये चौथी योजना के अवधि में १०० करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संसाधन जुटाने का एक और प्रमुख साधन हाल ही में चालू की गयी राज्य लाटरी स्कीम है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य लाटरी स्कीम से होने वाली शुद्ध प्राप्तियों का अनुमान ७१ लाख रुपये का लगाया गया है। यह स्कीम लोकप्रिय होती जा रही है और आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग ६ करोड़ ७५ लाख रुपये की शुद्ध प्राप्तियां होंगी। यह भी निश्चय किया गया है कि भूमिधर के अधिकार की प्राप्ति के लिये सरकारों से लगान के १० गुना की अदायगी के स्थान पर जैसी कि अब तक प्रथा रही है, उसके २० गुने की अदायगी करायी जानी चाहिये इस उपाय से प्रतिवर्ष लगभग १ करोड़ रुपये की आय होने की आशा है। करापवंचन रोकने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार राज्य के कर-प्रशासन को दोष रहित बनाने के लिये भी सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संसाधन जुटाने के मामले में इस सरकार की दृढ़ नीति यह है कि समाज के अपेक्षाकृत निर्धन एव निर्बल वर्गों पर दूसरों से कम भार पड़े। चालू वित्तीय वर्ष में बिक्री-कर की दरों में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं जिनसे लगभग ३६ लाख रुपये की वार्षिक आय होगी। भारत में बनी विदेशी शराब पर लगाये गये उत्पादन शुल्क की दर १ जून, १९६९ से प्रति एल०पी० लीटर १८ रुपये से बढ़ाकर २१ रुपये कर दी गयी है और इस वर्ष इससे राजस्व में ३० लाख रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। देशी शराब पर बिक्री-कर की दर भी २ अप्रैल, १९६९ से १० प्रतिशत नियत की गयी है और इस स्रोत से चालू वित्तीय वर्ष में १ करोड़ ५० लाख रुपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है। इस प्रकार योजना आयोग को दिये गये वचन का परिपालन करते हुए राज्य सरकार ने कतिपय उपाय करने का निश्चय किया है जिनमें से कुछ को कार्यान्वित किया जा चुका है और अन्य उपायों को विधान मडल की स्वीकृति लेकर संबंधित अधिनियमों तथा नियमावलियों में आवश्यक संशोधन करने के बाद कार्यान्वित करने का प्रस्तव है।

राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए कतिपय उपायों के संबध में जो निर्णय लिया जा चुका है उससे १९६९-७० के दौरान लगभग ३ करोड़ ९१ लाख रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके कारण इस वष के बजट अनुमानों में २ करोड़ ८७ लाख रुपये की

वृद्धि परिलक्षित होती है। इसमें बिक्री-कर के अभिनवीकरण, मोटर गाड़ियों और यात्री-गाड़ियों आदि पर कर में वृद्धि, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस म वृद्धि, मोटर स्प्रिट पर बिक्री-कर से सबधित प्रस्तावों से होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित नहीं हैं जिनसे वर्ष के दौरान १ करोड़ ६ लाख रुपये की आय होगी। वर्तमान सत्र में आवश्यक संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किये जायेंगे। यह हो सकता है कि कमी को पूरा करने और ९५१ करोड़ रुपये की योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो विधान मण्डल की स्वीकृति से यथा समय कतिपय अन्य कदम भी उठाने पड़ें।

मैं एक बहुत उल्लेखनीय कदम के सम्बन्ध में, जिसे राज्य सरकार न राज्य के भीतर धन विनियोजन के लिए लोगों को आकर्षित करने हेतु उठाया है, सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते समय मैंने इस बात पर बल दिया था कि हमें अपने आर्थिक विकास के लिए संस्थात्मक वित्त के सम्भाव्य स्रोत का पूरी तरह लाभ उठाना है। विभागीय प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संस्थात्मक वित्त का एक 'सेल' हाल में वित्त विभाग में स्थापित किया गया है। सहकारी क्षेत्र में कुल मिलाकर ३१ स्कीम, जिनका कुल अनुमानित व्यय ६५ करोड़ ८९ लाख रुपये है, पुनर्वित्त-पोषण सम्बन्धी सुविधाओं के लिए 'ऐग्रिकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन' के पास भेजी गयी में इनमें २९ लघु सिंचाई की स्कीम हैं, जिन पर ५६ करोड़ ९४ लाख रुपये का परिव्यय होगा। लघु सिंचाई की १५ स्कीमों, जिन पर १६ करोड़ ९७ लाख रुपये का परिव्यय होगा, कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इन स्वीकृत स्कीमों के लिए उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक अब तक लगभग ६९ लाख रुपये की धनराशि पुनर्वित्तपोषण सम्बन्धी सुविधाओं के लिए प्राप्त कर चुका है और नियत धनराशियों के शेष भाग के उपयोग करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। ऋण देने के अपने सामान्य कार्य-क्रम के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष में ७ करोड़ रुपये के ऋण के वितरण का लक्ष्य है, जिसके लिए एग्रिकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन से पुनर्वित्तपोषण सबधी सुविधायें उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक राष्ट्रीयकरण किए हुए बैंकों से सहकारी क्षेत्र में उर्वरक व्यापार को वित्तपोषित करने के निमित्त रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण की सुविधाओं को प्राप्त किया जा रहा है।

हाल में वाराणसी, एटा, आजमगढ़ और लखीमपुर-खीरी जिलों में छोटे किसानों के लिए कृषि संबधी ऋण की व्यवस्था के लिए स्टेट बैंक आफ इन्डिया द्वारा एक राज्य पुरोनिधानित (स्टेट स्पान्सर्ड) स्कीम चालू हो गई है। राज्य सरकार इस स्कीम के अधीन पिछले वर्ष में दिये गय ऋणों से अधिक दिये गये ऋणों के अशोध्य अंश के, यदि कोई हों, ५० प्रतिशत की गारंटी देने को सहमत हो गई है। यह गारन्टी प्रति वर्ष प्रति जिला पीछे ५० लाख रुपये की अधिकतम सीमा क प्रतिबन्ध सहित है। अन्य व्यावसायिक बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे कृषि सम्बन्धी ऋण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य आरम्भ करेंगे। इन बकों के द्वारा इस दिशा में योगदान किए जाने के लिए एक बहुत् क्षेत्र है। निजी नलकूपों और पंपिग सेटों के विद्युतीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को भी अधिक ऋण सहायता की आवश्यकता है। मुझे यह जानते हुए खुशी होती है कि व्यावसायिक बैंक साधारणतया इस प्रकार की सरकार की गारंटी पर ऋण की सुविधाओं का विस्तार करने को इच्छुक है जिस प्रक र की गारंटी कुछ अन्य राज्यों में दी गयी है। अपनी अर्थव्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक सम्भव विनियोजन की नितान्त आवश्यकता का विचार करते हुए और प्रमुख बैंकों क राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रख कर संस्थात्मक वित्त को इस राज्य की ओर वास्तव में बड़े पैमाने पर आकृष्ट करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने को कटिबद्ध है। यह सब उन सुविधाओं के अतिरिक्त होगा जो बैंकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कृषकों और उद्यमकर्ताओं को दी जा रही है। राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करने का प्रत्येक प्रयास करेगी कि ऋण प्राप्त करने के अपने प्रयत्नों म कृषकों तथा दूसरों को अनावश्यक परेशानी या बाधा का सामना करना पड़े।

[श्री लक्ष्म रमण आचार्य]

संक्षप में, आयोजनेतर राजस्व की कमी की पूर्ति पांचवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गयी संक्रमण की धनराशि द्वारा होनी चाहिये। ८ करोड़ ८४ लाख रुपये तक के आयोजन गत राजस्व घाटे की और पूंजीगत लेखे के २५ करोड़ ४ लाख रुपये के घाटे की पूर्ति, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मितव्ययिता करके, बकाया धनराशि की वसूली द्वारा, लाटरी आदि तथा कराधान सबधी दूसरे उपायों से संसाधन जुटा कर की जायगी। शेष धनराशि की पूर्ति, यदि आवश्यक हो तो रिजर्व से धन निकाल कर की जायगी।

इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण समाप्त करू, श्रीमन्, मैं आप की अनुमति से एक ऐसे विषय का उल्लेख करना चाहूंगा जिससे हम सब का सीधा सम्बन्ध है। विधान मडल में कई माननीय सदस्यों ने दोनों सदनों के सदस्यों की परिलब्धियों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार पर जोर डाला है। केन्द्र तथा अन्य राज्यों में हमारे विधायकों की वर्तमान परिलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को इस मांग के प्रति सहानुभूति है और यदि विधान मण्डल के सदस्यों में से काफी बहुमत का यह विचार हो तो सरकार विधान मण्डल के समक्ष आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये तैयार होगी।

मैं अब इस सम्मानित सदन का अधिक समय न लूंगा। मैंने यह बताने की कोशिश की है कि यह सरकार अपने बजट को लोक निधियों के व्यय का प्राधिकार देने के एक मात्र उपाय के रूप में नहीं समझती बल्कि उसे एक ऐसा सक्षम उपकरण क रूप में समझती है जो राष्ट्रीय योजना म परिकल्पित पूर्वता की सुव्यवस्थित प्रणाली के द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान के सर्वाधिक महत्व पूर्ण कार्य का संचालन करे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो संसार का कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसने पर्याप्त त्याग किये बिना या भार वहन किये बिना प्रगति की हो। उससे अन्ततः भावी पीढ़ी का कल्याण ही हुआ है। इस बात को देखते हुए वर्तमान पीढ़ी के भाग्य में यह बदा है कि वह कठोर परिश्रम करे और भावी पीढ़ी के लाभार्थ दूसरों के साथ मिलकर प्रसन्नतापूर्वक भार वहन करे।

हमको यह स्मरण रखना चाहिए कि हमें एक नया समाज बनाना है और साथ ही हमको यह न भूलना चाहिए कि हम उन गांधी शताब्दी के वर्ष में रह रहे हैं जिसके लिए कवि बच्चन ने कहा है—

तुम उठा लकुटी खड़े हुए चौराहे पर,
बोले, वह साथ चले जो अपना डाये घर

उन्होंने हमें यह शिक्षा दी है कि इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमें अपने ही घरों म आग लगानी होगी और अपने अस्तित्व को मिटा देना होगा। हो सकता है कि इसके लिए हमें अपनी ही आहुति देनी पड़े। सरकार आशा करती है कि हमारे सामने चुनौती देने वाला जो यह कार्य है उसे पूरा करने में सभी माननीय सदस्य अपना सक्रिय तथा बहुमूल्य योगदान देंगे।

अन्त में, मैं वित्त विभाग के आयुक्त एव सचिव श्री आर० के० त्रिवेदी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो अपने गुरुतर कर्त्तव्यों का निर्वहन बड़ी योग्यता एवं दक्षता के साथ कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे इस बजट के तैयार करने में बहुमूल्य सहायता दी है। श्री नरेश चन्द्र राय के प्रति जो आय-व्ययक के विशेषज्ञ हैं जो लगभग एक सप्ताह म लम्बी और उज्ज्वलित सेवा से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, मैं विशेष आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। मैं विशेष सचिव सर्वश्री भरत नरायन तथा एस० पी० पांडे और संयुक्त सचिव श्री एस० शर्मा, तथा उप सचिव सर्वश्री आर० वासुदेव, बी० एन० प्रसाद तथा जी० एस० चौधरी को भी धन्यवाद देता हू। मं वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंन अपने अथक परिश्रम से बजट तैयार तथा संकलित करने के काम में सहायता दी। म भाषा विभाग क अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन की बहुमूल्य सहायता के लिये धन्यवाद देता हूं। मैं सरकारी मुद्रणालय के अधीक्षक, सयक्त अधीक्षक तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दक्षता और सतर्कता के साथ बजट साहित्य का मुद्रण किया।

श्रीमन्, इसके पूर्व कि मैं समाप्त करू, मैं आप की आज्ञा का थोड़ा सा पालन करना चाहता हूं। हमारे बहुत से मित्र इस बात के लिये अधीर थे, वे यह जानना चाहते थे कि इन बजट प्रस्तावों को करने से पूर्व अथवा करते समय, हम इस बात का ध्यान रख पाये थे या नहीं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे हमें कितना लाभ होगा। मेरा ख्याल है कि इनके लिये मैं अधीर शब्द का प्रयोग करू तो अन चित न होगा। मैंने अपने भाषण में ,जो आप के समक्ष पढ़ा है, जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जो लाभ होने वाला है, उसको हमने अपनी दृष्टि म रखा था और पिछली बार वोट आन एकाउन्ट को प्रस्तुत करते समय यह लक्षित किया था कि हमने यह निश्चय किया है कि फाइनेंस विभाग में इन्स्टीट्यूशन आफ फाइनेंस की एक अतिरिक्त सैल की स्थापना की गई है। सैल के अन्तर्गत काम करने वाले अधिकारियों को हमें बाहर भी भेजना पड़ा। कुछ अधिकारी बाम्बे आदि भी भेजे गये। उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमने बैंकों के नैशनेलाइजेशन से होने वाले लाभ को अपनी दृष्टि में रखा था। अतः इस सदन में प्रसन्नतापूर्वक यह कहा जा सकता है कि फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स के द्वारा इस प्रदेश की सरकार को, इस प्रदेश के लोगों के विभिन्न कार्यकलापों को निश्चित ही इससे सहायता प्राप्त होगी और उससे इस राज्य के पुनर्निर्माण में निश्चय ही सहायता मिलेगी।

श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ १९६९–७० का बजट प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को आयव्ययक संबधी साहित्य लाबीज में मिलेगा। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या १ से १९८ तक के सदस्यों को "हां" की लाबी में लिटरेचर मिलेगा और १९९–४२५ तक के सदस्यों को 'नहीं' की लाबी में मिलगा।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, आपने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

कल यह तय हुआ था कि बजट लिटरेचर लाबीज में दिया जाय। इसलिये जो सदस्य १–१९८ तक के निर्वाचन क्षेत्रों में चुने गये हैं 'हां' की लाबी म बजट साहित्य मिलेगा और शेष को "नहीं" की लाबी में।

चन्द्रमा पर मानव के उतरने के उपलक्ष्य में बधाई का प्रस्ताव

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं एक ऐसे विषय पर एक प्रस्ताव इस माननीय सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं जो आज की बीसवीं शताब्दि की एक अत्यन्त आश्चर्यजनक, अभूतपूर्व और विचित्र घटना है और इसने आज समस्त मानव जाति को अपनी ओर आकृष्ट भी किया है और प्रभावित भी किया है। यह जो बड़ा भारी अनन्त विश्व है उसके कोने में पड़ा हुआ जो इस छोटी-सी धरती का यह छोटा-सा प्रदेश है उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के विकास के संबंध में अभी हम अपने माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहे थे। २१ जुलाई, १९६९ को आज एक ऐसी घटना घट गई जिसकी कोई मिसाल हजारों वर्ष के मानव जाति के इतिहास में नहीं मिलती। इसी संबंध में मैं आपकी आज्ञा से एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि हमारे सदन के सभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत होंगे।

"उत्तर प्रदेश की विधान सभा मानव-समाज के इतिहास में चन्द्रलोक पर धरती के मानव के प्रथम चरण-विक्षेप की अभूतपूर्व घटना पर शून्य अंतरिक्ष के यात्रियों और इस युग के महान् प्रतिभा-ज्ञान सम्पन्न उन वैज्ञानिकों को स्नेह और सम्मान सहित हार्दिक बधाई देती है जिन्होंने अपने साहस, अपने उत्साह तथा अपनी विशिष्ट बौद्धिक प्रतिभा का परिचय देकर प्रकृति पर इस उज्ज्वलतम विजय को प्राप्त करके समस्त मानव जाति को गौरवान्वित किया है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]—

इस घटना ने मानव के अनन्त शून्य की यात्रा के संबंध में उसके युग-युग के सपनों को साकार किया है। अतः इस अवसर पर यह सदन अमेरिका की जनता तथा उसके राष्ट्रपति को भी हार्दिक बधाई देती है जिसके ३ नागरिकों ने वह कर दिखलाया है जो अब तक केवल कल्पना का ही विषय रहा है।"

जिन लोगों ने आज के समाचार-पत्रों को देखा होगा उन्हें इसकी सूचना आज प्रातः काल ही मिल गई होगी कि दो यात्रियों को ले कर यह चन्द्रयान रात के डेढ़ बजे के करीब चन्द्रमा की धरती पर उतरा है। उसके बाद अभी भी जो सूचनायें मिल रही हैं उनसे यह ज्ञात हुआ है कि ११–११.३० बजे के लगभग श्री नील आर्म्सस्ट्रांग उस यान से नीचे उतरे और चन्द्रमा की धरती पर मनुष्य का प्रथम पदविक्षेप हुआ और उसके थोड़ी ही देर बाद उनका दूसरा साथी भी यान से उतरा और दोनों ने चन्द्रमा के ऊपर न केवल अपना पदविक्षेप किया परन्तु उस पर घूमे फिरे और वहां की कुछ मृत्तिका भी उठाई और उसे अपने साथ लिया और एक ने करीब-करीब १ घंटा ५४ मिनट तक चन्द्रमा की धरती पर यात्रा की और दूसरा करीब-करीब २ घंटे ४० मिनट तक चन्द्रमा की धरती पर घूमता रहा। इसके बाद दोनों यात्री अपने यान में वापस पहुंचे। अभी जो सूचनायें आयीं, उनसे यह पता चला कि उन्होंने अपने यान के दरवाजों को बन्द किया और भर पेट भोजन किया और इसके बाद अब विश्राम कर रहे हैं और सो रहे हैं और ऐसी सूचना है कि कदाचित् इस समय जब हम यहां बैठे हुये हैं, तो फिर वे बाहर निकले होंगे चन्द्रमा पर और उन्होंने उन तमाम आवश्यक वस्तुओं को, जिनका निर्देश उन्हें मिला था कुछ पत्थर, कुछ धूल, कुछ रज कण अर्थात् कुछ धातु मिल जाय उन्हें संकलित करके पुनः अपने यान में जायेंगे और फिर वहां से वह यान आज रात को २२ घंटे के बाद, जिसका नाम उन्होंने ईगल दे रखा है और जिसको हम जटायू कह सकते हैं, उसको लेकर वापस होंगे और जो पहला यान चन्द्रमा की परिधि में घूम रहा है, उससे जुड़ेंगे और फिर वहां से धरती की ओर अभिमुख होंगे और २४ तारीख को आयेंगे। उनकी यह योजना है जिसमें उन्होंने चन्द्रमा की धरती का स्पर्श किया, कुछ आवश्यक सामग्रियां एकत्रित कीं और उन्हें लेकर २–२ १/२ घंटे में अपने यान में वापस गये। भोजन और विश्राम के बाद पुनः इस समय कदाचित् वे उतरे होंगे और अपना कार्य पूरा करने के बाद फिर यान में जायेंगे और जब हमारे यहां रात्रि होगी, वहां पर कुछ और समय होगा, क्योंकि वहां पर एक दिन में कई बार दिन होते हैं और एक रात में कई बार रात होती है तो किसी ऐसे समय वे वहां से वापस होंगे, २२ घंटे का समय बिता कर जब कि वहां पर दिन होगा।

माननीय, विज्ञान की यह विजय, वैज्ञानिकों का यह ज्ञान, उनकी यह साधना, उनकी तपश्चर्या, उनकी एक प्रकार से आप कहें, एक आन्तरिक प्रेरणा आज वह कार्य करने में समर्थ हुयी है जिसकी कल्पना मनुष्य जाति कदाचित् बहुत वर्षों से करती आ रही है। जो एक और विशेष बात हुई, जिसने एक प्रकार से हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारी बुद्धि को और हमारे आन्तरिक हृदय की तंत्रियों को झंकृत किया है वह यह है कि यह सब २ १/२ लाख मील पर यह प्रक्रिया हो रही थी और धरती पर बैठे हुये मनुष्य एक-एक क्रिया और प्रक्रिया के दर्शन कर रहा था। इतना ही नहीं राष्ट्रपति निक्सन अपनी विज्ञानशाला से चन्द्रमा की धरती पर उतरे हुए उन २ मनुष्यों से टेलीफोन पर बात की और उन्होंने वार्ता के दौरान में उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो जिसके उत्तर म उन्होंने कहा कि हम यहां पर कुशल से हैं और बड़े सुन्दर दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। यह वार्ता मनुष्य से मनुष्य की एक दूसरे उपग्रह में हुयी। साथ ही साथ हजारों और लाखों व्यक्ति जगत के दूरदर्शन यंत्र के द्वारा यह सारी प्रक्रिया और घटनायें देख रहे हैं। समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि जब उनमें से एक उछलने और कूदने लगे तो नीचे से देखा कि वे उछल रहे हैं तो उनसे पूछा कि वे चन्द्रमा की धरती पर पैर के नीचे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। उतरने वाले व्यक्ति यात्री उस समय उत्तेजित हुये। जब हमें यहां पर

बैठे उत्तेजना हो रही है तो जो यात्री उतरा होगा यान से उसकी उत्तेजना का अन्दाज किया जाय, और धरती पर बैठे हुये डाक्टर ने उनकी परीक्षा की, उनका उपचार किया। उसने देखा और जब समझ लिया तो कहा परेशान न हो और कदाचित् किसी एक दवा की ओर संकेत किया कि अगर अधिक परेशानी मालूम हो तो उसे खा लो। इतनी बात सुनकर उसके हृदय की गति स्वाभाविक हो गयी। इस प्रकार हृदय की गति को, हार्ट बीट को यहां पर बैठा हुआ, धरती पर बैठा हुआ मनुष्य देख रहा है और गिन रहा है। कितने चमत्कार और आश्चर्य की बात यह है और इसके लिये कदाचित कोश में कोई शब्द नहीं है जो इस प्रकार की विचित्रता की व्यंजना कर सकें। आज हम सबकी और सारे मानव समाज की कामना यह है कि यात्री अपने यान में सकुशल पहुंच जायं और वहां से उनका प्रत्यावर्तन हो और जो मुख्य यान है जिसका नाम कोलम्बिया है उससे उसका संबंध जुड़े और वह धरती की ओर अभिमुख हो। इसमें खतरे बहुत हैं। जो विस्तार में पत्रों को देखते हैं उन्हें ज्ञात होगा कि इसमें कई प्रकार के खतरे हैं। मालूम नहीं जटायू एक बार उतरे और उसके बाद उड़ सकेगा वापस जाने के लिये या नहीं। दूसरा खतरा यह वह बतलाते थे कि जब वह उड़कर जायगा तो कोलम्बिया से जुड़ सकेगा या नहीं। अगर नहीं उड़ सकेगा तो फिर पत्ते की भांति शून्य में उड़ता रहेगा। ऐसे परिवेश उनको पहनाये गये हैं जिनको पहन कर दिन में ढाई सौ डिग्री फारनहाइट गर्मी वे बरदाश्त कर सकते हैं और रात में १५० डिग्री माइनस फारेनहाईट सर्दी। इन तमाम खतरों का सामना करते हुये वे वहां पहुंचे हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि सकुशल पृथ्वी पर वापस पहुंचे।

उनकी स्त्रियों को विशेष तौर पर टेलीफोन पर उनसे बातचीत करने में सफलता हुई है और टेलीविजन पर उनका स्वरूप देखने का अवसर उनको प्राप्त हुआ है। कोलम्बिया में सोये हुये उनके चित्र कल ही पत्रों में प्रकाशित हुये थे जिसको फोटो ले ली गयी ढाई लाख मील की दूरी से। यह आश्चर्यजनक तथा चमत्कारपूर्ण घटनायें हैं। यह मनुष्य की विशिष्टता है और भगवान की सृष्टि में कहा जाता था कि मानव की यह सब से बड़ी कल्पना और कला की अभिव्यक्ति है जो आज साकार रूप में परिणत हुई है। पुराणों में हम जिन बातों को पढ़ा करते थे आज वे सत्य सिद्ध हुईं हालांकि वह सारा ज्ञान आज मिट चुका है। जिनकी उन पुराणों पर आस्था है, जैसे कि मेरी आस्था है, व इस से भली भांति अवगत हैं और उनको तो यह देख कर प्रसन्नता ही होगी पर जिनको आस्था नहीं है वे इतना स्वीकार करेंगे कि मनुष्य की कल्पना और शक्ति शून्य को हजारों वर्ष पूर्व से स्पर्श करती रही है और आज की २०वीं शताब्दि में यूरोप में विभिन्न भाषाओं में शून्य की यात्रा के बारे में जो कुछ निकला है वह सही निकला है।

महाभारत में हम पढ़ते हैं कि जब अभिमन्यु का बध हो गया तो अर्जुन बहुत दुखी हुये तो श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम दुःख क्यों करते हो यह तो थोड़े दिनों का साथ था ही जसे नदी की प्रवाह में एक बुलबुला का दूसरे बुलबुल से साथ हो जाता है और फिर छूट जाता है। इसमें दुःख करने की कोई बात नहीं, उसके साथ तुम्हारे संसर्ग का समय समाप्त हो गया पर अर्जुन का मोह नहीं टूटा। तब श्रीकृष्ण ने कहा कि चलो, अभिमन्यु को दिखला लायें। अर्जुन ने कहा कि कहां है अभिमन्यु। उन्होंने कहा चन्द्रलोक में। वहां क्यों गया, अर्जुन ने पूछा? श्रीकृष्ण ने कहा कि वह तो चन्द्रमा का पुत्र रहा है, वह तो यहां चला आया था इतने दिनों के लिये तुम्हारे सम्पर्क के लिये। तो श्रीकृष्ण और अर्जुन चन्द्रलोक गये। वहां अर्जुन ने अभिमन्यु को देखा और हा पुत्र! हा पुत्र! कह कर दौड़े। तो उसने डांटा और कहा चुप रहो, कैसा पुत्र और किसका पिता। तब अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और फिर लौट कर आये। इसी प्रकार की अनेक कथायें हैं। कालीदास ने कल्पना की रघु का रथ धरती पर चलता है, पहाड़ों की चट्टानों का लंघन करता है, आकाश में भी चलता है। यह कल्पनायें पुराणों में थीं। देवताओं के उतरने की, यहां से वहां जाने की अनेक कथायें मिलती हैं। एक स्थान में पातंजलि ने अपने योग शास्त्र में लिखा है कि इस क्रिया से मनुष्य अपने शरीर के भार को कम कर सकता है और धरती के गुरुत्वाकर्षण से छूट सकता है। और जब यह स्थिति आ जाय, वेट लेसनेस प्राप्त हो जाय तो अन्तरिक्ष में यात्रा कर सकता है। पर एक बात स्पष्ट है कि मनुष्य का शरीर और उसकी बुद्धि ये माध्यम रहे हैं क्योंकि मनुष्य की प्रतिभा का श्रोत उसकी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बुद्धि रही है चाहे वह आध्यात्मिक बुद्धि रही हो चाहे अपने अन्तर में निहित अपनी ही शक्तियों को प्राप्त करता रहा हो। पर आज विज्ञान का यह बड़ा भारी चमत्कार है और इसने हमारे ज्ञान की दिशाओं को बड़ा विस्तृत कर दिया है।

आज तो यह कहा जा रहा है कि चन्द्रमा की थोड़ी सी धरती यदि हमारे पास आ जाय तो समस्त सौर मंडल की रचना कैसे हुई, किस युग में हुई, किस प्राकृतिक गतियों और प्रगतियों के फलस्वरूप हुई, इसकी सारी विवेचना हम कर सकते हैं। स्वयं चन्द्रमा कैसे बना, कहां से निकला इसकी खोज हम कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक ने तो लिखा था कि सौर मंडल ही क्यों, अनन्त सौर मंडल ऐसे हैं जिनमें एक ही तत्व विद्यमान है। तो मनुष्य में जिज्ञासा रही है। सदा मनुष्य में उत्सुकता रही है ज्ञान को प्राप्त करने की और सदा ज्ञान का मार्ग पकड़कर गूढ़तम रहस्य का उद्घाटन वह करता रहा है। आज जो यह संभव हुआ इसने समस्त मानव जाति की गरिमा और गौरव को बढ़ाया है। हम सबकी आशा है कि यह जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यह जो हमारी दिशायें विस्तृत, व्यापक और अनन्त अन्तरिक्ष को स्पष्ट करने लगी हैं तो हमारा मानव समाज अपनी संकुचित परिधि से बाहर निकलेगा और उसमें जो कटुता, अत्यन्त स्वार्थपरता और इस प्रकार की अन्य भावनायें जो मनुष्य को ऊंचे उठाने में बाधक हुई हैं, उनका परिहार यह ज्ञान कर सकेगा।

एक चीज इसी संबंध में कह दूं कि अभी हाल में एक बड़े भारी साधक से मेरी भेंट हुई। और श्रीमन, हमने उनसे कहा कि आपका योग बेकार हो गया है। आज मनुष्य धरती से ऊपर उठकर चन्द्रलोक तक पहुंचता चला जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि इसको बेकार मत कहो क्योंकि भौतिक चन्द्रलोक तक वह पहुंच जायेगा। लेकिन जब तक मनुष्य आंतरिक चन्द्रलोक का स्पर्श नहीं करेगा तब तक वह ऊंचा नहीं उठ सकेगा। आज तक जितनी ज्ञान की प्रतिभा का विकास हुआ है, जितनी बुद्धि की प्रतिभा का विकास हुआ है, उसने मनुष्य को विनाश की ओर ही अग्रसर किया है। इसका कारण यह है कि जितनी मनुष्य की बुद्धि की प्रतिभा प्रखर हुई है उतना उसका आत्मिक उन्नयन नहीं हुआ है। जब तक मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नयन नहीं होगा तब तक न जाने यह मनुष्य को कहां ले जायेगा। जब इसका आत्मिक उन्नयन होगा तो यह ज्ञान संसार के लिये अत्यन्त कल्याणकारी होगा।

श्रीमन्, जब इतनी बड़ी घटनायें घटित हो रही हैं तो हम अत्यन्त भाग्यवान हैं जो ऐसे महान युग में जीवित हैं, ऐसे युग में चल फिर रहे हैं जिसमें संसार को चकित कर देने वाली घटनायें घटित हो रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें कि ये हमारे अन्तरिक्ष यात्री अपनी यात्रा से सकुशल लौटेंगे और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह मानव समाज के कल्याण के लिये उपयोगी हो सके और संकीर्णता, स्वार्थपरता और प्रतिद्वंदता की भावना दूर हो और यह कल्याणकारी हों। इस ज्ञान से हम अपनी आत्मा की ओर देखें और उसका आत्मिक उन्नयन इस प्रकार से हो जैसे कि हमारी बुद्धि की प्रतिभा प्रखर हो रही है। मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि इसी तरह का प्रस्ताव माननीय नित्यानन्द जी ने दिया था। वह भी इसमें समावेश हो जायेगा और मैं उनको भी बोलने का मौका दूंगा।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और इन तीन मानवों का जो उन्होंने जिक्र किया है वह बड़े अच्छे शब्दों में किया है। उनके प्रति हम बहुत ही आभारी हैं और निस्संदेह वे हमारी बधाई के पात्र हैं। केवल इसलिये नहीं कि उन्होंने मानव के विकास की यात्रा को एक

बहुत ही ऊंचे स्तर पर बहुत दूर तक पहुंचाया है बल्कि इसलिये कि उन्होंने हमें इस दिशा में ले जाने में अपने जीवन की आहुति देने का संकल्प किया था। उन्होंने ठीक ही कहा है कि जिस समय चन्द्रमा की यात्रा प्रारम्भ की गई थी तो उसमें बहुत से लोग संदेह करते थे कि वे सकुशल लौटेंगे भी या नहीं। लेकिन मानव कल्याण के लिये और मानव विकास के लिये उन्होंने अपने जीवन को उत्सर्ग करने को सोचा, इसके लिये वे निस्संदेह बधाई के पात्र हैं और इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा।

मान्यवर, मानव जीवन का इतिहास इसी से भरा हुआ है। हमारे जीवन का विकास और रहस्य इसी में छिपा हुआ है। हम स्कूल में पढ़ा करते थे और हमने एक पुस्तक में पढ़ा था कि मनुष्य ने प्रकृति के ऊपर किस तरह विजय प्राप्त की। यही मानव जीवन का इतिहास है कि जितनी हम विजय प्राप्त करते चले जायेंगे उतना ही हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जायेगा और उतना ही हमारा विकास होता चला जायेगा। मान्यवर, हम लोग किस्सों में सुना करते थे कि बालक रोया करते थे, मचला करते थे और वे अपनी माता से कहा करते थे कि हमें चन्द्रमा चाहिये और यह सोचा जाता था कि चन्द्रमा के मांगने वाले बालक अबोध होते हैं, वे मांगते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। लेकिन वास्तव में यह मानव की जिज्ञासा थी। मानव की जो खुद की इच्छायें हैं, जो उसकी आगे बढ़ने की लालसा रही है वह इसमें परिलक्षित होती है। मानव सदियों से इस बात की इच्छा करता चला आ रहा है कि हम चन्द्रमा के पास जायं, वह घटना आज घटित हुई, जिस घटना को माननीय उप मुख्य मंत्री ने बीसवीं शताब्दि की महान घटना कहा है, मैं समझता हूं कि वह मानव जीवन के विकास के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। इस घटना ने दरवाजा खोला है कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, इसने दिखलाया है कि एक सीमा लांघने के बाद कोई दूसरी ऐसी सीमा नहीं है जिसको न लांघा जा सके। कहा जाता है कि मानव की शक्ति सीमित होती है। लेकिन हमारे सामने ऐसा चमत्कार हो रहा है जिससे अनुमान होता है कि मानव की शक्ति सीमित जरूर है लेकिन उसकी सीमा कहां है यह भी नहीं मालूम है। इस प्रकार की घटनायें हमें इस बात के लिये उत्साहित करती रहेंगी कि जो हमने सीमा लांघी है इससे आगे जाकर हम दूसरी सीमा कायम कर सकते हैं जिसको कहते हैं कि एक चोटी के बाद दूसरी चोटी। मानव की जिन्दगी का यही एक रहस्य है और जिस रोज यह बात नहीं होगी उस रोज मानव जिन्दा नहीं रहेगा। मानव ने जो यह कार्य किया है उसमें मानव की अनुभूतियां और उसके मूल्य छिपे हुये हैं, उसकी आगे बढ़ने की प्रेरणा छिपी हुई है। वह सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है, जो उन्होंने मानव समाज को दी है। इसलिये निस्संदेह इन तीन महान व्यक्तियों के प्रति मानव जाति सदा के लिये आभारी रहेगी। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्य मंत्री जी ने जो सुन्दर शब्दों में प्रस्ताव रखा है, जब वह बोल रहे थे तो मालूम होता था कि हम लोग स्वयं चन्द्रमा पर जा आ रहे हैं। उनकी साहित्यिक भाषा है। उनकी भावनाओं का मैं समर्थन करता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि मानव इतिहास में इतनी बड़ी घटना को हमने अपनी विधान सभा में इस बधाई के प्रस्ताव के द्वारा बधाई देकर गौरवान्वित किया है। मैं अपने दल की ओर से, जैसा कि मैंने प्रस्ताव भी रखा था और बाद में मुझे मालूम हुआ कि एक प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से भी रखा गया है यह सदन की गरिमा के अनुकूल था कि उनका प्रस्ताव आता। मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि जो अन्तरिक्ष यात्री आज मानव के विकास के लिये, विज्ञान के विकास के लिये, मानवता के हित में इतनी बड़ी कुरबानी और त्याग में लगे हुये हैं वह सकुशल वापस आयें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उपमुख्य मंत्री जी ने जो बधाई का प्रस्ताव रखा है उसके साथ मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। चूंकि समय बहुत हो गया है, बहुत कुछ उप मुख्य मंत्री जी ने इस विषय में

[श्री अध्यक्ष]

कह दिया है और उदित नारायण जी और नित्यानन्द जी ने भी अपने विचार आपके सामने प्रकट किये, इस प्रस्ताव को उपस्थित करने के पहले मैं उपमुख्य मंत्री जी से केवल इतना कह देना चाहता हूं कि उन्होंने शायद यह कहा कि जो पदार्पण उन लोगों ने किया वह सवा ग्यारह बजे किया। लेकिन सही बात यह है कि सवेरे (मैं बार बार सुनता रहा रेडियो पर) यह बात हुई कि एस्ट्रोनाट्स ने चाहा कि हम जल्दी बाहर निकल कर पदार्पण कर लें, तो अच्छा हो। तो उनको इजाजत दे दी गई कि साढ़े छः बजे के बाद कभी भी आप बाहर निकल सकते हैं, यानी ईगल जिसे त्रिपाठी जी ने गरुड़ कहा है, से चन्द्रमा के धरातल पर आप उतर सकते हैं। तो प्रथम एस्ट्रोनाट्स ने आठ या साढ़े आठ बजे के बीच में कभी चन्द्रमा पर पदार्पण किया और दूसरे सज्जन ने पौने नौ के करीब किया। मैंने दोनों बार रेडियो सुना। उन्होंने कहा कि यहां जमीन खसखसी है, चमकदार है, सुन्दर है, पहले कहा था कि पाउडर जैसी है, लेकिन यह मैंने सवा आठ बजे सुन लिया। तो इसका मतलब यह है कि आपके भाषण में मैं इतना परिवर्तन कर दूं तो अनुचित नहीं होगा और भाषण तो आपका बहुत अच्छा हुआ है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरे पास जो न्यूज आई, उसमें यह था कि ११ बजे वह उतरे और १ बजे उसमें आये।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, आप इसको देख लीजियेगा और सही कर दीजियेगा। मैं प्रस्ताव पढ़ कर सुनाये देता हूं। मैं समझता हूं कि इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं तो "हां" कहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

शनिवारों को बैठक करने तथा सदन के समय में परिवर्तन करने के संबंध में प्रस्ताव

उद्योग मन्त्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५ के उप नियम (२) के अनुसार इस सदन का उपवेशन शनिवार को नहीं होता है, परन्तु वित्तीय कार्य एवम् आवश्यक विधायी कार्यों को समय से सम्पादित करने के लिए यह सदन यह निश्चय करता है कि इसका उपवेशन शनिवार, दिनांक २६ जुलाई एवं १६ अगस्त, १९६९ को भी निर्धारित समय पर हो। आज्ञा हो तो दूसरा भी पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ दें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५ (१) के अनुसार सदन का उपवेशन ११ बजे पूर्वान्ह से ५ बजे अपरान्ह तक होता है, परन्तु वित्तीय वर्ष १९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा और उसकी मांगों पर विचार के लिए अधिक समय उपलब्ध करने की दृष्टि से यह सदन उक्त नियमावली के नियम ३११ के अनुसार उक्त नियम १५ (१) को निलम्बित करते हुए यह निश्चय करता है कि उक्त आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा एवम् उसकी मांगों पर मतदान के लिये नियत दिनांकों को सदन का उपवेशन प्रातः १०–३० बजे से अपरान्ह ५–३० तक हो।"

श्री वीरेन्द्र शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, जिस समय सदन का कार्यक्रम माननीय सदस्यों के पास पहुंचा तो उस समय तमाम शनिवार लिये हुये थे। जब हम यहां आए तो माननीय सदस्यों को उसमें काफी आपत्ति थी। इस पर आपस में बहुत विचार-विमर्श किया गया और आखिर में सभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री जी की उपस्थिति में बैठ कर यह निश्चय किया कि सामान्य बजट पर चर्चा के दिन भी न घट सके और जितना समय इसमें प्रस्तुत किया गया है बजट की मांगों पर बहस का उसमें भी कोई कमी नहीं और साथ ही जो शनिवार ले लिये गये हैं वे ज्यादा से ज्यादा बचाये जा सकें, इसलिये २ व ९ अगस्त और २३ अगस्त को जो शनिवार हैं उनको छुट्टी रहेगी और १६ अगस्त को जिसमें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, उसमें विधायी कार्य होगा जो कि २३ अगस्त में पहले रखा गया था। चूंकि यहां रहना ही था इस वजह से उसको ऐडजस्ट कर दिया गया। जहां तक २६ जुलाई का प्रश्न है केवल वह एक शनिवार लिया गया और वह इस कारण कि २२ और २३ जुलाई को छुट्टी रहेगी। इस वजह से कि प्रदेश का जो टैक्स है उसका दुरुपयोग न होने पाये बल्कि उसका सदुपयोग हो और हम भी कुछ यहां अपना योगदान दे सकें इस दृष्टि से हमने सर्वसम्मति से यह तय किया है। फलतः जो प्रस्ताव शान्ति प्रपन्न जी ने यहां रखा है उसका हम अनुमोदन कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग जो विधायक लोग हैं उनके पास केवल असेम्बली का ही काम नहीं होता। हमारे निर्वाचन-क्षेत्र से हमारे पास लोग आते हैं। हमें विभागों के कर्मचारियों से मिलना पड़ता है। अगर शनिवार हो.....

श्री अध्यक्ष—

आप किस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं?

श्री गोविन्दसिंह—

जो प्रस्ताव शान्ति प्रपन्न जी ने रखा है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने दो प्रस्ताव रखे हैं। एक तो शनिवार वाला और दूसरा १० १/२ से ५ १/२ बजे तक के समय वाला। आप किस का विरोध कर रहे हैं?

श्री गोविन्दसिंह—

शनिवार वाले का। मेरा निवेदन है कि कम से कम आप एक ऐसा वर्किंग डे तो हम विधायकों के लिये रहने दें ताकि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विभिन्न विभागाधिकारियों से मिल सकें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

गोविन्द सिंह जी को कुछ भ्रम हो गया है। १६ तारीख को तो रहना ही है वोट देने के लिये इसलिये वह शनीचर लिया है। बाकी और शनीचर हमने छोड़ दिया है। आपको कुछ गलतफहमी हो गयी है।

श्री मंनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं भी प्रथम प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, नियम बन हुये हैं और पूर्व परम्परा भी है कि शनिवार को सदन नहीं चलेगा। तब यह कौन सा तरीका है कि जब

[श्री मैनेजर सिंह]

शासक दल को सुविधा हो तब नियमों को भंग कर दिया जाय। मैं आप को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मार्च में जब सदन की कार्यवाही चल रही थी उस समय विरोधी पक्ष की ओर से मांग की गयी थी कि बहस के लिये एक दिन का समय बढ़ा दिया जाय। यदि आप एक दिन का समय नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम कुछ घंटे स य बढ़ा दिया जाय लेकिन इस पर भी हमारे माननीय शान्ति प्रपन्न जो उस समय राजी नहीं हुये और यहां काफी हो-हल्ला और शोरगुल हुआ। आज मुझे खेद है कि हमारे भारतीय क्रान्ति दल के वीरेन्द्र वर्मा जी फरमाते हैं कि पैसे के सदुपयोग के लिये शनिवार ले लिये गये। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार की वकालत विरोधी पक्ष की तरफ से भी की जा रही है कि पैसे का सदुपयोग करना है। यदि सदुपयोग ही करना है तो पूरा सदुपयोग कीजिये। आप नियम बना दीजिये कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को बैठा करेंगे और सदन प्रत्येक रविवार को भी चला करेगा। लेकिन इस तरह से चीजों को लाना अनुचित है और मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप शनिवारों को सदन की कार्यवाही स्थगित रखें भले ही आप साढ़े ५।। तक बैठना चाहते हैं तो बैठें, ६ बजे तक, ७ बजे तक बैठें लेकिन शनिवार को लेना बिलकुल ही उचित नहीं है क्योंकि जो हमारे नियम और परम्परायें हैं उनका पवित्रता के साथ पालन होना चाहिये। यदि आप को एक मत से नहीं करना है तो फिर बहुमत से आप इसे स्वीकार करावें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि शनिवार से लिये जायं उसको सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ इसलिये कि हम लोग पूरे प्रदेश की यहां पर नुमाइन्दगी करते हैं। पांच महीनों के बीच में हम लोगों ने बार-बार मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि प्रदेश के अन्दर कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिन पर विचार करने के लिये दो या चार दिन के लिये सदन की बैठक बुलाई जावे। लेकिन हमेशा हमें यह जवाब दे दिया गया कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। आज मेरी समझ में नहीं आता कि आज ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से उनकी सुविधा के अनुसार जब चाहे शनिवार ले लिये जायं और जैसा चाहें, जब चाहें वैसा सरकार कर ले और हम अपोजीशन बेंचेज की अनुमति ले कर, रजामन्दी ले कर यह दिखाने के लिये कि सबकी रजामन्दी है ऐसा करते रहें, ठीक नहीं है। मैं इसलिये इसका विरोध करता हूं कि यह प्रथा अनुचित है कि जब इस प्रदेश के नुमाइन्दे इस बात की मांग करें कि आज प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि सदन की बैठक दो या चार दिनों के लिये कुछ अर्से के लिये बुलाई जाय तब तो हमको यह दिया जाय कि कोई जरूरत नहीं है लेकिन दूसरे मौके पर जब हमें अपनी मजबूरी को पूरा करने के लिये कि बजट किसी तरह से पास हो जाय हमको बुलाया जाता है और हमसे कहा जाता है कि तुम शनिवार को भी बैठो। हफ्ते में एक शनिवार का दिन ही हम लोगों को अपने क्षेत्र का काम करने के लिये मिलता है और उसे भी इस तरह के कामों के लिये ले लिया जाय तो यह मुनासिब नहीं होगा। इसलिये मैं इस पहले वाले प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि रक्षा बन्धन हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे हिन्दू मुसलमान सभी मिल कर मनाते हैं...

श्री अध्यक्ष—

सुनाई नहीं देता है, आप कृपया माइक्रोफोन पर बोलें।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करता हूं रक्षाबन्धन हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे सम्पूर्ण भारतवर्ष के अन्दर यहां की सभी जातियां मनाती हैं, यही नहीं मुसलमान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासकों तक ने बड़े प्रेम से उसे अपनाया है। लेकिन मैंने देखा है कि उस दिन भी सदन की बैठक रखी गयी है। इसलिये मेरी माननीय शान्ति प्रपन्न जी व अन्य लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि उस दिन सदन की कार्यवाही न की जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपने तारीख नहीं बतलायी।

श्री राम गोपाल संड—

२७ अगस्त को रक्षा बन्धन है।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय ११ बजे से ५ बजे तक का ही रखा जाय, किसी शनिवार को सदन की बैठक न हो, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। इसलिये कि हमें अध्ययन भी करना पड़ता है, पढ़ने को भी काफी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास क्षेत्र के भी बहुत काफी लोग आते रहते हैं, उनको भी बहुत सारी बातें करनी होती हैं। जब हम सवेरे साढ़े १० बजे से साढ़े ५ बजे तक रोज यहां बैठेंगे तो जो दिमागी कसरत होगी उससे बड़ी परेशानी हो जायगी। इतनी देर तक बैठना हमारे लिये सम्भव न होगा। इसलिये मैं इन दोनों प्रस्तावों का घोर विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप यह इजाजत देंगे कि सदन ११ बजे से ५ बजे तक ही बैठेगा और किसी भी शनिवार को सदन की कोई बैठक न होगी ताकि हफ्ते में एक दिन तो हमें अपने काम के लिये मिल जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथियों द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं हम सब उनसे सहमत हैं। बजट के लिये २२ दिन रखा गया था। अगर सभी दिन सदन को काम करने का मौका रहता तो न सदन का समय ११ बजे के बजाय साढ़े १० बजे से साढ़े ५ बजे तक करने की आवश्यकता होती और न ही एक शनिवार जो लिया गया है उसी को लेने की आवश्यकता पड़ती। प्रश्न सीधा सा यह था कि क्या माननीय सदस्य अपने बोलने के समय को सीमित करना चाहते हैं—मेरे खयाल से जितने भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और बजट के मौके पर बहुत सी बातें कहने को होती हैं। अगर साढ़े १० बजे से साढ़े ५ बजे तक के समय को घटाना चाहते हैं तो हिसाब लगावें कि क्या वे अपनी सब बातें उतने कम समय में पूरी कर सकेंगे। अगर प्रतिदिन एक घंटे का समय अधिक लिया जाय तो इस तरह से हफ्ते में एक दिन का समय और माननीय सदस्यों को बोलने को मिल जाता है। माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने बजट के लिये २२ दिन रखा था जब कि नियमावली के अनुसार २४ दिनों तक बजट के ऊपर चर्चा की जा सकती है। हफ्तेवार शनिवार काटने से ४ शनिवार कट जाते हैं और इस तरह से केवल १८-१९ दिन ही हमें बहस के लिये मिल पाते हैं। हमने सोचा कि बजट पर बहस के लिये माननीय सदस्यों को काफी समय मिल जायेगा। इस दृष्टि से हमने इसे मान लिया ताकि माननीय सदस्यों को बोलने का ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जा सके। इसी दृष्टि से ज्यादा से ज्यादा शनिवारों को निकाल कर एक शनिवार को ही ले लिया गया था। दो दिन-२, ९ अगस्त को बिल्कुल छुट्टी हो जाती है, एक दिन और बाद में २३ अगस्त को छुट्टी हो जायेगी। जहां तक २७ अगस्त के दिन रक्षाबन्धन के मौके पर सदन की बैठक न होने का प्रश्न है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी, अगर ऐसी कोई बात है तो उस पर विचार किया जा सकता है। अलबत्ता माननीय सदस्य अपने बोलने के समय में कुछ कटौती कराना चाहें तो भी मुझे कोई आपत्ति न होगी। मेरे खयाल से गवर्नमेंट खुद चाहती है कि बगैर बहस के अगर बजट पास हो जाय तो अच्छा है। पिछली दफा उन्होंने वोट आन अकाउन्ट्स बिना बहस के पास करा लिया था अब भी उन्हें सब से ज्यादा खुशी होगी यदि बिना बहस बजट पास हो जाय।

उद्योग और परिवहन मंत्री जी चाहते हैं कि बिना बहस के उनके विभागों की मांग पास हो जाय तो अच्छा है। तो यह उनको स्वयं मन्जूर है कि बगैर बहस के यह सब पास हो जाय मगर

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

हम स्वयं यह चाहते हैं कि अपोजिशन वालों को बोलने का समय अधिक मिले। हम स्पीकर महोदय से भी प्रार्थना करते हैं कि पहले जब हाउस में १४४ सदस्य इधर बैठते थे और २८६ उधर बैठते थे तो एक सदस्य इधर का और एक सदस्य उधर का बोलने के लिये बुलाये जाते थे लेकिन अब तो यह अन्तर बहुत ही कम है। १०-५ सदस्यों के अन्तर की कोई बात नहीं है, लगभग दोनों तरफ बराबर ही हैं तो हम लोगों को बोलने का समय अधिक मिलना चाहिये। हम स्पीकर महोदय से प्रार्थना करते हैं कि सरकार के मुकाबल में विरोधी दल के सदस्यों के विचार ज्यादा सुनने का अवसर दिया जाय ताकि सरकार अगर कोई त्रुटि करती हो तो उसको वह दूर कर सके। इस कारण से इन सब बातों पर विचार करके हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सर्व-सम्मति से तय किया था। कमेटी में मैं जनसंघ और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ह्विप थे, और लोग भी थे। यह केवल इजसी वजह से सोचा गया कि हमारे माननीय सदस्यों को बोलने का ज्यादा समय मिले। इसके अलावा और कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

पहला प्रस्ताव यह है कि दो शनिवार लिये गये हैं, २६ जुलाई का और १६ अगस्त का। १६ अगस्त को यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो उस दिन यहां पर माननीय सदस्यों को रहना तो है ही.....

श्री मैनेजर सिंह—

आप सरकार की वकालत कर रहे हैं। आप तो अपने अधिकार में पूर्ण स्वतंत्र हैं। यह आप सरकार के ऊपर ही छोड़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो सदन के समक्ष रख रहा हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

आप परम्परा भंग करायेंगे किन्तु सरकार को राजी नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन के सामने रख रहा हूं और सदन को पूरा अधिकार है।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप सदन की परम्पराओं की रक्षा कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन के सामने रख रहा हूं और वह इस पर विणय देगा।

श्री मैनेजर सिंह—

यहां पर सरकार बहुमत में बैठी हुई है। वह जिस तरह से चाह अपने बहुमत के आधार पर कर सकती है। लेकिन आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके इन दो शनिवारों को छोड़ दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। यह सदन को पूरा अधिकार है। सदन जिस तरह से चाहे कर सकता है। आप कृपया बैठें।

श्री मैनेजर सिंह—

हम कहते हैं कि इन दो शनिवारों को छोड़ दें। आप बहुमत के बल पर नहीं करा सकते हैं। आप सरकार को समझाइये।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपा कर बैठ जाइये।

श्री मैनेजर सिंह—

आप हमारी बात भी तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सुन लिया है। अब कृपया बैठे। आप बोल चुके हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

आप इस प्रकार से अनुचित ढंग से प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कोई डिक्टेटर नहीं है। मैं इसको सदन के सामने रख रहा हूं। वही अपना निर्णय इस पर कर सकता है।

श्री मैनेजर सिंह—

आप शान्ति प्रपन्न जी को समझाइये।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठ जाइये। अगर आप नहीं बैठते ह तो मुझे मजबूर होकर आपसे यह कहना पड़ेगा कि आप सदन छोड़ दीजिये।

(व्यवधान) आप कृपा करके बैठे।

श्री जगदीश गांधी—

मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय ३० सितम्बर तक कर दिया जाय ताकि हमको और अधिक टाइम मिल सके।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या आप चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले या न चले ?

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन से राय पूछना चाहता हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं शान्ति प्रपन्न जी से अनुरोध करूंगा कि कोई कम्प्रोमाइज फारमूला निकाल ल। क्यों नहीं पहले से सदन बुलाया गया ? पहले से बुला लिया जाता तो टाइम बढ़ाने की नौबत क्यों आती ?

श्री रियासत हुसन—

श्रीमन्, सरकार की इस नादिरशाही के प्रति विरोध प्रकट करने क लिय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री गोविन्द सिंह—

मैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री मैनेजर सिंह—

हम भी इस सदन का बहिष्कार करते हैं, आप सुनना ही नहीं चाहत हैं।

(श्री मैनेजर सिंह ने सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष—

पहला प्रस्ताव यह है—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा काय-सचालन नियमावली, १९५८ क नियम १५ के उप नियम (२) के अनुसार इस सदन का उपवेशन शनिवार को नहीं होता है, परन्तु वित्तीय

[श्री अध्यक्ष]

कार्य एवं अत्यावश्यक विधायी कार्यों को समय से सम्पादित करने के लिये यह सदन यह निश्चय करता है कि इसका उपवेशन शनिवार, दिनांक २६ जुलाई एवं १६ अगस्त, १९६९ को भी निर्धारित समय पर हो । "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रस्ताव यह है—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५ (१) के अनुसार सदन का उपवेशन ११ बजे पूर्वाह्न से ५ बजे अपराह्न तक होता है, परन्तु वित्तीय वर्ष १९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा और उसकी मांगों पर विचार के लिये अधिक समय उपलब्ध करने की दृष्टि से यह सदन उक्त नियमावली के नियम ३११ के अनुसार उक्त नियम १५ (१) को निलंबित करते हुए यह निश्चय करता है कि उक्त आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा एवं उसकी मांगों पर मतदान के लिये नियत दिनांकों को सदन का उपवेशन प्रातः साढ़े १० बजे से अपराह्न साढ़े ५ बजे तक हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब १६ तारीख को चूंकि विधायी कार्य है, बजट का कार्य उसमें नहीं है तो उस दिन सदन का समय ११ बजे से ५ बजे तक ही होगा इसके अनुसार ।

अब हम उठते हैं और २४ तारीख को साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बजे बृहस्पतिवार, २४ जुलाई, १९६९ के १०।१।२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
२१ जुलाई, १९६९ ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३७ एल० ए०—१९६९—८७० ।